खण्ड-191, अंक-7
सोमवार, 28 माघ, शक संवत् 1879
(17 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जरार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद. श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीरामगुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण , श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथचौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम सैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
ठीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरपाल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकीराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नारराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेंजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ,राय, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंहमेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंहचौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
बासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धा देवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमन्त्री (श्री परमात्मासिंह) भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्लम क्लियरेंस स्कीम के अन्तर्गत इलाहाबाद में आयोजित कार्य

**१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो नगर की सफ़ाई के लिये बनाई गई है उसमें कौन-कौन से मुहल्ले शामिल किये गये हैं और उन पर अलग-अलग कितना-कितना व्यय होगा ?

स्वशासन मन्त्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने राज्य की गन्दी बस्तियों को हटाने (Slum clearance Scheme) की जो योजना बनाई है उसके अन्तर्गत इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इलाहाबाद नगर के कटरा अरघरा तथा बूचरखाना कर्नलगंज मुहल्लों की गंदी बस्तियों को हटाने की योजना बनाई है जिसके लिये भारत सरकार ने ८,९१,००० रु० स्वीकृत किये हैं। इन मुहल्लों पर अनुमानित व्यय इस प्रकार होगा :--

	रु०
कटरा अरघरा	३,७०,०००
बूचरखाना कर्नलगंज	५,२१,०००

**२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगर में सफाई की जो योजना इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बनाई थी उसमें क्या-क्या काम पूर्ण हो गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--योजना अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। ऋण की स्वीकृति भी अभी प्राप्त हुई है। योजना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा आरम्भ नहीं हुई है। प्रारम्भिक काम करने के आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस योजना में कितने मकान आयेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी इस योजना में मकान बने नहीं हैं, आदेश जारी किये गये हैं कि जो मकान बनाये जायं वह ऐसे बनाये जायं कि जिनकी आय १७५ रुपए से कम हो, इसी आय तक के ही मकान बन सकेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन के मकान लिये जायंगे उनको मकान के एवज में रुपया, जमीन या दूसरे मकान दिये जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह मकान के एवज में रुपया पाने के अधिकारी तो होंगे ही लेकिन यदि वे मकान भी बनवाना चाहेंगे तो उनके लिये भी प्रयत्न किया जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि नगर की सफाई की यह कौन सी विशिष्ट योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्लम्स क्लियरेंस स्कीम के अन्दर है। कबाल टाउन्स में जो गन्दी बस्तियां हैं या जो गन्दे रास्ते वगैरह हैं उनके लिये १ करोड़ ९६ लाख रुपया सेन्क्शन हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसमें प्रादेशिक सरकार का कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रादेशिक सरकार का भी ४९ लाख का हिस्सा है और काम होने पर वहां से भी रुपया मिलेगा।

मझौल, जिला पीलीभीत में कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी खोलने की योजना

**३---श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके द्वारा मझौला व बीसलपुर में से कौन सा स्थान कोआपरेटिव शकर कारखाना के लिये उचित समझा गया ?

उद्योग उपमन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)---कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी खोलने के लिये जिला पीलीभीत में स्थान मझौला निश्चित किया गया है।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह---क्या सरकार को सूचना है कि डिप्टी केन कमिश्नर के डी० ओ० नं० १३९४ के अनुसार ५ जनवरी, १९५८ को केन यूनियन की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने बीसलपुर को क्यों नहीं पसन्द किया ?

श्री रऊफ जाफरी---पसन्द करने न करने की बात नहीं है बल्कि यह है कि मझौला में लोगों ने रुपया इकट्ठा कर लिया है और रुपया उनके पास है। इसके अलावा मझौला में जो मिल खुलेगी उसमें पीलीभीत के जिले का गन्ना तो जायगा ही नैनीताल की भी तीन तहसीलों का गन्ना जा सकेगा। बीसलपुर में यह भी बात है कि वह खंडसारी का एरिया है और खंडसारी का उद्योग वहां अच्छी तरह से चल रहा है और अभी वहां रुपया भी नहीं इकट्ठा हुआ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मझौला का सेंटर उन्होंने छांटा है इसके लिये उन्होंने सर्वे कराया था ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों या किनके द्वारा यह सर्वे हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी---इसका सर्वे डिटेल में नहीं बल्कि रफली हुआ है और जो अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के उन्हीं के जरिये हुआ है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मझौला में इस मिल का प्लांट कब लग जायगा ?

श्री राजनारायण---क्या प्रदेश की सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयत्न हो रहा है कि उसका सभी सरकारों से, जहां हिन्दी बोली जाती है, पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो जैसे बिहार और मध्य प्रदेश इत्यादि से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि इसकी सूचना मैं सदन को काफी पहले दे चुका हूं कि मध्य प्रदेश और बिहार से हमारी यह बात तय हो गई है कि हमारे और उनके बीच में पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो।

रुद्रपुर में नोटिफाइड एरिया कमेटी की स्थापना

**५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, तराई कालोनाइजेशन, रुद्रपुर ने सिफारिश की है कि रुद्रपुर को नोटिफाइड एरिया बना दिया जाय? यदि हां, तो इस हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की सिफारिश पर नहीं वरन् शासन की ओर से रुद्रपुर में यह नोटीफाइड एरिया बनाई गई है। वहां आबादी बढ़ रही थी और नगर की सुव्यवस्था के लिए यहां एक स्थानीय संस्था का होना आवश्यक समझा गया।

**६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या उक्त ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर ने रुद्रपुर नोटिफाइड एरिया की प्रथम कमेटी में नामांकन किये जाने हेतु कोई संस्तुति भी की है? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त सूची को सदन की मेज पर रखेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी कोई संस्तुति नहीं मिली है। इस समय वहां के सदस्यों की नामावली गजट में दिनांक १८ जनवरी, १९५८ को छपी थी।उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४३ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी के पास जिलाधीश नैनीताल ने कोई संस्तुति भेजी थी नामों के बारे में?

श्री रामस्वरूप यादव---हां, भेजी थी। कुछ सरकार ने स्वीकार किये, कुछ नहीं किये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने उसमें स्वीकार किये गये और कितने नहीं किये गये?

श्री उपाध्यक्ष---कुछ नामों की लिस्ट तो गजट में निकली होगी, जो ले लिये गये?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, गजट में विज्ञप्ति हो गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो अस्वीकार हो गये उनको मालूम करना चाहता हूं।

स्वशासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---वह नहीं बतलाना चाहते हैं।

विधायकों की उपस्थिति में भूमि-अभिलेखों की पड़ताल के आदेश

**७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माल विभाग की ओर से अभी हाल ही में जिलाधीशों को इस प्रकार का आदेश दिया गया है कि भूमि अभिलेखों की शुद्धता की जानकारी करने तथा तालिका तैयार करने हेतु प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विधायक तथा भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में परताल की जाय? यदि हां, तो उस आदेश की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

माल उपमन्त्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)—जी हां। आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४१-६४६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का आदेश देने का कारण क्या था?

श्री परमात्मानन्दसिंह—कारण तो बहुत स्पष्ट है कि जिस समय जांच होती रहेगी तो पटवारियों और उस विभाग के अधिकारियों को भय रहेगा कि कभी-कभी जांच होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस प्रकार की सूचना सदन के सदस्यों के पास भी भेजी जाने वाली है?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इसकी आज्ञा जिले के कलेक्टर के पास गयी है कि अपने-अपने जिलों में विधायकों से वह सम्पर्क स्थापित करेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला बेवरिया)—गांव के चुनाव जो मेम्बर साहब कर देंगे, उसके बाद लेखपालों को कितने दिन का मौका रहेगा कि वह अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आपस में तय करके जब चाहेंगे चुनाव हो जायगा लेकिन लेखपालों को सरकार की तरफ से कोई मौका तो नहीं दिया जायगा दुरुस्त करने का।

श्री गेंदासिंह—यह जो गांव के चुनाव मेम्बर साहबान करेंगे उससे कितने दिन बाद गांव परताल किये जायेंगे?

श्री परमात्मानन्दसिंह—आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव जल्द हो जायगा असेम्बली का समय बचा करके।

श्री गेंदासिंह—गांव का चुनाव करने के बाद और परताल करने में सरकार को इस बात की कुछ जानकारी है कि कितने दिन का अन्तर पड़ेगा?

श्री परमात्मानन्द सिंह—यह तो कहा नहीं जा सकता। आदेश में साफ जाहिर है कि जहां तक हो सकेगा जल्द किया जायगा और विधान सभा की बैठक को बचा करके समय नियत किया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह आदेश कब भेजा गया और कब तक पूरी तरह से यह कार्यान्वित हो जायगा?

श्री परमात्मानन्दसिंह—आदेश २२ जनवरी को, एक आध दिन के अन्दर रवाना हो गया होगा परन्तु समाप्त कब होगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा जिन गांवों की तालिका परताल के लिये दी जायगी, क्या उसकी उपस्थिति के पहले उन गांवों की परताल लेखपालों के द्वारा हो चुकी होगी?

श्री परमात्मानन्दसिंह—ऐसी तो कोई संभावना नहीं मालूम होती है।

अलीगढ़ जिले में डंडेसरी ग्राम में कथित कत्ल

**८—श्री जगन्नाथप्रसादसिंह (जिला खीरी)—क्या सरकार को पता है कि ग्राम डंडेसरी, थाना सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में दिनांक ११ जनवरी, १९५८ को एक कत्ल हुआ था? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

शिक्षा उपमन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)---जी नहीं। ऐसी कोई सूचना पुलिस स्टेशन में या सरकार के पास नहीं आई। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र श्री भगवत दयाल सक्सेना का गृह मंत्री जी को प्राप्त हुआ है?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मुझे स्मरण नहीं है किसी ऐसे प्रार्थनापत्र का।

सीतापुर जिले की सिधौली तहसील में बिलिआंया कृषि फार्म का सरकार द्वारा क्रय

**९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि फरवरी, सन् १९५८ ई० में सीतापुर जिले की किसी तहसील में ८७,००० रुपये का कृषि फार्म सरकार द्वारा खरीदा गया है?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---जिला सीतापुर की तहसील सिधौली में स्थित बिलिआंया नाम का कृषि फार्म ८६,१८३ रु० ५० नये पैसे में खरीदा गया है?

**१०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)---यदि हां, तो खरीदे हुए फार्म का क्षेत्रफल क्या है तथा इसके अतिरिक्त तत्सम्बंधित और क्या सामान खरीदा गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त फार्म का क्षेत्रफल १०० एकड़ है तथा उस पर स्थित निम्नलिखित सामान खरीदा गया है:---

(१) इमारतें तथा दो पक्के कुयें।
(२) दो नल कूप।
(३) एक डनलप गाड़ी के लोहे का ढांचा।
(४) एक हाथ का पम्प।
(५) बाग।

गोंडा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत निर्धारित धन के सम्बन्ध में जानकारी

**११---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिला के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० तक उसमें से कितना व्यय हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार का वार्षिक आय-व्ययक विभागवार बनता है अतएव जिलेवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

देवरिया जिले की रामकोला चीनी मिल्स में नियत भाव से कम पर गन्ना लेना

**१२---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामकोला (देवरिया) चीनी मिल्स (पंजाबी) में गन्ना किसानों की हड़ताल गत ३ फरवरी, १९५८ से किन मांगों को लेकर हो रही है?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---देवरिया जिले की रामकोला पंजाबी चीनी मिल में ३ फरवरी, १९५८ से गन्ना किसानों की कोई हड़ताल नहीं चल रही है।

**१३---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास भी इस संबंध में कोई मांग आई है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों को नियत गन्ने के मूल्य से कम कीमत दिये जान की शिकायत प्राप्त हुई है। कीमत कम देने की वजह यह है कि रोड सन्टरों पर कीमत फासले के हिसाब से दी जाती है जिसके नियम केन्द्रीय सरकार ने बनाये हैं।

देवरिया जिले में रामकोला चीनी मिल्स के मालिकों और गन्ना उत्पादकों में झगड़ा

**१४—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) और श्री झारखंडेराय—क्या सरकार को मालूम है कि शुगर मिल रामकोला, जिला देवरिया के गन्ना उत्पादकों ने गन्ना देना बन्द कर के हड़ताल कर दी है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री रऊफ जाफरी—जिला देवरिया की रामकोला शुगर मिल के गन्ना उत्पादकों ने कोई हड़ताल नहीं की है।

**१५—श्री ब्रजनारायण तिवारी, श्री मदन पांडेय, और श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त घटना के संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

श्री रऊफ जाफरी—इस मिल में गन्ना उत्पादकों की कोई हड़ताल तो हुई नहीं परन्तु रामकोला (पंजाबी) शुगर मिल व मिल मजदूरों के बीच हुये झगड़े के संबंध में १० गिरफ्तारियां हुई हैं?

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो जवाब दिया है कि शुगर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़ा हुआ तो यह कौन सा झगड़ा है जो उनके बीच चल रहा है?

श्री रऊफ जाफरी—झगड़ा यह है कि वहां एक आदमी को अलग किया गया था। वहां ५ जनवरी को स्ट्राइक चालू हुआ और १५ तक चलता रहा। १५ तारीख को कुछ और मजदूर अलग किये गये। इसके बाद यह हुआ कि वहां पोलिटिकल पार्टीज पहुंच गईं और वह हड़ताल में दिलचस्पी लेने लगीं और यह रोकने की कोशिश की कि गन्ना वहां न पहुंचे मगर उसका कोई असर नहीं हुआ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जो हड़ताल मिल मालिकों के खिलाफ हो रही थी उसको तय कराने की दृष्टि से क्या कोई कदम सरकार ने उठाया?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, कोशिश की गई लेकिन कुछ पोलिटिकल पार्टीज इंटेरेस्टेड थीं इसलिये उन्होंने समझौते में रुकावट डाली।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो झगड़ा था और जिसमें कुछ आदमी गिरफ्तार किये गये थे क्या वह समाप्त हो गया?

श्री रऊफ जाफरी—झगड़ा तो खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि हड़ताल को कोई सपोर्ट किसानों से नहीं मिली। उनका नुकसान हो रहा था इसलिये ८ तारीख को हड़ताल खत्म हो गई।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी को सूचना है कि इन मजदूरों की मांगों की सहानुभूति में श्री जगन्नाथ दुबे और जानकी नाथ तिवारी ने भूख हड़ताल की और उनको जेल जाना पड़ा।

श्री रऊफ जाफरी—यह सही है कि दुबे जी ने हड़ताल की थी और आखिर में तिवारी जी भी शामिल हुए। जब उनकी हालत खराब हुई तो वह वहां से हटाकर अस्पताल में भेजे गये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन सी पोलिटिकल पार्टियां थीं?

श्री रऊफ जाफरी—उसमें एक तो श्री शिब्बनलाल जी हिस्सा ले रहे थे और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें इंटरेस्टेड थी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वहां की मजदूर यूनियन के ३५ कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से निष्कासन की नोटिस दी गयी है?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ दुबे की किसानों और मजदूरों के संबंध में मुख्य मांगें क्या थीं?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि मैंने पहले बतलाया, मिल मालिकों और मजदूरों के दरमियान गो स्लो स्ट्राइक के सिलसिले में जो झगड़ा था उसे वे भी सपोर्ट कर रहे थे और उसी की हमदर्दी में उन्होंने हड़ताल की थी।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि उनकी मुख्य मांगें किसानों और मजदूरों के सम्बन्ध में क्या थीं?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अर्ज किया कि पहले एक साहब को, जिनको कि वे कहते थे कि किसी यूनियन, गोकि वह रेकगनाइज्ड यूनियन नहीं है, के सेक्रेटरी हैं; निकाला गया था उसी सिलसिले में गो स्लो स्ट्राइक शुरू हो गयी। उसी की हमदर्दी में उन्होंने हड़ताल की थी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त मिल पर गाड़ियों का इतना जमघट लगा हुआ है कुछ दिनों से कि किसानों को दो-दो, तीन-तीन दिन तक वहां रुकना पड़ता है?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, चूंकि किसानों का सपोर्ट नहीं था इसलिये हड़ताल कामयाब नहीं हुई और वहां की केन यूनियन ने एक प्रस्ताव पास किया कि यह हड़ताल किसानों के लिए नुक्सानदेह है। उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। उसकी वजह से गन्ना ज्यादा आना शुरू हुआ। खैर, यह पता नहीं है कि ३–३, ४–४ दिन तक लोगों को इन्तजार करना पड़ता है?

तारांकित प्रश्न

[वित्त मंत्री द्वारा १० फरवरी, १९५८ के स्थगित प्रश्न]

राज्य के पश्चिमी जिलों को बिजली देने के लिए पंजाब सरकार से पत्र-व्यवहार

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए बिजली प्राप्त करने के लिए उसने पंजाब सरकार से लिखा-पढ़ी की है? यदि हां, तो कब?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। जनवरी, १९५३ से १९५५ के अन्त तक।

*२—श्री राघवेन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पंजाब सरकार व उत्तर प्रदेश के बिजली के रेट्स क्या-क्या हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रेट्स की सूची† सदन की मेज पर रखी है।

* * *

झांसी में हाथी मार्के की पल्टन की कैन्टीन में कपड़े पर बिक्री कर न लगाना

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी में हाथी मार्के की पल्टन की कैन्टीन में जो कपड़ा आता है उस पर सेल्स टैक्स व चुंगी क्यों नहीं लगती है?

वित्त मन्त्री के सभासचिव (श्री धर्म सिंह)—इस कैन्टीन पर कानून की रू से सेल्स टैक्स नहीं लगता है। इसके कपड़े की दरामद पर चुंगी लगती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—उक्त कैन्टीन न तो सरकारी कैन्टीन है और न सरकारी स्टोर्स से उसे माल मिलता है बल्कि वह कंज्यूमर्स कैन्टीन है, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी हालत में उसके ऊपर सेल्स टैक्स न लिये जाने की क्या वजह है?

श्री धर्मसिंह—वह मिलिटरी की कैन्टीन है और 'डीलर' की डेफ़नीशन में नहीं आती इसलिये उससे टैक्स नहीं लिया जाता।

* * *

बिक्री-कर से मुक्त की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी

*५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह निकट भविष्य में किन-किन वस्तुओं पर से बिक्री कर कम करने या उठा लेने पर विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह—ऐसा कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार ने कुछ वस्तुओं पर से बिक्री कर कम किया है या हटा लिया है। यदि हां, तो क्या सरकार उस आधार पर अपने प्रदेश में भी विचार करने की कृपा करेगी?

श्री धर्मसिंह—इस संबंध में तो एक संशोधन विधेयक आया था और उसमें यह बतला दिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स के बारे में क्या निर्णय किया है।

श्री गेंदासिंह—सस्ते गल्ले की जो दुकानें दुर्भिक्ष एरिया में चल रही हैं वहां के अनाज पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है, तो क्या सरकार उसको उठा देने की कृपा करेगी?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक उन्नति के लिए प्रार्थना

*६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि नई फैक्टरियों को बड़े-बड़े शहरों में खोलने की अनुमति देने के बजाय उन्हें उन क्षेत्रों में ही खोलने की अनुमति दी जाय जहां फैक्टरियां नहीं हैं और जो क्षेत्र पिछड़े हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ओर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री रऊफ जाफरी—जी, हां। सरकार सम्पूर्ण राज्य में औद्योगिक उन्नति के प्रति सजग है और हर क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए उचित सहयोग देती है। अतः किसी विशेष क्षेत्र में ऐसी उन्नति सीमित करना उचित नहीं समझती।

---

† सूची छापी नहीं गयी।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग-धन्धे खोलने के लिए विशेष धन नहीं दे रही है, इसका कोई खास कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सवाल तो बड़े कल-कारखाने खोलने के सिलसिले में था और उसी का जवाब दिया गया है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—मैंने यह पूछना चाहा था कि क्या सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों में बड़े-बड़े कल-कारखाने नहीं खोल रही है इसका कोई खास कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलने में दो बातों की जरूरत है । वहां पर पानी होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, रा मैटीरियल होना चाहिए । जो अन डेवलेप्ड हिस्से हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर के लोग जाने को तैयार नहीं होते । बड़े-बड़े कल-कारखाने सरकारी योजना के अन्तर्गत २, ३ हैं । उनके लिए जगह मुकर्रर है । इसलिये यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

गोंडा जिले में उद्योग-धंधों की उन्नति के विषय में जानकारी

*१०—श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कौन-कौन से उद्योग-धन्धे सरकारी सहायता से चल रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—खादी, गुड़, बेंत, काष्ठकला, चर्म, बुनाई, हथकरघा तथा चर्मशोधन उद्योग ।

*११—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से और उद्योग-धन्धे सरकार की ओर से चलने वाले हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में निम्नलिखित उद्योग चालू करने का आयोजन है:—

१—गुड़ उद्योग,
२—चर्म उद्योग,
३—हथकरघा उद्योग,
४—खादी उद्योग ।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक शिक्षालय योजना, पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्र विकास योजना तथा औद्योगिक सहकारिता योजना के अन्तर्गत भी विभिन्न उद्योगों के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले जाने तथा सहकारी समितियों का संगठन करने का आयोजन है ।

*१२—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गोंडा जिले में खरगपुर तथा मछली गांव बाजार में फूल के बर्तन बनते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग को विकसित करने का विचार रखती है ?

श्री रऊफ जाफरी—(क) जी हां ।

(ख) मगर उसमें विकास की कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं हो रही है ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चर्मशोधन का उद्योग कहां चल रहा है और इसमें क्या-क्या शिक्षा दी जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—चर्म शोधन के उद्योग में ट्रेनिंग होती है । चमड़ा सिझाया जाता है । यह कहां-कहां चल रहे हैं इसके लिए इस वक्त पता नहीं है ।

श्री बलदेवसिंह —यह काष्ठकला, चर्म शोधन और हस्त करघा इनमें से किसी की भी जानकारी माननीय मन्त्री जी को है कि ये किस स्थान पर चल रह ह ?

श्री रऊफ जाफरी—मलावां, तरबगंज तहसील में, बलरामपुर में एक सोसाइटी कायम हुई ह, ट्रेनिंग क्लासेज चल रहे हैं। इमामला बाड़ा में ट्रेनिंग वाली कोआपरेटिव सोसाइटी की अलग कोशिश है लेकिन उसकी पूरी इत्तला नहीं है। चमड़े का काम भी इटियाथोक में हो रहा है। इसी सूरत में लकड़ी की बढ़ईगीरी का काम भी वहां हो रहा है।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रशिक्षण शिविर कहां खोलने का इरादा है और कौन-कौन-सी ट्रेनिंग उसमें दी जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी—अभी यह चीज विचाराधीन है।

श्री बलदेवसिंह—जैसा उन्होंने बताया कि खरगपुर तथा मछली गांव में फूल के बर्तन बनते हैं तो क्या सरकार ऐसी कृपा करेगी कि इन कस्बों में बिजली दे दे ताकि यह उद्योग अच्छी तरह से चल सकें।

श्री रऊफ जाफरी—अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है।

* * *

राजकीय मुद्रणालयों के सम्बन्ध में शिकायतें

*१९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास प्रदेश के सरकारी प्रेसों के संबंध में गत फरवरी से अगस्त मासों में कोई शिकायत आई है ? वह शिकायत क्या ह ? सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकारी प्रेसों के संबंध में गत फरवरी से अगस्त मासों में सरकार के पास आई हुई तीन शिकायतों तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६४७पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि सरकारी प्रेसों के संबंध में आम शिकायत है कि वह चीजें और फार्म वी० पी० से नहीं भेजते और पत्रों का जवाब नहीं देते ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि शिकायतों से जाहिर है, ऐसी शिकायतें आई हैं। अक्सर होता यह है कि फार्म छपे नहीं होते या और कोई दिक्कतें हो जाती हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि आइन्दा ऐसी देर न हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी प्रेसों से विधान परिषद् की कार्यवाही दो-दो साल पीछे की भेजी जा रही है और क्या इस संबंध में कोई शिकायत आयी है ?

श्री रऊफ जाफरी—जो शिकायतें आई हैं वह तमाम सदन की मेज पर रख दी गयी हैं। इनमें यह शिकायत शामिल नहीं है।

श्री रामायण राय—शिकायतें दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—जो कर्मचारी हैं उनको हिदायत की जा रही है कि ऐसी शिकायतें आइन्दा न हों जहां तक मुमकिन हो, लेकिन यह काम कुछ ऐसा है कि बाज वक्त ऐसा हो जाता है कि फार्म छप कर तैयार नहीं होते हैं या और किसी वजह से देर हो जाती है। फिर भी इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि ऐसी शिकायतें न हों।

कानपुर में इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी खोलने का निश्चय

*२०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर नगर में शिक्षित नवयुवकों के टक्निकल प्रशिक्षण के लिए एक टेक्निकल इन्स्टीट्यूट खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रऊफ जाफरी—भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी कानपुर में खोलने का निश्चय किया है । यह नहीं कहा जा सकता कि यह कब तक खुलेगा ।

*२१—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस टेक्निकल इन्स्टीट्यूट का भवन निर्माण कब से प्रारम्भ होगा और इसमें कितना रुपया भारत सरकार देगी ?

श्री रऊफ जाफरी—भारत सरकार स्वयं भवन निर्माण का प्रबन्ध करेगी । प्रदेशीय सरकार को भी यह इत्तला नहीं है कि कब से भारत सरकार भवन निर्माण प्रारम्भ करेगी और उस पर कितना खर्च होगा ।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इसमें कौन-कौन से टेक्निकल कार्यों की ट्रेनिंग दी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी इतने ब्योरे की बातें नहीं कही जा सकतीं, लेकिन जो अब तक की इत्तला है मैं सदन के सामने रखे देता हूं । जो पहले प्रश्न पूछा गया था उसकी बाबत भी एक दो बातें मुझे मालूम हैं, क्योंकि अधिकारियों से दो-चार रोज हुये मुझसे बातचीत हुई है । भारत सरकार का विचार है कि वह कम से कम साढ़े चार करोड़ रुपया इस इंस्टीट्यूट के ऊपर खर्च करे और यह भी उनका खयाल है कि आगे चल कर यह रकम कोई ६ करोड़ या इससे ऊपर भी हो सकती है । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, उत्तर भारत में वह इस इंस्टीट्यूट को कहीं खोलना चाहते थे और कई राज्य सरकारों की तरफ से उनको आफर दिया गया था । हमने भी आफर किया था । यह खुशी की बात है कि हम सफल हुए और उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश में कायम करने का निश्चय किया । उनकी शर्त यह है कि सारा खर्च वह बर्दाश्त करेंगे लेकिन जमीन हम दें । हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जमीन दें । वह ऐसी जमीन चाहते हैं कि जो कानपुर के पास हो, दूर न हो और जहां बिजली आसानी स पहुंच सके और सब सुविधायें हों । उनका यह भी इरादा है कि अगर संभव हो तो इसी फाइनेंशियल इयर में, ३१ मार्च के पहले वह कुछ थोड़ा सा काम शुरू कर दें । जब यह ब्योरे की बातें तय हो जायं, तब यह तय हो सकेगा कि कौन-कौन विभाग वह इस इंस्टीट्यूट में खोलेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त इंस्टीट्यूट के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस समय इंस्टीट्यूट पूरा हो जायगा उस समय सात या साढ़े सात सौ एकड़ जमीन उसके पास होगी । अभी तो बहुत थोड़ी जमीन की उनको जरूरत है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि वह जमीन कानपुर में कहीं ऐक्वायर की गई है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके कुछ खास-खास आदमी आये थे और उन्होंने दो-तीन जमीनों को देखा है । कोई बिलकुल तय नहीं हुई है इसलिये ऐक्वायर होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में ५०० एकड़ जमीन इसके लिऐ ऐक्वायर कर ली गई है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, अभी ऐसा नहीं की गई है ।

* * *

एक-सूत्री कर लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

*२६—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार ने गल्ले पर १ अप्रल, १९५८ से एक-सूत्री कर (single point tax) लेने की घोषणा कार्यान्वित करने के लिये कोई अन्तिम स्कीम तैयार कर ली है ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, इस हेतु आवश्यक विधायन इस सदन में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और सदन से पारित भी हो गया है ।

*२७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तमंत्री के बजट भाषण की घोषणा कि "कपड़े, तम्बाकू और शकर की बिक्री पर सेल्स टैक्स सोर्स पर ही एक्साइज ड्यूटी पर सर चार्ज के रूप में लिया जायगा" कब से कार्यान्वित होगी ?

श्री धर्म सिंह—इन वस्तुओं पर सेल्स टैक्स की जगह अतिरिक्त सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी १४ दिसम्बर, १९५७ से लगा दी गई है ।

*२८—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में उक्त तीनों वस्तुओं के विक्रय से अलग-अलग कितना कर वसूल हुआ और क्या कर निर्धारण में उक्त परिवर्तन से वर्तमान सेल्स टैक्स के स्टाफ में किसी कमी की सम्भावना है ?

श्री धर्मसिंह—विगत वित्तीय वर्ष में कपड़ा, तम्बाकू और शकर से क्रमशः ३,५८,२६,२००, ५८,१९,७३३ और १,००,२०,६६२ रुपये की धनराशि सेल्स टैक्स के रूप में प्राप्त हुई थी।

१९५६-५७ की आखिरी तिमाही और १९५७-५८ के कर-निर्धारण के अंतिम होने के पश्चात् बिक्री-कर विभाग में उक्त परिवर्तन से कुछ मदों में यथासमय कमी होने की संभावना है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाल्टी प्वाइंट टैक्स से पहले साल में कितना रुपया एकत्रित हुआ और इसको सिंगिल प्वाइंट में परिवर्तित करने में कुछ कमी या बेशी का अनुमान है ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है । सरकार को आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स के बजाय तीन चीजों पर लगाने से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री धर्म सिंह—कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही और जो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है उससे कुछ ज्ञात हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह—क्या देशी चीनी पर स्टेट गवर्नमेंट ने केन्द्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देने की कोई सूचना दी है ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कपड़े के ऊपर सेल्स टैक्स सोर्स पर एक्साइज के साथ चलाने के कारण जो स्टाफ बचा है उसमें लेवी लगने के कारण दामों में विषमता है और क्या वह उस विषमता को दूर करने के लिये वे लेवी दूर करने जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं। दामों में विषमता नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा के एक व्यापारी की प्रार्थना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी कपड़े की बिक्री के संबंध में जो निर्णय किया है जिससे कि टैक्स वापस करना पड़ेगा तो उससे इस पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री धर्मसिंह—जी, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़े, तम्बाकू और शक्कर से एक्साइज ड्यूटी कितनी प्राप्त होने का अनुमान है और उसमें कितना प्रतिशत प्रदेश की सरकार को मिलेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त इतना ही कहा जा सकता है कि हमको इसमें जितनी आमदनी सेल्स टैक्स से होती रही है उससे कम आमदनी नहीं होगी बल्कि कुछ ज्यादा ही होगी, इतना तो निश्चय ही कहा जा सकता है। एक दूसरा प्रश्न यह था कि उसमें कितना प्रादेशिक सरकार को मिलेगा। उसकी बाबत तो यह तय हुआ है कि जो कुछ वसूल करने में खर्च होगा उसको काट कर जितनी भी आमदनी है वह सब प्रादेशिक सरकार को मिल जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह वृद्धि इसलिये भी होगी कि एक्साइज ड्यूटी की तरह, राज्य में जो सेल्स टैक्स ह, यह बाहर से ज्यादा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मुख्य कारण यह है कि बहुत से टैक्स का इवेंजन हो जाता है। बाजार में सामान आ जाता है और टैक्स नहीं मिल पाता है। अब सोर्स पर लेने से यह सम्भावना दूर हो जायगी।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में १५ रुपये से कम वेतन वालों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्रार्थना

*२९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के १५ रु० से कम पाने वाले कर्मचारियों पर महंगाई में ५ रुपया वृद्धि का नियम लागू होगा ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

इसका कारण यह है कि केसा को महंगाई का भत्ता औद्योगिक दर (Industrial rate) से दिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक दर में महंगाई भत्ता जो दूसरी जगह दिया जाता है, इसमें और उसमें कितना फर्क है ?

श्री धर्मसिंह—१९५७ में भत्ता ४८·९३ रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि वहां महंगाई भत्ता नवम्बर के हिसाब से देना चाहिए था और वह दिसम्बर के हिसाब से सरकार देने लगी है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए पूरे तरीके से लेबर डिपार्टमेंट के आदेश हैं और उन्हीं के आधार पर भत्ता दिया जाता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—इस बिजली कम्पनी में मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—लाग् है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---जब १९४८ में यह सब बात तय हुई थी कि नवम्बर के हिसाब से महंगाईभत्ता दिया जाय तो दिसम्बर के महीने के हिसाब से देने का क्या कारण है?

श्री धर्म सिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

* * *

आगरा उद्योग क्षेत्र में कार्य

*३४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या उद्योग मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि अब तक आगरा में खुलने वाले उद्योग क्षेत्र (Industrial Estate) में क्या-क्या काम हो चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४८ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब क्यों हो रहा है और अभी तक ५० फीसदी ही प्लाट क्यों एलाट हुये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—बहुत देर तो हो नहीं रही है। जो हो रही है उसकी वजह यह है कि अव्वल तो जमीन बराबर करके डेवलप करनी थी और पैसा भी जमा होना है। जैसे-जैसे १० परसेंट जमा होता जा रहा है एलाटमेंट होता जा रहा है।

* * *

सचिवालय के अधिकांश चपरासियों के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था न होना

*३६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय में कुल कितने चपरासी हैं ? इनमें से क्वार्टर कुल कितनों को मिला है ?

श्री धर्मसिंह---सचिवालय में कुल ८०५ चपरासी हैं। इनमें से क्वार्टर कुल १५२ चपरासियों को मिले हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या जिन ६५३ चपरासियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं उनके लिये प्रबन्ध करने का इरादा सरकार रखती है ?

श्री धर्मसिंह---इस समय तो कोई इस तरह का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। लेकिन समय-समय पर इस बात की कोशिश की जाती है कि चपरासियों के लिये भी क्वार्टरों की व्यवस्था की जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भीतर चपरासियों के लिये क्वार्टरों का प्रबन्ध करने का इरादा रखती है ?

श्री धर्मसिंह---सम्भव हुआ तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राजनारायण—जिन चपरासियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं क्या सरकार उनके रहने के लिये किसी भत्ते का प्रबन्ध करती है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या इसका पता सरकार को है कि इस मकान की कमी का सबसे अधिक भार चपरासियों के ही ऊपर पड़ता है ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि देखना पड़ेगा ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जिनके लिये क्वार्टर नहीं हैं क्या उनके लिये कोई हाउस एलाउन्स भी दिया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राजनारायण---जिन चपरासियों को क्वार्टर मिले हैं क्या उनसे सरकार कुछ किराया लेती है?

श्री धर्मसिंह---नियमों के अनुसार कार्यवाही होती है।

राज्य के भूतपूर्व कर्मचारियों की पेन्शन के रूप में विदेशों को धन भेजना

*३७—श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार को प्रतिमास राज्य के भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन के रूप में विदेशों को कितना धन भेजना पड़ रहा है? इस धन में से कितना रुपया इंगलैन्ड तथा कितना धन पाकिस्तान में भेजा जाता है?

श्री धर्मसिंह---इस राज्य के निवृत प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन की धनराशि के रूप में इस राज्य सरकार ने यूनाइटेड किंगडम तथा पाकिस्तान की सरकार को औसत रूप से क्रमशः ३,५८६ रुपया और १०,६९६ रुपया प्रति मास भुगतान किया। यूनाइटेड किंगडम की धनराशि में अन्य देशों को भुगतान की गई धनराशियां भी सम्मिलित हैं।

* * *

गोंडा जिले की नवाबगंज शुगर मिल को हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में कायम करने की योजना

*४१—श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला अलीगढ़ में कोई चीनी मिल या अन्य फैक्ट्री खोलने जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं, बल्कि गोंडा जिले की नवाबगंज शुगर मिल के मालिक अपने Idle gillain plant को हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में ले जाना चाहते हैं?

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिला अलीगढ़ में इस बात का सर्वे किया गया था कि वहां शुगर फैक्ट्री खुले?

श्री रऊफ जाफरी—सर्वे हुआ था। अगर यही फैक्ट्री गई, तो उनका आइडिल प्लांट है। लेकिन वहां जमीन व इमारत न हासिल हो सकने के कारण वह अभी तक नहीं जा सका है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिस प्लांट के अलीगढ़ में भेजे जाने की उन्होंने सिफारिश की है तो क्या केंद्रीय सरकार ने उनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है?

श्री रऊफ जाफरी—उसे ट्रांसफर करने की बात स्वीकार कर ली है। उसे शिफ्ट होने को नवाबगंज से, ८ लाख रुपया भी दे दिया गया है।

राज्य में बड़े कारखाने खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति

*४२—श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह प्रदेश में बड़े-बड़े कल कारखाने खुलावाने के लिये केंद्रीय सरकार से मांग कर रही है? यदि हां, तो उसमें कहां तक सफलता मिली?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। केंद्रीय सरकार ने मन्डुआडीह (वाराणसी) में इंजिन के कल पुर्जे बनाने का कारखाना बनाने की स्वीकृति दे दी है तथा मिर्जापुर में स्थित रिहन्ड क्षेत्र में एक अलुमिनियम प्लांट की स्थापना की बात चल रही है, और बरेली में एक सिन्थेटिक रबर प्लांट के स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उक्त सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ १-४-१९५६ से अब तक संलग्न अनुसूची में दिये हुए २७ नये कारखानों (large scale) की स्थापना के लिये (इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट और रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अधीन लाइसेंस दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६४९-६५१ पर)

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतावेगी कि मन्ड़ुआडीह में रेलवे का कारखाना खोलने में कितनी प्रगति हुई है?

श्री रऊफ जाफरी—वह बन रहा है। अभी काम चालू होने में देर है।

श्री नेकराम शर्मा—केंद्रीय सरकार से इस कारखाने के खुलने के लिये अभी तक कितना रुपया आ चुका है और कितना खर्च हो चुका है?

श्री रऊफ जाफरी—वह उसे बना रही है। उसका रुपया यहां आने का कोई सवाल नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—एल्यूमिनियम का कारखाना प्राइवेट सेक्टर में खुल रहा है या पब्लिक सैक्टर में, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—बिरला ब्रादर्स इसे करेंगे, प्राइवेट में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यू० पी० सरकार ने कौन से उद्योग खोलने की मांग की ?

श्री रऊफ जाफरी—जब कभी उद्योगपतियों से या और कहीं से कोई अर्जी आती है तो यू० पी० सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कि यहां कारखाने खोले जावें। पब्लिक सैक्टर में इन्हीं कारखानों की बातचीत हुई थी।

श्री नेकराम शर्मा—प्रदेशीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से कौन-कौन बड़े कारखाने खोलने की मांग की थी और उसमें से कितने मंजूर हुये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—केंद्रीय सरकार जिन कारखानों को खोलना चाहती थी, उन तमाम बड़े कारखानों को खोलने के बारे में प्रदेशीय सरकार ने कोशिश की जैसे कि स्टील व बिजली के सामान बनाने के कारखाने। मुख्तलिफ अन्य सरकारों ने भी उनके लिये मांग की थी लेकिन हमारी सरकार की यह कोशिश थी कि उनमें से १,२ या ३ कारखाने यू० पी० के हिस्से में भी आ जायं।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—क्या यह सही है कि इस एल्यूमिनियम के कारखाने को सरकार पहले पब्लिक सेक्टर में खोलने जा रही थी ? यदि हां, तो उस इरादे को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में बिरला को वह कारखाना देने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—देने वाली यह सरकार नहीं है, केंद्रीय सरकार देती है। सिर्फ सवाल यह था कि वह कारखाना कहां खोला जाय। अगर आपकी मर्जी हो तो वह यू० पी० से हटा कर किसी दूसरी जगह लगवा दिया जाय। यहां की सरकार ने तो यही कोशिश की थी कि यू० पी० में ही लग जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या बरेली में भी कोई कोच फैक्टरी खोलने का सरकार का विचार था ? यदि था, तो उसका क्या हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हां, था तो। लेकिन अभी वह न मंसूख हुआ है और न शुरू हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि एल्यूमिनियम और सिंथेटिक रबर, ये दोनों कारखाने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खत्म होने से पूर्व ही बन जायेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हां, उनकी बाबत सेंटर की यही कोशिश है कि वे इस पंचवर्षीय योजना में खुल जायं और मुमकिन है खुल भी जायं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हाथरस और आगरा के बीच में जो फर्टिलाइजर फैक्टरी खुलने वाली थी उसका क्या हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो बहुत दिन पुरानी बात है। उस वक्त य० पी० की यह कोशिश थी कि हमारे प्रदेश में खुल जाय लेकिन अब तो उसे जहां लगना था, लग चुकी है।

* * * *

रायबरेली जिले में खुलने वाले कुटीर उद्योग

*४४—श्री गुप्तारीसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में कुटीर उद्योग की संस्थायें कहां-कहां खुलने जा रही हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४५—श्री गुप्तारीसिंह—क्या सरकार जिला रायबरेली के अन्तर्गत थाना सरेनी में कुटीर उद्योग के छोटे-छोटे कारखाने खोलने पर विचार कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

देवरिया जिले में बाढ़ क्षेत्रों में उद्योग धंधे खोलने की प्रार्थना तथा भटनी चीनी मिल में कथित झगड़ा

*४६—श्री उग्रसेन—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के प्रमुख बाढ़ केंद्रों—बरहज, रुद्रपुर, लार, भाटपार, तमकुही रोड, पडरौना, भागलपुर में गृह उद्योग धंधे को चालू करने का प्रबन्ध हो रहा है? यदि हां, तो किन-किन उद्योगों का प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह केंद्रीय सरकार से देवरिया जिले में बरहज में जूट मिल्स खोलने के लिये आग्रह कर रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार केंद्र से ऐसी प्रार्थना करने की कृपा करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) जी नहीं।

(ख) यदि किसी उद्योगपति से बरहज में जूट मिल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा तो सरकार उस पर विचार करेगी।

*४८—श्री उग्रसेन—क्या सरकार भटनी चीनी मिल के मालिकों में समझौता कराने के लिये प्रयत्न करने को सोच रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, न उनमें कोई झगड़ा हो रहा है।

उझानी, जिला बदायूं में नये पावर कनेक्शन

*४९—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उझानी (बदायूं) में सन् १९५६ से अब तक कितने नये पावर कनेक्शन्स मंजूर किये गये हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उझानी में १९५६ से जुलाई १८, १९५७ तक ७५ नये पावर कनेक्शन्स स्वीकार किये गये हैं।

*५०—श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने एस्टीमेट और सिक्योरिटी का रुपया जमा कर दिया है और कितने लोगों को कनेक्शन दे दिये गये हैं?

नोट—तारांकित प्रश्न ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इनमें से २३ व्यक्तियों ने एस्टीमेट और सिक्योरिटी का रुपया जमा कर दिया है और २१ व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिये गये हैं।

* * * *

सीतापुर जिले की बिसवां चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*५६—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर फैक्टरी बिसवां, जिला सीतापुर ने सन् १९५६-५७ में कितने गन्ने की पेराई की ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—३९.६२३ लाख मन।

*५७—श्री गनेशीलाल चौधरी—कितना गन्ना पेरने के लिये किसानों का खेत में खड़ा रह गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—शुगर फैक्टरी बिसवां अपने एरिया का सभी उपलब्ध गन्ना पेर कर ३ जुलाई,१९५७ को बन्द हुई। अतः गन्ना खेतों में खड़ा रह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५८—श्री गनेशीलाल चौधरी—अब तक कितने किसानों को पैसा यूनियन द्वारा नहीं दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लगभग ४७७२ किसानों को उनके गन्ने का पूरा पैसा अभी तक यूनियन द्वारा नहीं दिया जा सका है।

* * * *

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में खादी केन्द्र

*६१—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार ने गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में खादी विकास योजना के अन्तर्गत कोई केंद्र चालू किया है? अगर हां, तो कहां ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(अ) जी हां।

(ब) एक केन्द्र निचलौल में तथा दूसरा सिसवा बाजार में।

* * * *

मिर्जापुर के कालीनों का पोलैन्ड को निर्यात

*६३—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मिर्जापुर के कितने कालीनों के निर्यात की मांग पोलैन्ड सरकार से आयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वर्ष लगभग १५,००० रुपये के मूल्य के कालीन पोलैन्ड को भेजे गये। इसके अलावा कोई आर्डर बाकी नहीं है।

*६४—श्री गनेशीलाल चौधरी—कालीनों की किस्म (quality) अच्छी करने के लिये सरकार द्वारा इस दिशा में कौन से कदम उठाये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कालीनों की किस्म सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्वालिटी मार्किंग योजना चालू की गई है।

* * * *

काटेज इन्डस्ट्रीज के लिए अनुदान तथा ऋण

*६७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने उत्तर प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिये गत वित्तीय वर्ष में कितना रुपया किस किस जिले में अनुदान या ऋण में दिया और कितना अन्यथा व्यय किया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिये गत वित्तीय वर्ष में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान व ऋण की सूचियां† क्रमशः के तथा ख सदन की मेज पर रख दी गई हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत भिन्न भिन्न जिलों में अन्यथा व्यय किये गये धन की सूचियां† भी सदन की मेज पर रख दी गयी हैं:—

(१) जिलाधीशों द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योग हेतु वितरित ऋण		सूची ग
(२) गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत तकावी ऋण	..	सूची घ
(३) खादी योजना के अन्तर्गत अनुदान	..	सूची ङ
(४) पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत ऋण व अनुदान	...	सूची च
(५) चर्म-शोधन योजना के अन्तर्गत ऋण व अनुदान	..	सूची छ
(६) हस्तकर्घा योजना के अन्तर्गत ऋण व अनुदान	..	सूची ज

हरदोई जिले में कृषिक यंत्र बनाने के लिए ऋण

*७४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में जिस समय से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का कार्यालय खुला है कितने व्यक्तियों को और कितना रुपया किन-किन कार्यों के लिये ५ अगस्त, १९५७ तक दिया गया ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक व्यक्ति को ५,००० रुपये का ऋण यंत्र बनाने के हेतु दिया गया।

*७५-७६—श्री सुल्तान आलम खां—[सातवें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ८५–८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शाखा खोलने का सुझाव

*७३—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार का जिला फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ में राजकीय बैंक (State Bank of India) की शाखा खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—राजकीय बैंक (State Bank of India) की शाखायें खोलने का अधिकार Bank को ही है । सरकार ने Bank को फतेहगढ़ (जिला फर्रुखाबाद) में शाखा खोलने का सुझाव दिया है ।

बरेली जिले में राब और खांड के व्यापारियों को सेल्स टैक्स के नोटिस

*७८—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में सन् १९५६–५७ में कितने राब और खांड के व्यापारियों को सन् १९५२–५३ व १९५३–५४ व १९५५–५६ में सेल टैक्स के नोटिस दिये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट की धारा २१ के अधीन १९५६–५७ में बरेली जिले के राब और खांड के व्यापारियों को १९५२–५३ के सम्बन्ध में २७ और १९५३–५४ के सम्बन्ध में २१ नोटिस दिये गये । १९५५–५६ के संबंध में इन व्यापारियों को इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया ।

---

†सूचियां छापी नहीं गयी हैं ।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

इटावा जिले में सब्जी व शोरा के कारखाने को बढ़ाने की योजना

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सब्जी व शोरा के कितने छोटे कारखाने हैं तथा सरकार ने इस योजना के अपनाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

(क) २३

(ख) जी हां ।

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में चारपाई के बान बटने के उद्योग की क्या दशा है तथा सरकार इस उद्योग की उन्नति के लिये क्या कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

(क) इटावा जिले में चारपाई के बान बटने का उद्योग किसी विशेष मात्रा में नहीं है ।

(ख) सरकार ने इस उद्योग की उन्नति के लिये कोई योजना नहीं बनाई है ।

[१७ फरवरी १९५८ के लिये रखे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

झांसी जिले में अरजार तालाब की स्केप ऊंची करने से भूमि का जलमग्न होना

*१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि अरजार (झांसी) के तालाब का स्केप ऊंचा कर दिये जाने के कारण चार ग्रामों की लगभग ७०० एकड़ जमीन डूबी रहने लगी है ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राममूर्ति)—अरजार तालाब (झांसी) की स्केप (escape) १/२ फीट ऊंचा कर देने के कारण उत्तर प्रदेश में २३७.८९ एकड़ भूमि जल मग्न हुई ।

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में उक्त ग्रामों की जनता के कुछ आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुये हैं ? यदि हां, तो उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—जी हां । जिन किसानों की भूमि इस प्रदेश में स्थित है उनको उक्त भूमि का उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिये जाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु किसान इस पर सहमत न हुए क्योंकि वर्षा के पश्चात् उक्त भूमि जलमग्न नहीं रहती और वे उस पर रबी की अच्छी फसल पैदा कर लेते हैं ।

आजमगढ़ जिले में टाण्डा पम्प नहर को बढ़ाने की प्रार्थना

*३—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टांडा पम्प कैनाल की शाखा आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के मन्दुरी नामक ग्राम तक आकर थोड़ी दूर ऊसर जमीन में बनने के बाद बन्द हो गई है ? यदि हां, तो इसका निर्माण-कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति—जी हां । यह शाखा केवल ५ मील ४ फर्लांग की लम्बाई तक बनाई गई है और इसके आगे इसका विस्तार करने का कोई विचार नहीं है ।

*४-५—श्री मुक्तिनाथ राय—[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

सरदारनगर चीनी मिल, जिला देवरिया को ग्रामोन्नति सहकारी भण्डार, कमलसागर, जिला आजमगढ़ से गन्ने की सप्लाई

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार नगर चीनी मिल, जिला देवरिया की ओर से कितना रुपया ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर, पोस्ट रामपुर, जिला आजमगढ़ को गन्ने का विकास करने हेतु गत पांच वर्षों में दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कोई रुपया नहीं दिया गया ।

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त भंडार से प्रति वर्ष ५० हजार मन से अधिक गन्ना खरीद कर उक्त मिल को दिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, १९५४-५५, १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में ग्रामोन्नति सहकारी भंडार कमलसागर ने ५० हजार मन से अधिक गन्ना खरीद कर सरदार नगर चीनी मिल को दिया है ।

आगरे में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, चूने और इटावा में सुअर के बाल के उद्योग को बढ़ाने की जानकारी

*८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में मिट्टी के बर्तनों और खिलौना आदि के उद्योग की उन्नति के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा आगे क्या करने का विचार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है और न आगे कोई ऐसी योजना चलाने का विचार है ।

*९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में चूने के उद्योग की उन्नति के लिये उसने क्या कार्यवाही की है तथा आगे क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने आगरा शहर में चूने के उद्योग की उन्नति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है और न इस संबंध में कोई कार्यवाही विचाराधीन है ।

*१०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इटावा में सुअरों के बालों का कोई उद्योग खोलने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इटावा में सुअरों के बालों का कोई उद्योग खोलने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि वहां उसके चलने की गुंजाइश नहीं मालूम होती ।

कपड़ा व्यवसायियों की मांग

*११—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कपड़ा व्यापारियों का कोई डेपुटेशन उनसे कपड़ा लाइसेंस व उसकी फीस के सम्बन्ध में गत २८ अगस्त को तथा उससे कुछ पहले मिला था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां । कपड़ा व्यवसायियों की यह मांग थी कि इस प्रदेश में कपड़ा व सूत व्यापारियों की लाइसेन्स प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय । राज्य सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया और यह निश्चय किया कि चालू वर्ष में इस प्रणाली को समाप्त करना सम्भव नहीं है । अगले वर्ष इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

राज्य में विभिन्न साधनों से सिंचाई की दरें

*१२—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय प्रदेश में नहर व ट्यूबवेल्स पर आबपाशी की दरें क्या-क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—उत्तर प्रदेश के विभिन्न सिंचाई कार्यों द्वारा की जाने वाली सिंचाई पर निम्नांकित † अनुसूचियों में अंकित दरों के अनुसार परिव्यय होता है ।

*१३—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रदेश में आबपाशी की दरों को समान करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है और न सब सिंचाई कार्यों की दरों को समान करना सम्भव ही है, क्योंकि जिन आधारों पर वे अवलम्बित हैं वे उक्त कार्यों पर भिन्न-भिन्न हैं ।

प्रावैधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण देने की व्यवस्था

*१४—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब विद्यार्थियों को स्कालरशिप दिये जाने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में निर्धन विद्यार्थियों के लिये निर्धनता के आधार पर स्कालरशिप दिये जाने की कोई व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से नहीं है । रुड़की विश्वविद्यालय में योग्यता छात्रवृत्तियां (merit Scholarships) दी जाती हैं ।

*१५—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार ने इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई कर्ज देने की व्यवस्था भी की है ? यदि हां, तो किस आधार पर और उसकी क्या सीमा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उद्योग विभाग की ओर से प्रावैधिक तथा वैज्ञानिक (technical and Scientific) शिक्षा के लिये ऋण देने की योजना है जिसके अन्तर्गत योग्य विद्यार्थियों को भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिये ५,००० रुपये तक और विदेश में प्रशिक्षण के लिये १०,००० रुपये तक ऋण मिल सकता है । इस ऋण योजना के नियमों की एक प्रतिलिपि मेरी मेज पर रखी है और माननीय सदस्य द्वारा देखी जा सकती है ।

अलीगढ़ जिले की सिकन्दराराऊ तथा अतरौली तहसीलों में बिजली देने की मांग

*१६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह तहसील सिकन्दराराऊ तथा अतरौली (अलीगढ़) के किन-किन गांवों में बिजली देने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इन ग्रामों मे बिजली लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*१७—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कस्बा पुरदिलनगर हसायन तथा कचौरा, जिला अलीगढ़ में कब तक बिजली देने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इन ग्रामों में बिजली लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

---

† अनुसूचियां छापी नहीं गयीं ।

*१८—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतला सकती है कि पुरदिलनगर कस्बे की जनता द्वारा बिजली की मांग का पहला मांगपत्र कब सरकार के पास आया था और उस मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक प्रार्थना पत्र सन् १९५४ के अन्त में आया था। चूंकि यह नगर लोअर गेन्जेज जमुना इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रब्यूटिंग कम्पनी लिमिटेड, अलीगढ़ के क्षेत्र में आता है, कम्पनी से इस नगर में बिजली लगाने के लिये कहा गया। उपरोक्त कम्पनी लिक्विडेशन (liquidation) में होने के कारण नगर का विद्युतीकरण करने में असमर्थ रही।

बरेली तथा बहेड़ी चीनी मिलों में गन्ने की कीमत से कथित कटौती

*१९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को पता है कि चालू सीजन में प्रदेश की बरेली तथा बहेड़ी मिलों में किसानों के गन्ने की कीमत में से वैधानिक कटौती के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कटौती का विवरण सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। वर्तमान सीजन में बरेली तथा बहेड़ी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य में कोई अवैधानिक कटौती नहीं की जा रही है।

देवरिया शुगर मिल द्वारा केन डेवलपमेंट यूनियन, बरहज का गन्ना रोकना

*२०—श्री उग्रसेन—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन डेवलपमेन्ट यूनियन, बरहज का १९५६-५७ का गन्ना बिक्री कमीशन अभी तक देवरिया शुगर मिल लिमिटेड, देवरिया ने नहीं दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। देवरिया की देवरिया शुगर मिल ने केन डेवलपमेंट यूनियन बरहज द्वारा कम गन्ना सप्लाई होने से हुई क्षति के कारण अपनी मुआवजा दिलाने की मांग के सम्बन्ध में इस यूनियन का गन्ना बिक्री कमीशन बाबत १९५६–५७ सीजन का लगभग ४,७१३ रू० अभी तक रोक रक्खा है। इस मामले को जल्दी तय करने की कोशिश हो रही है।

गोरखपुर जिले में रोहिन नदी पर मिश्रबलिया बांध बनने से जमुहानी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की असुविधा

*२१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोहिन नदी के बांध मिश्रबलिया, जिला गोरखपुर से रोहिन नदी के बाई तरफ सिंचाई की कोई योजना बनाई थी ? यदि, हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—जिला गोरखपुर में रोहिन नदी पर मिश्र बलिया बांध के बाईं ओर वाले इलाके की सिंचाई के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गयी।

*२२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या यह सत्य है कि रोहिन नदी के बाईं तरफ जमुहानी इलाके के दस गांव के किसान मिश्रबलिया बांध बनने के पहिले रोहिन नदी बांध कर सिंचाई कर लेते थे अब बांध बांध जाने के कारण नहीं कर पाते ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—यह ठीक है कि रोहिन नदी के बाईं ओर स्थित जमुहानी इलाके के दस गांव के किसान मिश्र बलिया बांध बन जाने के पहिले अपने इलाके की सिंचाई रोहिन नदी पर स्वयं बांध बनाकर कर लिया करते थे। इस इलाके के किसान अब भी सरकारी बांध के नीचे स्वयं बांध बनाकर आवश्यकतानुसार सिंचाई कर सकते हैं।

*२३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या यह सत्य है कि बांध बांधकर नहर निकालने के बाद जमुहानी इलाके के उपरोक्त दस ग्राम रोहिन नदी के पानी न मिलने के कारण गत तीन वर्षों से सूखा व अकाल से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो सरकार उन किसानों की क्या सहायता कर रही है ?

श्री राममूर्ति—गत दो वर्षों में सूखा नहीं पड़ा था । अतः पानी की आवश्यकता न होने के कारण इस इलाके के किसानों ने रोहिन नदी पर बांध नहीं बनाया था, इस वर्ष सूखा पड़ने के कारण किसानों ने अपने पुराने स्थान पर बांध बांधा था परन्तु ऊपर की ओर स्थित अन्य ग्रामों के निवासियों ने एक और बांध बांधकर पानी अपने खेतों की सिंचाई के लिए रोक लिया। पानी की कमी होने के कारण जमुहानी इलाके के किसान सन्तोषजनक सिंचाई की व्यवस्था न कर सके। सिंचाई विभाग द्वारा इन किसानों को कोई सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई योजना

*२४—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर के बहरियाबाद परगने में सिंचाई की कौन-सी योजना सरकार के समक्ष है ?

श्री राममूर्ति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर जिले के बहरियाबाद परगने में सारदा सागर (द्वितीय चरण) से सिंचाई की व्यवस्था है ।

*२५—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में दूसरी पंच वर्षीय योजना में कितने नलकूप लगने की योजना है तथा किन-किन स्थानों पर ?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १०० नलकूप लगाए जाने की योजना है ।

जिन स्थानों पर नलकूप बनाए जाने का कार्य आरम्भ हो चुका है उनके नाम निम्नलिखत हैं:—

१—चन्दीपुर
२—पूरा अहीरन
३—तरांव
४—रामपुर मांझा
५—नारीपचदेवरा
६—देवचन्दपुर
७—हाजियाबाद
८—कोयलवार
९—विशुनपुर कलां
१०—मुस्तफाबाद
११—बौरवा
१२—परसानी
१३—अमौरा
१४—अचौरी
१५—वराहपुर
१६—सौना
१७—सराय गोकुल
१८—ओरलई
१९—नेवादासनी
२०—बूद्पुर
२१—इमानुद्दीनपुर
२२—बिजवा
२३—सिसवारडीह
२४—गंडपाह
२५—नसीरपुर गंधपाह
२६—मुबारकपुर
२७—नियाबखास
२८—नसीरपुर
२९—बेनीपुर
३०—पतार
३१—बवरी
३२—धरमगतपुर
३३—जमानिया
३४—असावर
३५—नेवादा
३६—बांकी
३७—नसीरूद्दीनपुर
३८—फजलगंज
३९—मुस्तफाबाद
४०—पंहुची
४१—जमालपुर
४२—परसा

उद्योग विभाग की पब्लिसिटी वान का दुर्घटना ग्रस्त होना

*२६--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि उद्योग विभाग की पब्लिसिटी वान कानपुर से इटावा जाते समय तारीख २३-७-५७ को एक वृक्ष से टकरा गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां ।

*२७--श्री गनेशीलाल चौधरी--यदि हां, तो सरकार की कितनी क्षति हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वान का अगला हिस्सा टूट गया, लेकिन मशीनरी तथा मोटर को कोई नुकसान नहीं हुआ ।

*२८--श्री गनेशी लाल चौधरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें कितने आदमी मरे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एक ।

*२९--श्री सुल्तान आलम खां--[दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खीरी जिले में मिलों द्वारा पूरा गन्ना न पेरने की शिकायत

*३०--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार बतायेगी कि खीरी जिले में कितना गन्ना अभी किसानों के खेतों में खड़ा है जो ७ जुलाई तक मिलों के चलाने के बाद भी खेतों में खड़ा रह गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--लखीमपुर खीरी जिले की चीनी मिलें सभी प्राप्त गन्ना क्रश हो जाने पर ७ जुलाई के बजाय ११ जुलाई, १९५७ तक चल कर बन्द हुईं ।

*३१--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गन्ना जो खेतों में खड़ा है उसका कोई मूल्य मिल वालों से किसानों को दिला सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्रश्न नहीं उठता ।

*३२-३३--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलरामपुर रियासत के पुराने नलकूपों को पुनः चालू करने की प्रार्थना

*३४--श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बलरामपुर (जिला गोंडा) रियासत के द्वारा बन्द कर दिये गये नलकूपों को सरकार द्वारा पुनः चलाने की कोई योजना है ।

श्री राममूर्ति--बलरामपुर राज्य के नलकूप ३० साल से अधिक पुराने हैं और सरकार के लिये वर्तमान स्थिति में उनके प्रबन्ध को लेना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है । अतः ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*३५--श्री दशरथ प्रसाद--[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में बिजली की दरें

*३६--श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी, रुदौली में जो हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्टेशन बनने वाला है वह कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्टेशन से रुदौली कस्बे को भी बिजली दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ऐसी कोई योजना नहीं है । रुदौली का विद्युतीकरण २५ जनवरी, १९५८ को हो गया है ।

*३७---श्री मुकुटविहारी लाल अग्रवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में बिजली की विभिन्न दरें क्या हैं और उन में असमानता क्यों है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बाराबंकी जिले में बिजली बाराबंकी बिजली कम्पनी तथा विद्युत विभाग द्वारा दी जाती है जिनकी विभिन्न दरें संलग्न तालिका में दी हुई हैं ।

दरों में असमानता का कारण यह है कि एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९५६, के अनुसार लाइसेंसी अपनी दरें निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र है, जब तक उसका मुनाफा निर्धारित सीमा से न बढ़े । ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले सरकार दरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६५२-६५३ पर)

कुमायूं में खोले गये उद्योग-धंधे

*३८---श्री प्रताप सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने उद्योग धन्धे सरकार की ओर से खोले गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुमाऊं में ऊन उद्योग, ताड़ गुड़ उद्योग, हस्त कर्घा उद्योग तथा चर्म-शोधन उद्योग सरकार द्वारा खोले गये । इसके अतिरिक्त औद्योगिक शिक्षालय योजना, औद्योगिक सहकारिता योजना तथा पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के लिये औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत अनेक उद्योगों को विकसित एवं प्रोत्साहित किया गया ।

*३९---श्री प्रतापसिंह---उपरोक्त धन्धों में कितने धन्धे छोटे और कितने बड़े उद्योग-धन्धे खोले गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उपरोक्त सब धंधे कुटीर अथवा छोटे उद्योग-धंधे थे ।

फ्रूट युटिलाइजेशन विभाग का खुलना

*४०---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (Fruit Utilization) विभाग उत्तर प्रदेश में कब से खुला है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---फ्रूट युटिलाइजेशन (Fruit Utilisation) विभाग मई सन् १९५३ से खुला है ।

सहारनपुर जिले की विधवा व असहाय महिलाओं तथा बेरोजगार हरिजनों की सहायता के लिए प्रार्थना

*४१---श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधवा व अनाथ एवं वृद्धा महिलाओं के लिये जीविकोपार्जन करने के लिये जिला सहारनपुर में क्या-क्या उद्योग धन्धे स्थापित किये गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं चलाई है जो सिर्फ विधवा, अनाथ व बूढ़ी औरतों के लिये ही हो ।

*४२---श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में बेरोजगार हरिजन स्त्री तथा पुरुषों को जीविका देने के लिये क्या-क्या उद्योग-धन्धे स्थापित किये गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जिला सहारनपुर में केवल बेरोजगार हरिजन स्त्री तथा पुरुषों को जीविका देने के लिये कोई विशेष उद्योग-धंधे नहीं स्थापित किये गये हैं । जिले में चलने वाले समस्त उद्योग-धंधों के अन्तर्गत हरिजनों को भी सुविधा दी जाती है ।

फीरोजाबाद के लिए हाइडिल एलेक्ट्रिक ग्रिड रुड़की से कनेक्शनों की स्वीकृति

*४३--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में फीरोजाबाद की जनता को पावर के कितने कनेक्शन सुपरिंटेंडेंट इन्जीनियर, हाईडिल, इलै० ग्रिड, रुड़की, द्वारा स्वीकृत किये गये हैं तथा उनमें से फीरोजाबाद की बिजली सप्लाई कम्पनी ने कितने को यह पावर कनेक्शन दे दिये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पिछले तीन वर्षों में (३१ जुलाई, १९५७ तक) ७४१ पावर कनेक्शन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर द्वारा स्वीकृत किये गये । इसमें से कोई भी कनेक्शन बिजली कम्पनी द्वारा अभी तक नहीं दिया गया ।

*४४--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार फीरोजाबाद तहसील में निकटवर्ती गांवों में बिजली सप्लाई करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है, तथा उक्त योजना के अन्तर्गत गांवों की जनता को कब तक बिजली मिलने लगेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले में गम्भीरवन ताल से नाला निकालने की योजना

*४५--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के गंभीरवन ताल से जो नहर निकालने की प्रार्थना जनता ने की है उसके सर्वे की रिपोर्ट अभी तक मिली कि नहीं ?

श्री राममूर्ति--गम्भीरवन ताल से नहर नहीं बल्कि नाला (ड्रेन) निकालने की योजना है । ड्रेन का सर्वे किया जा चुका है ।

*४६--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--यदि हां, तो इस नहर का निर्माण कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--इस ड्रेन का प्रोजेक्ट (एस्टीमेट) तैयार किया जा रहा है । उसकी स्वीकृति हो जाने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

आजमगढ़ जिले में खलीलाबाद के निकट बनजरिया गांव में कालोनी बनाने की योजना

*४७--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि खलीलाबाद में नलकूप नं० ८९ पर नलकूप कालोनी बनाने का विचार क्यों त्याग दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--नलकूप न० ८९ खलीलाबाद पर नलकूप कालोनी बनाना कभी निश्चित नहीं किया गया था । यह स्थान और स्थानों के साथ कालोनी बनाने के लिए विचाराधीन था । क्योंकि यह स्थान नीचा है और अधिक बरसात हो जाने पर इसमें पानी भर जाता है इस कारण यह स्थान कालोनी बनाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया ।

*४८--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि अब वह नलकूप कालोनी कहां बनाने का विचार है ?

श्री राममूर्ति--अब इस को नलकूप कालोनी नं० ३७ खलीलाबाद के पास ग्राम बनजरिया में बनाये जाने का विचार है ।

*४९--श्री झारखंडेराय---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के पूना पार के पास से बहने वाली छोटी सरयू के बांये तट पर सिकन्दरपुर से भीरा (नरवा सराय) तक बांध बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति---सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*५०-५२---श्री जगदीशशरण अग्रवाल---[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १०६-१०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

भटनी चीनी मिल का पुनः चालू होना

*५३--श्री उग्रसेन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन शर्तों पर चीनी मिल भटनी (देवरिया) इस वर्ष चालू की गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस वर्ष भटनी चीनी मिल गन्ना क्रश करने के लाइसेंस में उल्लिखित आम शर्तों पर चालू की गई ।

*५४---श्री उग्रसेन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिल के पुराने ६७८ मजदूरों को क्यों नहीं काम पर लिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---भटनी मिल के नये मालिकों तथा मिल मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार पुराने मजदूरों को जो काम की योग्यता रखते हों, काम पर लिया जाना तय पाया गया ।

केसर शुगर मिल, जिला बरेली पर किसानों का बकाया

*५५---श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केसर शुगर मिल, जिला बरेली पर सन् १९५६-५७ ई० का कितना रुपया काश्तकारों का बाकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जिला बरेली की केसर शुगर मिल पर काश्तकारों के गन्ने की कीमत के बाबत १९५६-५७ का कोई रुपया बाकी नहीं है ।

*५६---श्री नत्थूसिंह---क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५६ में केसर शुगर मिल ने गन्ने का भाव १-७-० के बजाय एक रुपया साढ़े तीन आना फी मन काश्तकारों को दिया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां ।

*५७---श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार, यह बताने की कृपा करेगी कि गत नवम्बर, में गन्ने का क्या भाव केसर मिल में दिया जा रहा था या पर्ची पर लिखा जा रहा था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गत् नवम्बर १९५७ में इस मिल की पर्ची पर गन्ने की कीमत अस्थायी रूप से १ रु० ४ आना प्रति मन के हिसाब से लिखी जा रही थी ।

सुल्तानपुर जिले की कादीपुर तहसील में नदियों द्वारा भूमि का कथित कटाव

*५८---श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि सुल्तानपुर जिले की कादीपुर तहसील की भूमि का अधिक भाग गोमती, ममुई, पीली, कुअर नदियों तथा इनके बड़े नालों द्वारा कटता जा रहा है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न हो रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं । ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*५९—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

वाराणसी जिले के जाल्हूपुर, कठहर व सुल्तानीपुर परगनों में नलकूप योजना

*६०—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना जाल्हूपुर, कठहर व सुल्तानीपुर वाराणसी में कितने नलकूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाये जाने वाले हैं तथा कहां कहां ?

श्री राममूर्ति—परगना जाल्हूपुर, कठहर व सुल्तानीपुर, जिला वाराणसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २१ नलकूप बनाने की योजना है । इसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६५४ पर)

*६१—श्री लोकनाथसिंह—[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोंडा जिले के नलकूप

*६२—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कुल कितने (सरकारी) ट्यूबवेल हैं ? उनमें कितने चल रहे हैं और कितने नहीं चल रहे हैं और न चलने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—गोंडा जिले में कुल ९५ सरकारी नलकूप हैं । सभी नलकूप चल रहे हैं ।

मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी में पत्थर की कथित कमी

*६३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी में पत्थर की कमी होने के कारण उस फैक्टरी को दूसरे स्थान पर ले जाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

टेहरी-गढ़वाल जिले में फल उपयोगिता विभाग के कार्य

*६४—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरीगढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फल उपयोगिता विभाग, उत्तर प्रदेश ने गढ़वाल व टेहरी-गढ़वाल में प्रारम्भ से अब तक क्या कार्य किये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सन् १९५३ से जब से फल उपयोगिता विभाग स्थापित हुआ है गढ़वाल व टेहरी में उक्त विभाग द्वारा किये गये कार्यों की सूची सदन के मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६५५ पर)

*६५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में ऊन के व्यापार को उन्नत बनाने के लिये अब तक क्या किया गया है और सरकार आगे क्या करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६६—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले की नलकूप योजना

*६७—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में अब तक कुल कितने ट्यूबवेल लग चुके हैं तथा अगले वर्ष कितने ट्यूबवेल लगेंगे ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले में अब तक १६० राजकीय नलकूप लग चुके हैं। अगले वर्ष में बनने वाले नलकूपों का जिलेवार वितरण निश्चित नहीं हुआ है।

मार्टिन कम्पनियों के ठेकों की समाप्ति पर बिजली कम्पनियों को सरकारी प्रबन्ध में लेने का विचार

*६८—श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिन-जिन स्थानों पर मार्टिन कम्पनी के ठेके समाप्त होंगे, सरकार उन-उन जगहों में बिजली सप्लाई करने का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। सरकार इस पर विचार करेगी कि हाथ में लिया जाय या नहीं।

*६९—श्री जगदीशनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या चंदौसी, जिला मुरादाबाद में बिजली की दरें सम्भल और मुरादाबाद की अपेक्षा अधिक हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। इन सब नगरों में बिजली की वर्तमान दरें समान हैं।

वाराणसी जिले के बरह परगने में धानापुर नहर की खुदाई पर व्यय

*७०—श्री लोकनाथसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना बरह, जिला वाराणसी में चंदनियां नहर की खुदाई में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ था ?

श्री राममूर्ति—परगना बरह, जिला वाराणसी में 'चंदनिया नहर' नामक कोई नहर नहीं है। इस परगने में धानापुर नहर का कुछ भाग पड़ता है जिसके निर्माण में लगभग २४,८०० रुपया व्यय हुआ है।

*७१—श्री गनेशचन्द्र काछी—[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ११० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ललितहरि शुगर फैक्टरी, जिला पीलीभीत पर गन्ने की कीमत का कथित बकाया

*७२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पीलीभीत की ललितहरि शुगर फैक्ट्री ने सन् १९५६–५७ के गन्ना पेरने के सीजन के गन्ने, के मूल्य का पूरा भुगतान अभी नहीं किया जिसकी शिकायत केन कमिश्नर यू०पी० के पास आई है ? अगर हां, तो वह भुगतान न की गई धनराशि कितनी है तथा इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पीलीभीत की ललितहरि शुगर फैक्ट्री ने १९५६–५७ के सीजन के गन्ने की कीमत का पूरा भुगतान कर दिया है।

*७३—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या केन कमिश्नर, यू० पी० ने ललितहरि शुगर फैक्ट्री, पीलीभीत के खिलाफ हुई कुर्की, अदम-अदायगी कीमत गन्ना १९५६–५७ के सीजन के संबंध में जारी की थी और क्या बाद को उसे रद्द कर दिया गया ? अगर हां, तो कब किसने रद्द किया और क्यों ? क्या सरकार इस पर पूरा प्रकाश डालेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७–१८ के अन्तर्गत गन्ने की कीमत का यथा समय भुगतान न होने के कारण Recovery Certificates जारी किये थे और वे रद्द नहीं किये गये।

*७४—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फतेहपुर जिले में खागा को बिजली की आवश्यकता

*७५—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में विद्युत् योजना में जो विद्युत् पहुंचाई जा रही है उस योजना में क्या खागा में भी बिजली पहुंचाई जा रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में नलकूपों का निर्माण

*७६—श्री गणेश चन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश भर में प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसने कितने नलकूप लगाये हैं?

श्री राममूर्ति—उत्तर प्रदेश भर में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३,१५२ राजकीय नलकूप लगाये गये हैं।

*७७—श्री गणेश चन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप लगाने का उसका विचार है?

श्री राममूर्ति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में १,५०० नलकूप लगाने की योजना है।

मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के बंगलों की सज्जा और रखरखाव पर व्यय

*७८—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिनिस्टर्स तथा स्टेट मिनिस्टर्स के बंगलों को Furnish करने के लिये कितना रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है और उक्त बंगलों की Maintenance पर कितना खर्च किया जाता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के बंगलों को सज्जित (furnish) करने के लिये वार्षिक खर्च की व्यवस्था नहीं है। नियुक्ति के पश्चात् एक बार उनके बंगले सज्जित (furnish) कर दिये जाते हैं और फिर समय-समय पर उनकी मरम्मत वगैरह होती रहती है। सरकारी मकानों की मरम्मत के लिये फायनेंशल हैन्ड बुक (Financial Hand Book) में जो नियम हैं उनके अनुसार मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के बंगलों की भी मरम्मत(Maintenance) प्रतिवर्ष होती रहती है।

*७९–८१—श्री भजनलाल—[ग्यारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४७–४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८२–८३—श्री नन्हकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८४—श्री मलिखानसिंह—[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८५—श्री मलिखानसिंह—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८६-८७—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—[३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बिजनौर जिले की नगीना तहसील में आबनूस लकड़ी के उद्योग को बढ़ाने के कार्य

*८८—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर में तहसील नगीना में आबनूस लकड़ी के उद्योग को उन्नतिशील करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आबनूस की लकड़ी के कुछ नये डिजाइन के माडल बनवाकर यू० पी हैन्डीक्राफ्ट्स के लखनऊ और देहली शो रूमों में प्रदर्शन हेतु रखे गये हैं । इस उद्योग के लिये वांछित लकड़ी का प्रबन्ध किया गया है और नगीना में इस उद्योग में लगे कारीगरों की एक सहकारी समिति बनाई गई है । इसके अतिरिक्त नगीना में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

*८९—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह जिला बिजनौर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन उद्योग धंधों को चालू करने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्र की जा रही है।

ओवरसियर ट्रेनिंग स्कूल, नैनीताल के फर्नीचर के लिए टेण्डर

*९०—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ओवरसियर ट्रेनिंग स्कूल, नैनीताल के हेतु खरीदे गये फर्नीचर के हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां ।

*९१—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या यह सही है कि उपर्युक्त फर्नीचर के टेंडर नैनीताल के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० के कार्यालय द्वारा न लिये जाकर बरेली पी० डब्ल्यू० डी० कार्यालय द्वारा आमंत्रित किये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—टेंडर, अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत बरेली, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आमंत्रित किये गये थे।

*९२—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आये हुये टेंडरों में से अधिकतम और निम्नतम कितनी धनराशि के टेंडर आये और कितनी धनराशि का टेंडर वास्तव में स्वीकृत हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मांगी हुई सूचना नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६५६ पर)

गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल, गोरखपुर में छात्रों की प्रविष्टि

*९३—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल, गोरखपुर में इस वर्ष कुल कितने छात्र प्रविष्ट हुये हैं और उनमें कुल कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट गोरखपुर में इस वर्ष कुल १३५ छात्र प्रविष्ट हुये हैं। इनमें से परिगणित जाति का कोई छात्र नहीं है।

*९४—श्रीमती गेंदादेवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त स्कूल में मेकैनिकल व इलेक्ट्रिकल विभाग में इस वर्ष कुल कितने छात्र प्रविष्ट हुये हैं और उनमें से कुल कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उपर्युक्त इन्स्टीट्यूट में मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल विभाग में कुल ९० छात्र प्रविष्ट हुये हैं। इनमें से परिगणित जाति का कोई भी छात्र नहीं है।

*९५—श्रीमती गेंदादेवी—क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल में परिगणित जाति के छात्रों के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार परिगणित जाति के छात्रों के लिये रिजर्वेशन करने का विचार कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उपरोक्त इन्स्टीट्यूट में परिगणित जाति के छात्रों के लिये २० प्रतिशत रिजर्वेशन है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में कुरसंडा पलेवा रजबहे को स्थायी करने की प्रार्थना

१—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कुरसंडा, सादाबाद, जिला मथुरा के पलेवा को रजबहा करने के लिये सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—कुरसंडा पलेवा रजबहे को स्थायी रजबहा में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानपुर पावर हाउस में विद्युत् उत्पादन तथा कर्मचारियों का वेतन व उपभोक्ताओं पर बकाया

२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर पावर हाउस से किन-किन नगरों को बिजली सप्लाई की जाती है और बिजली का उत्पादन सन् १९४८-४९ में क्या रहा व अब १९५६-५७ में क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कानपुर के अलावा बिजली फतेहपुर को दी जाती है। पावर हाउस में १९४८-४९ में १६,६५,००,००० यूनिट और १९५६-५७ में २३,७२,००,००० यूनिट उत्पादन था।

३—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पावर हाउस के कर्मचारियों को कितना वेतन व मंहगाई अलग-अलग सन् १९४८-४९ में व कितना १९५४-५५ में दिया गया तथा अफसरों को कितना वेतन १९४८-४९ में व कितना १९५४-५५ में दिया गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पावर हाउस के कर्मचारियों को १९४८-४९ में तथा १९५४-५५ में निम्नलिखित वेतन तथा मंहगाई दी गई थी—

वर्ष	वेतन	मंहगाई
	रु०	रु०
१९४८-४९	४,०८,३७५	५,८२,९११
१९५४-५५	६,०८,९२७	३,१४,७०६

इसमें अफसरों का वेतन १९४८-४९ में १,०९,९७३ रुपया तथा १९५४-५५ में १,५६,६१३ रुपया था।

४—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ में बिजली कम्पनी, कानपुर का बकाया उपभोक्ताओं पर कितना रुपया था और अब सन् १९५७ में कितना रुपया बकाया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

वर्ष	रु०
१९४७–४८	१,७४,२८५
१९५६–५७	२५,५३,६५१

राज्य की बिजली कम्पनियां तथा बिजली की दर

५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रांत में कितनी कम्पनियां बिजली तैयार व वितरण करती हैं और उनमें से कितनी कम्पनियां म्युनिसिपल बोर्डों को बिजली सप्लाई करती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश में ४६ बिजली कम्पनियां बिजली वितरण करती हैं। इनमें से २३ बिजली तैयार करके वितरण करती हैं। चौंतीस कम्पनियां म्युनिसिपल बोर्डों को बिजली सप्लाई करती हैं।

६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या वित्त मंत्री उक्त बिजली कम्पनियों की एक सूची उन शहरों के नामों के साथ जहां वह बिजली सप्लाई करती है तथा उन रेटों के साथ जो वह चार्ज करती है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—† सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कम्पनियां म्युनिसिपल बोर्डों को बिजली सप्लाई करती हैं उनके लाइसेंसों की मियाद कब से कब तक है और उनमें से किस-किस को कितना-कितना रुपया सरकार ने कर्ज दे रक्खा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सूचना संलग्न तालिका नम्बर २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५७–६५८ पर)

अवशेष प्रश्नों को दूसरे दिन लेने के लिये प्रार्थना

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं, उनको दूसरे दिन ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जो प्रश्न आप दूसरे दिन चाहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आप पूछ लें। इस प्रकार दूसरे दिन के लिये रखने की प्रथा मैं चलाना नहीं चाहता क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं। अगर आप के लिये ऐसा किया जायगा तो सबके लिये लाजिमी हो जायगा। इसलिये अगर आप उनसे संबंधित दूसरे प्रश्न पूछ लें तो विचार किया जायगा।

---

† सूची छापी नहीं गयी है।

जिला फैजाबाद में रसूलपुर दरगाह के कब्रिस्तान के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी ने भेजा है जो इस प्रकार है --

"जिला फैजाबाद, परगना बिडहर, तहसील टांडा, रसूलपुर दरगाह के कब्रगाह में १२ जनवरी से मुसम्मात असगरी, पुत्री अब्दुल मजीद की लाश बिना दफनाये पड़ी है । उस कब्रगाह को एक सेठ ने अपने नाम पट्टा लिखा लिया है । सारा मामला एक साम्प्रदायिक संघर्ष का स्वरूप दिया जा रहा है । जिलाधिकारी और सरकार की ओर से कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई । असंतोष बढ़ता जा रहा है ।

इस गम्भीर परिस्थिति पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

माननीय मंत्री जी के पास इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हो तो वे सदन के सामने रख सकते हैं ।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप के निश्चित करने की बात है कि यह १२ जनवरी की जो घटना है, वह कहां तक रिसेंट कही जा सकती है, फिर भी जो जानकारी है.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो आप की जानकारी चाहता हूं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमन्, मेरी जानकारी यह है कि जिस जगह का यह जिक्र है वहां १८० बीघे का एक टुकड़ा जमीन का है । उसमें से १७३ बीघे की बाबत तो यह निश्चित है कि वह कब्रिस्तान है, ७ बीघे की बाबत कुछ झगड़ा है । वहां के मुसलमानों का यह कहना है कि यह कब्रिस्तान है, और लोगों का यह कहना है कि यह कब्रिस्तान नहीं है । फौजदारी का अन्देशा देख कर वहां के जिलाधिकारी ने उस जमीन पर दफा १४५ के अन्तर्गत कब्जा कर लिया है और मामला इस वक्त दीवानी अदालत में इस फैसले के लिये गया है कि वह सचमुच कब्रिस्तान है कि नहीं । इसी बीचमें श्रीमती असगरी का देहान्त हो गया । वहां के मुसलमानों ने यह कोशिश की कि यह जो ७ बीघे का टुकड़ा है जिसकी बाबत झगड़ा है, उसी में उनको गाड़ा जाय । वहां के लोगों ने कहा कि १७३ बीघे का जो टुकड़ा पड़ा हुआ है उसी में जा कर आप लोग लाश गाड़ दें क्योंकि इस समय यह मामला अदालत में है, लेकिन उन लोगों ने उसी ७ बीघे वाले टुकड़े में ही गाड़ने की जिद्द की, अभी तक वह लाश वहीं पड़ी हुई है । उस औरत के पति ने उसको तलाक दे रखा था । उससे भी लोगों ने कोशिश की थी कि तुम इसको गाड़ दो, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता । तलाक देने के बाद शायद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती । १२ जनवरी से वह लाश पड़ी हुई है । जाड़ा होने की वजह से भले ही लाश ज्यादा न सड़े, लेकिन उससे कुछ न कुछ दुर्गन्ध तो हो ही सकती है । उसको लोगों ने एक बक्से में बन्द कर के रख दिया है । किसी कानून के अन्दर लाश का न गाड़ना भी कोई जुर्म नहीं है । बहरहाल लाश पड़ी हुई है । सरकारी अधिकारियों ने यह देख कर कि कहीं फौजदारी का मामला न हो जाय दफा १४५ के अन्दर उस जमीन पर कब्जा कर लिया और यह कहा कि अभी मामला अदालत में है । वे चाहें तो १७३ बीघे का जो टुकड़ा है, उसमें लाश को दफना सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वस्तुस्थिति बतलायी उससे मालूम होता है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । १२ जनवरी का केस हाल की घटना

[श्री उपाध्यक्ष]

भी नहीं है। इसलिये इस समय इस प्रश्न पर वादविवाद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। २० तारीख से बजट पर सामान्य वाद विवाद होने वाला है, उसमें श्री झारखंडे राय जी जो कुछ कहना हो कह सकते हैं। इस कारण मैं इसको अस्वीकृत करता हूं।

मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर० ए० एम०---७---४१३६ (टी) एम० ३०---४३१९---टी-५४, दिनांक २० दिसम्बर, १९५७ के अधीन प्रख्यपित संशोधन को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

एक वर्ष वित्तीय में दो सामान्यआय-व्ययक प्रस्तुत करने पर वैधानिक आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री. . . .

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत करता हूं। शायद आप को मालूम होगा कि कुछ समय पूर्व मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख एक वैधानिक आपत्ति रखी थी। मेरी आपत्ति यह है कि क्या एक ही फाइनेंशियल ईयर में दो सामान्य बजट प्रस्तुत किये जा सकते हैं? श्रीमन, यह नियम १४८ देखा जाय, प्रिजेन्टेशन आफ बजट के बारे में है---

"The annual financial statement or the statement of the estimated receipts and expenditure of the State in respect of every financial year (hereinafter referred to as the Budget) shall be presented to the Assembly on such day in the preceding financial year as the Governor may appoint."

जहां तक मेरी जानकारी है फाइनेन्शियल ईयर पहली अप्रैल, से ३१ मार्च तक होता है और शायद यही जानकारी सभी माननीय सदस्यों को और सरकार को भी होगी। मैं उस समय, जुलाई में सदन में नहीं था जब सामान्य बजट के साल भर के एस्टीमेट्स और रिसीट्स यहां रखी गयी थीं और फिर इसी साल में एक दूसरा सामान्य बजट फिर आ गया, यही प्रश्न है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूं कि उसी समय माननीय मंत्री जी ने कहा था जब सवाल पहले उठाया गया था कि एवरी ईयर का मतलब क्या होगा। इसमें साफ फाइनेन्शियल ईयर लिखा है, वित्तीय वर्ष ही होता है। इस सम्बन्ध में सदन ने किसी नियम को भी निलम्बित नहीं किया है। जब तक यह रूल है यह पेश नहीं हो सकता। रूल जो हमारा है वह तो मैंने पढ़ दिया। संविधान की भी धारा २०२ (1) में है कि---

"The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year."

संविधान में जो था उसी के अनुकूल हमारे नियम हैं। उसमें स्पष्ट है कि एक फाइनेन्शियल ईयर में एक बजट आयेगा, दो बजट नहीं आ सकते। इसमें 'ईच ईयर', लिखा है और उसके बाद पूरक आ सकते हैं। इसके अलावा संविधान की जो धारा १७४ है वह कहती है कि:---

"The Governor shall, from time to time, summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session."

---

*छापा नहीं गया।

यह दफा साफ़ कहती है कि गवर्नर महोदय सदन को समय-समय पर बुलायेंगे और किसी सेशन की आखिरी बैठक और दूसरे सेशन की पहली बैठक के बीच में ६ मास से अधिक का समय न होगा।

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण---मैं उसी पर आ रहा हूं, थोड़ा-सा मौका आप और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---आपका क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण---प्रश्न यह है कि साल केलेन्डर ईयर से माना जाय या फांइनेन्शियल ईयर से ?

श्री उपाध्यक्ष---इस विषय में तो माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है। उस पर वैधानिक प्रश्न नहीं हो सकता। अब आप की केवल इतनी आपत्ति रही कि साल में २ बजट हो सकते हैं या नहीं। वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो जवाब दे दें।

वित मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं तो साल में दो बजट नहीं पेश कर रहा हूं। मैंने तो एक बार एक साल का बजट पेश किया था और अब दूसरी बार एक नये साल का पेश करने जा रहा हूं। इस तरह का जिक्र न कहीं कांस्टीट्यूशन में है और न कहीं मुमानियत है। जितनी बातें मैंने सुनी हैं उनमें भी यह चीज कहीं नहीं है। उस वक्त जो बजट पेश हुआ था वह इस साल का था। एक दफा उसमें वोट आन एकाउन्ट लेकर के उसके बाद, वह कानून में लिखा हुआ है और कांस्टीट्यूशन में दिया है, उसके मुताबिक वह आया। उससे अगर दो दफे का लफ्ज बनता भी हो तो वह एक दफा ही समझा जाना चाहिये। हमने पहले वोट आन एकाउन्ट पेश किया और उसके बाद डेढ़ दो महीने के बाद उसमें और बढ़ा कर के उसी बजट को फिर पेश कर दिया। पेश तो एक ही बजट हुआ। फिर उसके बाद यह बजट नहीं आ सकता है यह कांस्टीट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---जहां तक माननीय राजनारायण जी की आपत्ति का प्रश्न है वहां तो मैं समझता हूं कि नियम १४८ उसके सम्बन्ध में हमारे सामने आता है जिसमें कि प्रिसीडिंग फाइनेंशल ईयर में बजट पेश करना पड़ता है, लेकिन दूसरे माने में बजट के पेश करने से पहले दो बातों पर और विचार करना होगा। एक तो जो पिछले वर्ष का राज्यपाल का भाषण हुआ था उसमें सेशन के काजेज आफ समन बतलाये गए थे। उसमें कहीं नहीं यह कहा गया कि हम दो बजट पेश करेंगे। जो गवर्नर ने हमें ईयर का बिजनेस बतलाया उसमें यह कहीं नहीं कहा कि हम इस साल का बजट पेश करने वाले हैं। उसमें एक ही बजट का जिक्र था।

दूसरी बात यह कि नियम १६१ के अनुसार एक फाइनेंस कमेटी इस हाउस को बनानी आवश्यक थी। नियम १६१ निलम्बित नहीं हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमेटी बननी चाहिये। बजट मैनुअल में भी फाइनेंस कमेटी का जिक्र है, वह भी डिलीट नहीं हुआ है और मौजूद है। फाइनेंस कमेटी नहीं बनी और उसके सामने जो न्यू आइटम्स उसको ऐडवाइस के लिये जाने थे वह नहीं गए। तो नियम १६१ का उल्लंघन हुआ है और यू० पी० बजट मैनुअल में जो फाइनेंस कमेटी की सलाह लिये जाने का मैंडेटरी प्राविजन है उसका उल्लंघन हुआ है। यह दो आपत्तियां हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक जवाब दे दूं....

श्री उपाध्यक्ष---कोई जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक नया प्वाइंट है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह कहा, जो मैं अपने से गेस कर रहा हूं कि हो सकता है मैं गलत समझा होऊं कि कंसालिडेटेड एकाउंट पर उन्होंने कहा कि हमने वोट लिया, तो वह वोट इस सदन का नहीं था....

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि पहले साल ५६-५७ में हमने ५७-५८ के लिये वोट आन एकाउन्ट पास कर लिया। उसके बाद वार्षिक बजट विशेष परिस्थिति में पेश किया।

श्री राजनारायण---यही मेरा कहना है कि क्या जुलाई फाइनेंशियल ईयर में आता है? गवर्नर नैक्स्ट ईयर के लिये समय ऐप्वाइंट कर सकता है जुलाई में और दिसम्बर में भी कर सकता है। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मार्च और फरवरी में ही एप्वाइंट करे। अगर सरकार की गलती हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। हमारी तो आपत्ति यह है कि जो इस वर्ष में बजट पेश हुआ वह और यह दूसरा बजट दोनों ही एक साल में पेश हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने दो आपत्तियां उठाई गई। पहले एक छोटी सी आपत्ति माननीय नारायणदत्त जी की है। फाइनेंस कमेटी कोई असेम्बली की कमेटी नहीं है। यह फाइनेंस मिनिस्टर की ऐडवाइजरी कमेटी है। चूंकि आगे आने वाले नियमों में उसकी व्यवस्था नहीं थी इसलिये माननीय वित्त मंत्री ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि वह गैरजरूरी कमेटी हो जायगी, इसलिये इसके बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिये वह कमेटी नहीं बनी। तो यह कहीं भी प्राविजन नहीं है कि जब तक बजट फाइनेंस कमेटी के सामने पेश न हो जाय तब तक वह सदन में पेश नहीं हो सकता। इसलिये कोई विधान का प्रश्न उठता नहीं। बजट मैन्युअल से सदन से क्या मतलब है? जैसे जेल मैन्युअल है वैसे ही वह भी है। उसका आधार संविधान नहीं है।

दूसरा प्रश्न माननीय राजनारायण जी का है। वह कहते हैं कि एक साल में दो बजट पेश किये गये। बजट पेश करने के लिये संविधान का अनुच्छेद २०२ (१) है जो इस प्रकार है:---

"The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a Statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the annual financial statement."

तो इस वक्त जो बजट है वह १९५८-५९ का है और वह फाइनेन्शियल ईयर पहली अप्रैल, १९५८ से लागू होगा। उसके पहले वाला जो बजट था वह ५७-५८ का था। मैंने माननीय राजनारायण जी से प्वाइंट आउट करने के लिये कहा कि वे ऐसी व्यवस्था दिखला दें कि दो बजट एक कलेंडर ईयर या फाइनेन्शियल ईयर में पेश नहीं हो सकते कहीं किसी संविधान की धारा के अनुसार या किसी नियम के अनुसार, किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। पिछले साल एक विशेष परिस्थिति थी जब कि लेजिस्लेचर गया बना था, इसलिये हमेशा की तरह वोट आन एकाउन्ट पास कर लिया गया और जो फैक्चुअल स्टेटमेंट था उसे जुलाई में पेश किया गया। इसलिये इन मजबूरियों से मैं आप की आपत्ति रद्द करता हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री को बजट पेश करने की इजाजत देता हूं।

श्री राजनारायण---जुलाई में जो बजट पेश हुआ था वह किस गवर्नर की इजाजत से हुआ था?

श्री उपाध्यक्ष---गवर्नर सदैव रहते हैं। सिर्फ व्यक्ति बदला करते हैं।

श्री राजनारायण---मैं निवेदन कर देता हू कि इस समय आपने बजट एलाऊ तो कर दिया है, किन्तु मैं आप की व्यवस्था से सहमत नहीं हूं।

१९५८-५९ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं १९५८-५९ का बजट पेश करता हूं :

(आय-व्ययक की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

२—मैं सदन के सामने इस राज्य की १९५६-५७ के वास्तविक आय तथा व्यय के आंकड़े, १९५७-५८ के दुहराये हुए तखमीने और १९५८-५९ के बजट के तखमीने रखता हूं ।

३—१९५६-५७ के मूल बजट में आय और व्यय के तख़मीने ८५.३६ करोड़ और ९४.९१ करोड़ रुपये क्रमशः रखे गये थे । इसके हिसाब से ९.५५ करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा था । उस साल के वास्तविक आंकड़ों से यह मालूम हुआ कि राजस्व आय ८५.३६ करोड़ रुपये से बढ़ कर ८९.९६ करोड़ रुपये हो गयी और राजस्व व्यय घट कर ८९.८४ करोड़ रुपये रह गया । इस तरह से १२ लाख रुपये का मामूली सरप्लस (surplus) रहा । बिक्री कर से ३८५ लाख रुपया अधिक इस वास्ते मिला कि कुछ चीजों पर टैक्स की दरें बढ़ा दी गयीं और कुछ दूसरी चीजों पर जो टैक्स से बची हुई थीं उन पर भी टैक्स लागू कर दिया गया । गन्ने के सेस (cess) से १६९ लाख रुपया अधिक मिला । जंगलात की आमदनी में १४३ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई और ९० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी राजकीय आबकारी (State Excise) से हुई । बस सर्विसों ने भी ५४ लाख रुपया ज्यादा दिया और एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी (Electricity Duty) तथा इन्टरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) से भी ४९ लाख रुपया अधिक मिला । मालगुजारी से २८२ लाख रुपया कम मिला और सिंचाई की आमदनी में ६३ लाख रुपये की कमी हुई । केन्द्रीय सरकार से एन० ई० एस० (N. E. S.) स्कीमों पर अनुदान के रूप में १०७ लाख रुपया कम मिला और दूसरी पंचवर्षीय योजना की स्कीमों पर जितनी केन्द्रीय सहायता हमें मिलने की आशा थी उससे बहुत कम मिली । विकास योजनाओं पर कम खर्च होने की वजह से ३८ लाख रुपये की बचत शिक्षा में, ६१ लाख रुपये की चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य में, ५५ लाख रुपये की कृषि में, १०४ लाख की उद्योग में, १५९ लाख रुपये की सामुदायिक विकास और एन० ई० एस० (N. E. S.) स्कीमों में और ७१ लाख रुपये की पशु-चिकित्सा और सहकारिता में बचत हुई । राजस्व से दिये जाने वाले ऋण संबंधी खर्च में भी १३१ लाख रुपये की कमी हुई । इस प्रकार से तथा अन्य घटती-बढ़ती के कारण ९५५ लाख रुपये की कमी का जो अन्दाजा था वह १२ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी में बदल गया । बजट के पूंजी भाग (Capital portion) में ३८.२३ करोड़ रुपये का खर्चा हुआ जो ४२.९८ करोड़ रुपये के मूल बजट के तख़मीने से ४.७५ करोड़ रुपये कम था । सिविल वर्क्स में ३९५ लाख रुपये और औद्योगिक विकास में १८५ लाख रुपया और एलेक्ट्रीसिटी स्कीमों तथा अन्य स्टेट वर्क्स (State Works) में १३६ लाख रुपये का पूंजी व्यय (Capital expenditure) कम हुआ । केन्द्र के एकमुश्त अदा होने वाले कर्जों के सिंकिंग फंड (Sinking Fund) के लिए १७३ लाख रुपये बजट में रक्खे गये थे । उस रकम का इस्तेमाल नहीं हो पाया । इसके विपरीत, स्टेट ट्रेडिंग योजनाओं (State Trading Schemes) के ऊपर ३९० लाख रुपये का अधिक पूंजी व्यय हुआ, क्योंकि फेयर प्राइस शाप्स (Fair Price Shops) के जरिए बेचने के लिए एक बड़े पैमाने पर अनाज की खरीदारी करनी पड़ी ।

४—१९५७-५८ के मूल बजट में आमदनी और खर्चे के तखमीने क्रमशः ९६.६६ करोड़ रुपये और १०८.३३ करोड़ रुपये थे । इस तरह से ११.६७ करोड़ रुपये के खसार का अनुमान था । दोहराये हुए तखमीनों में राजस्व से ९९.८६ करोड़ रुपये की आमदनी रक्खी गयी है और १०३.९३ करोड़ रुपये राजस्व व्यय का अनुमान है । इस तरह से ११.६७ करोड़ की राजस्व की कमी जो पहले अंदाजी गयी थी घट कर ४.०७ करोड़ रुपये रह जाने की संभावना है । यह कमी रेवेन्यू रिजर्व फंड (Revenue Reserve Fund) से पूरी की जायगी । द्वितीय फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों की वजह से और वसूलयाबी के आधार पर इस प्रदेश को इन्कम

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

टैक्स से २४९ लाख रुपया और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज (Union Excise Duties) से ११४ लाख रुपया अधिक मिलने की आशा है। रेलवे के भाड़े के कर से भी ९८ लाख रुपया मिलने का अनुमान है। शूगरकेन सेस (Sugarcane Cess) के बकाया की वसूलयाबी के कारण और इन्टरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स (Entertainment and Betting Tax) तथा मोटर स्पिरिट की बिक्री के कर की दर बढ़ जाने के कारण कुल मिलाकर १२१ लाख रुपये की अधिक आमदनी होने की आशा है। सरकारी बस सर्विस से भी आमदनी में ५६ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। इसके विपरीत, बाढ़ और सूखे से सताये हुए क्षेत्रों में मालगुजारी की छूट तथा इल्तवा की वजह से भू-राजस्व (Land Revenue) में १०६ लाख रुपये कम वसूल होने की संभावना है। सिंचाई की आमदनी में भी ८७ लाख रुपये की कमी संभव है। चालू वर्ष में कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन (Compensation and Rehabilitation) के बांड्स (Bonds) के कम दिये जाने और उन पर दिये जाने वाली किस्तों की कमी की वजह से ऋण के व्यय में २७६ लाख रुपये की कमी की आशा है। इन्जीनियरिंग संस्थाओं, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सहकारिता और उद्योग विभागों की जो स्कीमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं उनके चलाने में समय लगने की वजह से १५७ लाख रुपया कम व्यय होगा। इन सब वजूहात से शुरू में जो ११६७ लाख रुपये के खसारे का अन्दाज था वह घट कर ४०७ लाख रुपये का रह जायेगा।

५--सन् १९५७-५८ के मूल बजट में ३८·६८ करोड़ रुपये के पूंजी व्यय का अनुमान था। इस खर्च में ३·१५ करोड़ रुपये की कमी की संभावना है और इस तरह दोहराये हुए तखमीने में पूंजी व्यय ३५·५३ करोड़ रुपये का रह जायगा।

६--१९५८-५९ के बजट में आमदनी और खर्चे का तखमीना क्रमशः १०८.२३ करोड़ रुपया और ११२.७७ करोड़ रुपया रक्खा गया है। इस तरह से राजस्व में ४.५४ करोड़ रुपये का खसारा है। बजट में यूनियन एक्साइज ड्यूटीज (Union Excise Duties) से मिलने वाली रकम के तखमीने में ६८५ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की आशा है। इस रकम में कपड़ा, शक्कर और तम्बाकू पर सेल्स टैक्स के बजाय लगने वाली अतिरिक्त सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (Central Excise Duty) भी शामिल है। इन्कम टैक्स से प्रदेश को ६० लाख रुपये अधिक मिलने की आशा है। कृषि-आयकर की बकाया वसूलयाबी से और बड़ी जोतों (large holdings) पर लगाये गये नये कर की वजह से ३० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की आशा है। रेलों के भाड़ों पर लगाये जाने वाले टैक्स से प्रदेश को ८७ लाख रुपये अधिक मिलेंगे, क्योंकि बजट वर्ष में पूरे साल का टैक्स वसूल होगा। मालगुजारी के तखमीने में ९८ लाख रुपये अधिक इस आशा से रक्खे गये हैं कि बजट वर्ष में छूट या इल्तवा शायद किसी बड़े पैमाने पर आवश्यक न हो। सिंचाई की आमदनी में ६० लाख रुपया ज्यादा मिलने की उम्मीद है। मुतफर्रिक आमदनी में ५२ लाख रुपये अधिक मिलने की आशा है। केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय विकास सेवाओं और स्थानीय विकास कार्यों के लिए सब्सिडी (subsidy) के रूप में ५४ लाख रुपया अधिक मिलने की आशा है। इलेक्ट्रीसिटी स्कीमों से आमदनी में भी २० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी का अनुमान है परन्तु कपड़ा, शक्कर और तम्बाकू पर बिक्री-कर की जगह पर अतिरिक्त केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी लग जाने से अन्य टैक्सेज और ड्यूटीज (Other Taxes and Duties) से प्राप्त आमदनी में ५०३ लाख रुपये कम मिलने की आशा है। तखमीनों के मुताबिक शिक्षा पर ९२ लाख, विविध मदों तथा परिवहन विभाग पर ६२ लाख, जन-स्वास्थ्य पर ५३ लाख और पिछड़ी हुई तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के कार्यों पर ५१ लाख रुपया अधिक खर्च होगा। कर्जे के खर्चे में भी ४७ लाख रुपया ज्यादा व्यय होगा। इंजीनियरिंग संस्थाओं के लिए जो रुपया रक्खा गया है उसमें बजट वर्ष के प्लान के प्रोग्राम के मुताबिक ३६ लाख रुपये कम रक्खे गये हैं। पुलिस के तखमीने में भी ३४ लाख रुपये कम रक्खे गये हैं। इसका तथा अन्य घट-बढ़ का परिणाम यह होगा कि साल के अन्त में कुल ४५४ लाख रुपये का घाटा रहने की संभावना है।

७—१९५७–५८ के मूल बजट में पूंजी व्यय का अनुमान ३८.६८ करोड़ रुपया किया गया था, इसके मुकाबले में १९५८–५९ में ३२.८५ करोड़ रुपये का पूंजी व्यय का अनुमान है। बजट वर्ष में कर्ज और एडवान्सेज (loans and advances) के लिए ७.१६ करोड़ रुपया रक्खा गया है और उसी मद में ३.५६ करोड़ रुपये की वसूली की आशा है।

८—चालू वर्ष के बजट को पेश करते समय मैंने जिक्र किया था कि विकास योजनाओं पर इस प्रदेश में अब इतना रुपया व्यय किया जा रहा है जितना कि पहले कभी नहीं किया गया था। ऐसी हालत में यह जाहिर है कि सरकार पर कर्जा बढ़ेगा। मगर सरकार ने कर्जे की अदायगी के लिए भी पूरा प्रबंध कर दिया है जिसका नतीजा यह है कि विकास के कार्यों पर इतना अधिक व्यय होने के बावजूद भी राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत है। पब्लिक से कर्जा लेने के अतिरिक्त यह सरकार केन्द्रीय सरकार से भी कर्जा लेती है जो कि हर साल या एक खास मियाद के बाद चुकता किया जाता है। हालांकि बहुत से कर्जों के लिये सिंकिंग फंड्स स्थापित करना आवश्यक नहीं है फिर भी इन कर्जों की अदायगी के लिए ऐसे फंड्स बनाये गये हैं और उनमें काफी रुपया डाला जा रहा है। ३ फीसदी वाला यू० पी० लोन (U. P. Loan) जो १९४४ में लिया गया था, उसका भुगतान बजट वर्ष में वाजिब होगा। उसकी अदायगी के लिए करीब २८२ लाख रुपये की जरूरत होगी। यह अदायगी इस कर्जे के सिंकिंग फंड से की जायगी जिसमें इस रकम को अदा करने के लिये काफी रुपया होगा।

पंचवर्षीय योजनायें (FIVE-YEAR PLANS)

९—मैंने अभी इसका चर्चा किया कि विकास के कामों की वजह से हमारा पूंजी-व्यय (Capital Expenditure) बढ़ा और उसकी वजह से हमारे कर्जे की रकम भी बढ़ी। इसका चर्चा करते हुए मैं पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है सबसे पहली दफा सन् १९५१ में इस मुल्क की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए एक नियोजित ढंग से कार्य आरम्भ किया गया। नियोजन का खास मक़सद विकास का ऐसा सिलसिला शुरू करना होता है जो जीवन के स्तर ऊंचा उठाये और लोगों के लिए माली हालत बेहतर बनाने के नये मौक़े पैदा कर दे। अगर्चे इसको शब्दों में माली हालत से संबंधित समझा जाता है लेकिन असल में नियोजन तमाम उस दायरे को घेर लेता है जिसका संबंध इंसानों की जिस्मानी और दिमागी तरक्की और उन तमाम संस्थाओं से है जो इस मकसद के लिए जरूरी है। पहली पंचवर्षीय योजना इस दायरे की तरफ सबसे पहला कदम था जो उठाया गया और जिसके साथ आर्थिक और सामाजिक तरक्की की आशा बांधी गयी। इस योजना में छोटे-बड़े जो भी मकसद रक्खे गये वह सभी सफल हुए। पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई और मुल्क की इकानमी (economy) ने शक्ति पाई। गोया इस प्रकार एक जल्द होने वाले विकास की नींव रक्खी गयी।

१०—दूसरा प्लान (Plan) उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, अगर्चे इसमें आवश्यकता के लिहाज से कामों को पहल देने में अन्तर दिया गया है। इस प्लान में पहले प्लान के मुकाबले औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य भी अब पहले से अधिक साफ है। दूसरे प्लान का मक़सद एक सोशलिस्ट प्रकार का समाज स्थापित करना हैं जिसके मानी यह हैं कि क़दम आगे बढ़ाने में समाज की बेहतरी का लिहाज करना है न कि किसी के जाती नफ़े का। और केवल इतना ही नहीं देखना है कि नेशनल आमदनी (Income) और रोजगार में बढ़ोत्तरी हो बल्कि इस पर निगाह रखनी है कि आर्थिक विकास के लाभ का फल ज्यादा से ज्यादा उनको मिलता जाये जिन पर लक्ष्मी ने अब तक अपनी पूर्ण कृपा नहीं की है।

११—इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का प्लान २५३ करोड़ रुपये का है। इसमें से पहले साल में लगभग ४० करोड़ रुपये खर्च हुए। चालू वर्ष में यह आशा की जाती है कि लगभग ५० करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा। बजट के वर्ष में लगभग ५५ करोड़ रुपया प्लान

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

के खर्च के लिए रक्खा गया है, जिसमें से ४९ करोड़ रुपया हमारे प्लान का है और ६ करोड़ केन्द्रीय प्लान का भाग होगा। इस तीसरे साल के लिए उतना रुपया नहीं रक्खा जा सका जितना कि हम चाहते थे मगर फारेन एक्सचेंज (foreign exchange) की कमी और कुदरती तौर पर दूसरी कठिनाइयों का लिहाज कर लेना भी जरूरी था।

१२---कृषि की पैदावार अब तक प्लान की रीढ़ की हड्डी है। बजट वर्ष में कृषि के लिए ८.९२ करोड़, एन० ई० एस० (N. E. S.) और कम्युनिटी डेवलपमेंट (Community Development) के लिए ५.८८ करोड़ और सिंचाई के काम के लिए ६.६३ करोड़ रुपया रक्खा गया है। इन सब कामों का संबंध कृषि से है यानी यह कहा जा सकता है कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट वर्ष में २१.४३ करोड़ रुपया रक्खा गया है। इसके बाद नम्बर उद्योग और विद्युत् का है। बिजली की स्कीमें उत्तर प्रदेश की उस औद्योगिक इकानमी (economy) की बुनियाद है जो आगामी वर्षों में स्थापित होगी। रिहन्द डैम प्लान बनाने वालों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किये हुए है। बड़े संतोष की बात है कि प्लानिंग कमीशन (Planning Commission) ने इस डैम को प्लान का आवश्यक अंग मान लिया है और हमको आशा है कि हम इसको प्रोग्राम के अनुसार जरूर समाप्त कर लेंगे। यमुना हाइडेल (Yamuna Hydel) के पहले फ़ेज में ३०,००० किलोवाट बिजली बनने का प्रबंध होने वाला था। क्योंकि केन्द्रीय सरकार के ध्यान में इस समय एक दूसरा डैम कौंच (Konch) पर बनाने की स्कीम है जो कि यमुना हाइडेल स्कीम के पहले फ़ेज में बनने वाले हाइडेल स्टेशन्स से सिर्फ ९ मील की दूरी पर है; इसलिए प्लानिंग कमीशन ने यह चाहा कि उत्तर प्रदेश इसकी बजाय अपने प्लान में ३०,००० किलोवाट का एक स्टीम स्टेशन गंगा ग्रिड में बना ले। यह स्टीम स्टेशन हरदुआगंज पर बनना तय हुआ है। साथ ही साथ यमुना हाइडेल के दूसरे फ़ेज का काम चलता रहेगा। इस स्कीम के दूसरे फ़ेज से तक़रीबन दो लाख किलोवाट बिजली आइन्दा मिलने वाली है।

१३---इस प्लान में सोशल सर्विसेज (Socia Services) यानी सामाजिक सेवाओं की ओर भी उचित ध्यान दिया गया है जिसमें कई एक यह हैं---ग्राम शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, वाटर सप्लाई, हाउसिंग और लेबर तथा पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण की स्कीमें। इन चीजों के प्लान की स्कीमों के लिए १० करोड़ ६ लाख रुपये का खर्चा इस बजट में रक्खा गया है।

सामुदायिक विकास (COMMUNITY DEVELOPMENT MOVEMENT)

१४---पहली पंचवर्षीय योजना की तरह चालू पंचवर्षीय योजना में भी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस (National Extension Service) और इंटेंसिव विकास (Intensive Development) की स्कीमों को विशेष स्थान दिया गया है। इनका मक़सद कृषि की पैदावार को बढ़ाना और गांवों के जीवन के स्तर को उठाना है। इनकी बाबत आमतौर पर यह कहा गया है कि यह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की असल जान है। इनके द्वारा फ़ार्मिंग को साइंस के ढंगों से करा कर गरीबी को दूर किया जा सकता है। बदल-बदल कर फसलें बोना, देहाती रकबे की बेरोजगारी और कम रोजगारी को कुटीर उद्योगों द्वारा खोना, गांवों की एक-दूसरे से अलहदगी को रास्ते बनाकर दूर करना, काश्तकारों का अपने घरों को अच्छा बनाना, पंचायतों को गांवों की जिन्दगी को शक्ति पूर्ण अंग बनाना और आमतौर पर देहाती आबादी के आर्थिक, मानसिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना---यह वह सब बातें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए ऐसे ब्लाक (Blocks) खोलना तजवीज किये गये हैं। जाहिर है कि यह शक्ति प्राप्त करने का जरिया और नेशन बनाने का सर्वोत्तम आला है।

१५---चालू वर्ष के अन्दर, उनके अलावा जो पहले खोले जा चुके हैं, १४६ एन० ई० एस० ब्लाक (N.E.S. Blocks) और स्थापित किये जा चुके हैं और ४० ब्लाक (Blocks) को आई० डी० ब्लाक बनाया जा चुका है। बजट वर्ष में १४२ नये एन० ई० एस० ब्लाक

(N.E.S. Blocks) खोले जाने वाले हैं और ४० को आई० डी० ब्लाक (I.D. Blocks) में बदल दिया जायगा। एन० ई० एस० स्कीम (N. E. S. Schemes) की उन्नति के साथ-साथ आवश्यक टेक्निकल स्टाफ को भी काफी बढ़ाया गया है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम पहली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था उसको दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर और बढ़ा दिया गया है। पहले प्लान के अंत तक ४,३१२ आदमी भिन्न-भिन्न कामों के लिए ट्रेन किये जा चुके थे और दूसरी योजना के लिए यह अंदाजा किया गया है कि १४,००० और ट्रेंड आदमियों की आवश्यकता होगी। इनकी ट्रेनिंग का उचित प्रबंध कर दिया गया है।

कृषि (AGRICULTURE)

१६—पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ऊंची जगह खेती को दी गई थी, क्योंकि हम बाहर से मंगा-मंगा कर गल्ला खाते थे और महज खाने के अलावा और आवश्यकताओं की चीजें भी कृषि से पैदा होती हैं।

१७—मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाऊं कि पहली योजना में जो काम हुआ उसके परिणाम में उत्तर प्रदेश में आशा से अधिक सफलता मिली। सन् १९५०–५१ में उत्तर प्रदेश में अनाज की सालाना पैदावार १०.७९ मिलियन टन थी और प्लान के तहत ०.९८ मिलियन टन अधिक सालाना पैदावार का टारगेट रक्खा गया। इसके मुकाबिले में प्लान के अन्त तक सालाना पैदावार बढ़कर १२.४५ मिलियन टन हो गयी जिससे जाहिर है कि प्लान के टारगेट से भी ०.६८ मिलियन टन अधिक की पैदावार बढ़ी। रुई की पैदावार में भी बढ़ोत्तरी हुई। प्लान का टारगेट ४०,००० गांठों का था, लेकिन पैदावार बढ़कर ४३,००० गांठें सालाना हो गई, यानी प्लान के टारगेट से ३,००० गांठें अधिक।

१८—अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि की जगह ऊंची है और इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के पहले दो वर्षों में जो काम हुआ है वह हिम्मत तोड़ने वाला नहीं बल्कि इसको बढ़ाने वाला है बावजूद इसके कि कृषि से सम्बन्ध रखने वाले सभी भाइयों को नेचर द्वारा आने वाली कठिनाइयों और मुसीबतों ने इन वर्षों में बुरी तरह सताया है। अपने चालू प्लान का टारगेट केंद्रीय सरकार ने दस मिलियन टन पैदावार बढ़ाने का करार दिया है और इसमें से दो मिलियन टन बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश को मिला। इसके बाद इसको बढ़ाकर २.४ मिलियन टन किया गया। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए यह तजवीज हुआ कि सिंचाई की नई छोटी व बड़ी योजनायें और चलाई जायं और पैदावार के लिए खाद और अच्छा बीज इस्तेमाल कराया जाय। जमीन रीक्लेम की जाय और खेती करने के तरक्कीयाफ्ता तरीके अख्तियार किये जायं और इन सब ढंगों का प्रयोग करके सन् १९५६–५७ में ३.९४ लाख टन और चालू वर्ष में ५.२१ लाख टन गल्ले की पैदावार में बढ़ोत्तरी प्राप्त की जाय। दरअस्ल सन् १९५६–५७ में ३.९४ के बजाय ५.०१ लाख टन की बढ़ोत्तरी हो गई। चालू वर्ष का नतीजा सामने आने के पश्चात् मालूम होगा कि इस वर्ष में क्या हुआ।

१९—उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की दर्द भरी कहानी इस बात की मोहताज नहीं कि मैं उसकी याद दिलाऊं। वह जभी याद आये। वह तो हम सब के दिलों पर नक्श है ही मगर गवर्नमेंट, इस सदन के माननीय सदस्यों और दूसरे साहबान ने इस मुसीबत के समय में जो कुछ किया वह भी सब के सामने है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तमाम गैर-सरकारी साहबान और सरकारी कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत, इस्तकलाल और दिल की लगन के साथ बहुत कुछ कष्ट उठाकर सहायता देने का काम किया। इसी प्रकार पश्चिमी जिलों में पिछले दिनों जो मुसीबत आकर पड़ी उसमें भी सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी भाइयों ने बड़े दिल और मेहनत से काम किया। वह भी हमारे शुक्रिये के पात्र हैं।

२०—सरकार की ओर से इस दुःख भरे समय में जो माली सहायता दी गई उसमें पूरब-पश्चिम दोनों में मिलाकर चालू वर्ष में अब तक २ करोड़ ४१ लाख रुपया खर्च हुआ, जिसमें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से अनुदान और गल्ले की क़ीमत वग़ैरह के तौर पर जो कुछ व्यय किया गया उसकी संख्या लगभग १ करोड़ ७ लाख रुपये है। आगामी वर्ष में पूर्वी जिलों के लिए एक विशेष कृषि स्कीम रक्खी गयी है जिसका मकसद कृषि में उन्नति या डेवलपमेंट करना और आसानियां देना और कृषि की हालत को बेहतर बनाना है। विशेष रूप इस योजना का यह है :—

(१) सुपर फास्फेट पैदा करने के लिए डाइजेस्टर्स की स्थापना,
(२) हाइसेंथ कम्पोस्ट (Hyacinth Compost) बनाना,
(३) तालाबों का गहरा करना,
(४) तालाबों की सिल्ट (silt) को खेतों में डालना,
(५) जिन रकबों में सैलाब आये उनमें फ़ास्फ़ेट फर्टीलाइजर्स कम क़ीमत पर तक़सीम करना और खेती के पैटर्न को बदलना, और
(६) पौदों की हिफ़ाजत के सेन्टर्स (Plant Protection Centres) स्थापित करना।

औद्योगिक विकास (INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

२१—उत्तर प्रदेश की बाबत यह कहा जाता है कि इसकी इकानमी (economy) कृषि प्रधान है यानी एग्रीकल्चरल (agricultural) है और इसमें जहां तक हो कृषि की उन्नति की जाये। मगर ऐसा करना मेरे नजदीक एक तरफा बात है। कोई इकानमी (economy) कैसी भी हो लेकिन दुनियां में इन्सानों की जिन्दगी आज के दिन जिस ढंग पर बनी हुई है उसमें उद्योग-धंधों की मदद के बगैर आर्थिक स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे वास्ते आवश्यक है कि हम उद्योग-धंधों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दें और उनकी उन्नति पर इस राज्य के कल्याण को निर्भर समझें। उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में यहां बहुत कुछ किया गया है जिसका खाका मैंने चालू वर्ष की बजट की स्पीच में दिया था। अब इसकी ओर पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धंधों पर व्यय करने के लिए १८ करोड़ ५४ लाख रुपया रक्खा गया है जिसमें से ४ करोड़ ७७ लाख रुपया बड़े स्केल की इन्डस्ट्रीज के लिए और १३ करोड़ ७७ लाख रुपया दरमियानी और छोटी स्केल की इन्डस्ट्रीज के लिए रक्खा गया है। यह रुपया उसके अतिरिक्त है जो प्राइवेट सेक्टर (private sector) द्वारा इस प्रदेश में व्यय होना है।

२२—एक साफ नकशा सामने रखने के लिए मैं हैवी (heavy) यानी भारी, छोटे स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज (Cottage Industries) के सम्बन्ध में अलग-अलग निवेदन करता हूं।

२३—बड़े उद्योग-धन्धे—इसके सिलसिले में पहले प्राइवेट सेक्टर को लीजिये। एक सोडा ऐश कम अमोनियम क्लोराइड (Soda Ash-Cum-Ammonium Chloride) फैक्टरी वाराणसी के करीब इस वक्त बन रही है। इलाहाबाद के करीब नैनी में एक हैवी एलेक्ट्रिकल गुड्ज (heavy electrical goods) की फैक्ट्री के लिए लाइसेंस जनरल एलेक्ट्रिक कम्पनी (General Electric Co.) को मिल चुका है और वह अपना कार्य आरंभ करने वाले हैं। तीन कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी (Co-operative Sugar Factories), एक ज्वाइंट स्टाक शुगर फैक्ट्री (Joint Stock Sugar Factory), चार फैक्टरी जो रेलवे वैगन बनायेंगी, एक फैक्टरी टैक्सटाइल मशीन बनाने के लिए, दो फैक्ट्री कपड़ा बनाने के लिए और एक रेयौन (Rayon) बनाने के लिए तजवीज हुई हैं। इन सब फैक्टरियों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं और कुछ पर काम भी शुरू हो गया है। एक ऐलुमिनियम फैक्ट्री (Aluminium Factory) मिर्जापुर में रिहंद के नजदीक बनने की भी आशा है। इनके अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर (Public Sector) में गवर्नमेंट सिमेंट फैक्टरी (Government Cement Factory) की उत्पादन शक्ति दुगुनी की जा रही है

और प्रिसिजन इंसट्रूमेंट फैक्ट्री (Precision Instruments Factory) का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा एक फैक्ट्री रेलवे इंजन के हिस्से बनाने के लिए वाराणसी के नजदीक और एक सिंथेटिक रबड़ फैक्ट्री (Synthetic Rubber Factory) बरेली के करीब स्थापित करने का विचार है। इन सबों की बाबत मुनासिब क़दम उठाये जा रहे हैं। रेलवे इंजन के हिस्से बनाने वाली फैक्ट्री के लिए जमीन एक्वायर (acquire) की जा चुकी है और फैक्ट्री जल्दी ही बनना शुरू हो जायेगी।

२४–दरमियानी व छोटे उद्योग-धन्धे––उत्तर प्रदेश में ५२ तरह के मीडियम (medium) या दरमियानी और ७७ प्रकार के छोटे उद्योग-धंधे हैं। उद्योग विभाग ने इन धंधों की कई प्रकार से बड़ी सेवा की है। सबसे पहले यह कि इनके बने हुए माल की क्वालिटी (quality) बेहतर कराई है। उनके लिए उत्तर प्रदेश के अन्दर और बाहर बाजार पैदा किया है। उनके बनाये जाने के तरीकों में तरक्की करायी है। उनके बनाने वालों को दरमियानी आदमियों के पंजे से छुड़ाया है और बनाने वालों की संख्या बढ़ाई है। उनके बने हुए माल की क़ीमत बढ़ाने के साधन पैदा किये हैं जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है। उनका उत्पादन बढ़वाया है, उनके लिए ट्रेनिंग का प्रबंध किया है, उनके लिए पाइलेट वर्कशाप (Pilot Workshops) बनवाये हैं और उनके लिए टेक्निकल नो-हाऊ (technical 'know-how') मुहय्या किया है। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता समझी गयी है वहां उनको ग्रान्ट और ऋण के तौर पर आर्थिक सहायता दी है। उनके सामानों के लिए प्रदर्शनियों का प्रबन्ध किया है और उनके लिए मुस्तकिल शो रूम स्थापित किये हैं तथा उनके डिजाइन बेहतर करने के लिए डिजाइन सेन्टर कायम किये हैं।

२५–उद्योग विभाग की ओर से जो कुछ किया गया है उसका परिणाम यह है कि उनमें से कितनी ही इंडस्ट्रीज (industries) की बनी हुई चीजों के लिए बाहर के देश मुस्तकिल बाजार बन गये हैं और हमारे देश को उनके द्वारा फौरेन एक्सचेंज (foreign exchange) प्राप्त होने लगा। इन सब धंधों की यहां गिनती गिनाना तो मुमकिन नहीं मगर चंद के नाम यह हैं ब्रासवेयर (brassware), प्रिंटस (prints,), चिकन, कालीन, ब्राकेड (brocades), ताले, हार्डवेयर (hardware), चमड़े का तथा खेल का सामान और जूते वगैरह। सिर्फ ऊनी कालीनों से जो बाहर के देशों को भेजे गये, हमारे देश में तीन करोड़ रुपया आया। जो और घरेलू उद्योग द्वारा बनाई हुई चीजें बाहर भेजी गईं वह ब्रासवेयर (brassware), सिल्क (silk), प्रिंटस (prints), खेल का सामान (sports goods) और ब्राकेड (brocade) वगैरह हैं। इनके बाहर भेजे जाने के द्वारा भी ३ करोड़ रुपया हमारे देश में आया है।

२६––उत्तर प्रदेश में गवर्नमेण्ट हैण्डी क्राफ्टस (Government Handicrafts) ने लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और हैदराबाद में शो रूम्स (show rooms) या नुमाइशघर स्थापित कर रक्खे हैं। चालू वर्ष में एक नुमाइशघर भोपाल में भी खुल रहा है। इन सेंटरों पर १९५६–५७ में १९ लाख रुपये की बिक्री हुई और चालू वर्ष में २० लाख रुपये तक की बिक्री हो जाने की आशा है। इन धंधों के उत्पादन के लिए और बाजार पैदा करने के वास्ते एक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (Small Scale Industries Corporation) स्थापित किया जाने वाला है जिसका शेयर कैपिटल (Share Capital) १२.५० लाख रुपया होगा और जिसका यही काम होगा कि वह ऐसे धंधों के लिए बाजार पैदा करे।

२७––यहां विशेष तौर पर इसका भी चर्चा करना आवश्यक है कि पहाड़ी जिलों में पहाड़ी ऊन, हार्टिकल्चर (Horticulture) और फलों के मुरब्बे वगैरा बनाने का काम जारी किया गया। इस समय ६५ कातने वाले और ११ बुनने वाले तथा उत्पादन करने वाले सेन्टर (Centres) पर हिल वूल स्कीम (Hill Wool Scheme) के मातहत काम हो रहा है जिनमें पिछले साल में ३ लाख रुपये का कपड़ा बना। बजट के साल में एक वीविंग कम प्रोडक्शन

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सेण्टर (Weaving-cum-Production Centre) और १० कातने वाले सेन्टर और स्थापित किये जावेंगे। पहाड़ी एरिया में १५,००० आदमियों को कातने और बुनने का काम सिखाया गया जिनमें से बहुत से ट्रेनिंग पाने की वजह से काम कर रहे हैं। पहाड़ी ऊन की बनी हुई चीजों में अनेकों उम्दा डिजाइन निकाले गये हैं और इस प्रकार बनी हुई चीजों की क्वालिटी (quality) को और बेहतर बनाने के लिए एक पहाड़ी ऊन की रिसर्च लेबोरेटरी (Research Laboratory) अल्मोड़े में स्थापित की गयी है, जो उत्पादन करने वालों को मशविरा देती है। पहाड़ों में हार्टिकल्चर (Horticulture) में भी बहुत विकास किया गया है। सन् १९५२ में फ्रूट क्राप्स (fruit crops) का रक़बा पहाड़ी इलाकों में ६,००० एकड़ था, जो अब बढ़कर १६,००० एकड़ हो गया है। रामगढ़ में एक फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी (Fruit Processing Factory) स्थापित हुई जिसमें उन फलों से जो पहले जाया जाते थे फ्रूट जूस (fruit juice) और पल्प (pulp) तैयार होता है। इस फैक्टरी में १९५६-५७ में ७०,००० पौण्ड (pounds) फ्रूट जूस और पल्प तैयार हुआ और अब इससे भी अधिक बनने की आशा है।

२८—मैं माननीय सदस्यों से माफ़ी चाहता हूं कि अब से पहले मैंने यह न बतला दिया कि राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके द्वारा २ बड़ी इण्डस्ट्रियल एस्टेट (Industrial Estates) एक कानपुर में और दूसरी आगरे में और ३ छोटी एस्टेट (Estates) देवबन्द, लोनी और वाराणसी में स्थापित हो रही हैं। ऐसी ही एक एस्टेट (Estate) केन्द्रीय सरकार की ओर से इलाहाबाद में नैनी पर बन रही है। छोटे उद्योग-धंधों वालों को पूरा मौक़ा दिया जावेगा कि वह अपने वर्कशाप (Workshops) खोलें। चूंकि कानपुर की एस्टेट (Estate) समाप्त होने के करीब आ गयी है वहां वर्कशाप एलाटमेण्ट (workshop allotment) कर दिया गया है। दूसरी जगह की निस्बत यह आशा है कि एस्टेट्स (estates) वित्तीय वर्ष के अन्त तक स्थापित हो जायेंगी।

टेक्निकल शिक्षा (TECHNICAL EDUCATION)

२९—उत्तर प्रदेश में टेक्निकल आदमियों का मौजूद होना एक ऐसी आवश्यकता है जिससे इन्कार नहीं हो सकता है। यह प्रदेश इस आवश्यकता की ओर से आंखें छिपाये नहीं रहा। सन् १९५५ में गवर्नमेंट ने हाथरस में एक टेक्निकल इन्स्टीट्यूट खोला जिसमें ४०-५० आदमी हर वर्ष लिये जाते हैं। इनको कम्प्यूटर्स और सर्वेयर्स (Computors and Surveyors) की ट्रेनिंग दी जाती है। सन् १९५७ से ड्राफ्ट्समैन भी वहां तैयार किये जाने लगे हैं और हर साल ३५ दाखिल किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी सहायता पाने वाले तीन स्कूल जिसमें ओवरसियरी सिखाई जाती है—नैनीताल, चंदौली (जिला वाराणसी) और हंडिया (जिला इलाहाबाद) में खोले गये हैं। इनमें से हर एक में १०० विद्यार्थी हर वर्ष दाखिल किये जाते हैं। खुर्जे में एक सिविल मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल स्कूल खुल रहा है।

३०—चालू वर्ष के अन्दर मौजूदा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में ५०० जगहें और निकाली गयी हैं ताकि ज्यादा दस्तकार ट्रेन किये जा सकें। इन स्कूलों में ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जैसे एलेक्ट्रीशियन का काम, फिटर्स का काम, वेल्डर्स का काम, टर्नर्स का, मोलडर्स का, पैटर्न मेकर और प्लम्बर्स का। सन् १९५८-५९ में दो और इन्स्टीट्यूट खोलने का प्रबन्ध होने वाला है। यह अन्दाजा किया गया है कि सन् १९५८-५९ में विद्यार्थियों की संख्या ऐसे स्कूलों में ३,५६८ हो जायेगी। इन्डस्ट्रियल वर्कर्स को ट्रेन कराने का काम फैक्ट्रियों में भी किया जा रहा है और इसके अलावा यह भी किया जाने वाला है कि इन्डस्ट्रियल वर्कर के लिए शाम के समय क्लासेज हुआ करें ताकि आज की टेक्नीक की बातें सिखाई जायें।

३१—रुड़की में इन्जीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जो बराबर बढ़ती चली जा रही है। सन् १९५६-५७ में इस यूनिवर्सिटी में इन्जीनियर्स के लिए १२० और ओवर-सियरी के लिए २०० विद्यार्थी लिये जाते थे। अब आइन्दा के लिये २९० इन्जीनियरी के लिए और ३०० ओवरसियरी के वास्ते लिये जायंगे। जबकि वहां सन् १९५३-५४ में सिर्फ ४८८ का और १९५६-५७ में ७२६ का दाखिला हुआ था, अब वहां १,०३६ का दाखिला है। इस यूनि-वर्सिटी में एक नयी डिग्री की पढ़ाई खोली गई है, जो टेली-कम्यूनिकेशन (Tele-Communi-cation) इन्जीनियरिंग कहलाती है और हाई-वे (High-way) इन्जीनियरिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी खोला गया है। इससे पहले ७ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और खोले जा चुके हैं। एक रिसर्च और इन्सेन्टिव फंड (Research and Incentive Fund) भी खोला गया है जिसका खर्चा उस आमदनी से चलता है जो यूनिवर्सिटी को मशविरा देने से होती है। एक और योजना यहां जारी की जा रही है जिसका नाम है 'अर्न ह्वाइल यू लर्न' (Earn while you learn) यानी पढ़ते रहो और कमाते रहो। इससे यह फायदा होगा कि विद्यार्थी पढ़ने के जमाने में कुछ कमाते भी रहेंगे और घर पर खर्चे का भार कम हो जायगा। विद्यार्थियों ने श्रमदान से बहुत काबिल तारीफ काम किया है। चालू वर्ष के अन्दर एक स्पोर्ट्स पैवेलियन, एक बोट हाउस और कई पक्की सड़कें यूनिवर्सिटी एरिया में बनायीं।

सिंचाई, बिजली और सड़कें (POWER, IRRIGATION AND COMMUNICATIONS)

३२—इस राज्य में सिंचाई की काफी तेजी के साथ तरक्की होती रही है। सन् १९५१ में जितने रकबे की सिंचाई सरकार की बनाई हुई चीजों से हो सकती थी वह ७८ लाख एकड़ था। सन् १९५६ में ७८ लाख एकड़ से बढ़कर १०६.५० लाख एकड़ हो गया है और १९५६-५७ में उसमें ७.४ लाख एकड़ की और बढ़ोत्तरी हुई। चालू वर्ष में ३ लाख एकड़ और बढ़ गया। नहरों से निकलने वाली चैनेल सन् १९५१-५२ में १९,०६९ मील थी और २,२९९ ट्यूबवेल बने हुये थे। चालू वर्ष के अंत तक चैनेल्स का विस्तार २४,४५३ मील हो जायगा और ट्यूबवेल्स की संख्या ५,८६३ तक पहुंच जायेगी। बजट वर्ष में १७७ मील नयी चैनेल्स और ६५० ट्यूबवेल्स और बनाये जायेंगे।

३३—जहां तक कि बिजली का ताल्लुक है इस वक्त उत्तर प्रदेश में ११ हाइडेल और २७ थर्मल पावर स्टेशन हैं और उनके मुताल्लिक ५,३४७ सब-स्टेशन हैं जब कि पावर स्टेशन की संख्या सन् १९४६ में कुल १६ थी। मार्च सन् १९४५ में उत्तर प्रदेश में बिजली की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी (installed capacity) ३२,३०० किलोवाट थी जो अब बढ़कर १,४४,२२२ किलोवाट हो गई है यानी १९४५ से अब तक १,११,९२२ किलोवाट का इजाफा हो चुका है और पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर इस समय तक १०१ कस्बों और क्षेत्रों में बिजली लग चुकी है।

३४—आमदरफ्त के जरिये यानी सड़कों की काबिले लिहाज तरक्की हुई है। स्वतंत्रता आने से पहले इस राज्य में ९,३८७ मील पक्की सड़कें थीं जिनमें से बराहरास्त गवर्नमेंट के पास सिर्फ ४,९०० मील थीं। आज उत्तर प्रदेश में पक्की सड़कें १२,१८५ मील हैं जिनमें से १०,५५५ मील खुद सरकार के इन्तजाम में हैं। स्वतन्त्रता के आने से अब तक ४७ बड़े पुल बन चुके हैं और इस समय ३१ पुलों पर भरपूर काम हो रहा है।

सामाजिक सेवायें (SOCIAL SERVICES)

३५—इन सेवाओं के संबंध में मैं सबसे पहले शिक्षा का चर्चा करता हूं। आम शिक्षा के लिए कुल मिलाकर इस बजट में १७.७ करोड़ रुपया रक्खा गया है। टेक्निकल शिक्षा के लिए कुल रुपया जो इस बजट में रक्खा गया है वह ३.१२ करोड़ है। जनरल एजूकेशन के सिलसिले में सरकार का ध्यान विशेष कर जिन चीजों की तरफ आकर्षित रहा है वह बेसिक एजूकेशन और

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सेकेन्डरी एजूकेशन का पुनर्संघटन और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा में इस्लाह है। आइन्दा वर्ष में १,२५० जूनियर बेसिक स्कूल खोलने और १५० स्कूलों में लाइब्रेरियां स्थापित करने, बेसिक स्कूलों में से ७० में क्रैफ्ट और १०० स्कूलों में जनरल साइन्स शुरू करने के लिए रुपया रक्खा गया है। इलाहाबाद की सरकारी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कोर्स भी आगामी साल में खोला जायगा और साइन्स की शिक्षा की देखभाल के लिए एक ऐसी सर्विस स्थापित की जायगी जिसका काम यह होगा कि साइन्स से संबंधित बातों में मशविरा दे, साइन्स की जो शिक्षा स्कूलों में होती है उसकी निगरानी करे और उसके सिखाये जाने के तरीकों में तरक्की कराये।

३६—शिक्षा के संबंध में चर्चा करते हुए मैं खासतौर से एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। सरकार ने यह तय किया है कि जिन हायर सेकेन्ड्री स्कूलों को सरकारी सहायता मिलती है उनके अध्यापकों को चिकित्सा की वही सहूलियतें दी जायं जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्राप्त हैं। क्योंकि चालू वर्ष के बजट को पेश करते वक्त तक इस योजना के डिटेल्स (details) तय नहीं हो सके थे इसलिये बजट में बतौर टोकन के रुपया रक्खा गया था। अब इस योजना के डिटेल्स (details) तय हो रहे हैं और यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष के अन्त तक या बजट वर्ष के शुरू होते ही इस स्कीम को अमल में लाया जायेगा।

३७—चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभागों का कार्य साल ब साल आगे को बढ़ता जा रहा है। चुनांचे सन् १९५६ के अन्त तक छोटे-बड़े शफाखानों की संख्या १,८६१ पर पहुंच चुकी है—जिनमें २१,१०७ बेड्स का इन्तजाम हो चुका है। शफाखानों में जो जरूरी सामान होने चाहिए उनमें भी बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। इन सामानों, दवाओं और गरीब मरीजों के खाने के लिए अब पहले से ज्यादा रुपया दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ चिकित्सा और हेल्थ के मामलों में स्वतंत्रता आने के समय से अब तक किया है उसका परिणाम यह है कि सख्त बीमारियों में से कुछ पर तो पूरा काबू पा लिया गया है और बाज को देश निकाला दे दिया गया है। प्लेग जाता रहा। कालरा, चेचक और काले आजार में बहुत कमी हो गयी और मलेरिया पर अच्छी तरह काबू पा लिया गया। मलेरिया जो सन् १९५२ में १५.९ फ़ीसदी था अब ४.७४ फ़ीसदी रह गया। आगामी साल से मलेरिया को बिल्कुल ही नष्ट कर देने का एक प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए आगामी बजट में ९० लाख रुपया रक्खा गया है।

३८—मौरल (Moral) और सोशल (Social) हाइजीन और आफटर केयर सर्विस (after care services) इस साल प्लान में शामिल की गई है और इसके द्वारा चार सरकारी होम इस राज्य के लिए खोले जा चुके हैं। सोशल वेलफेयर या समाज कल्याण के सिलसिले में आगामी साल के प्रोग्राम में कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाना भी है। यह भी है कि प्राइवेट आर्गेनाइजेशन्स को जो बच्चों, औरतों वगैरह के वेलफेयर का काम करते हों, ग्रांट दी जायं। इलाहाबाद में भीख मांगने वालों के रखने के लिए भी एक घर बनाना तजवीज हुआ है जो आगामी साल में बनाया जायगा और औरतों की वेलफेयर की स्कीम को पांच और जिलों में जारी किया जायेगा।

३९—यहां पर मैं बूढ़े लोगों को पेंशन देने की स्कीम (Old Age Pension Scheme) के संबंध में कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। मौजूदा वर्ष का बजट जब पिछली जुलाई में पेश किया गया था तब तक इस स्कीम के डिटेल्स (details) तय नहीं हो सके थे। लिहाजा चालू वर्ष के बजट में इस काम के लिए एक लम्प प्रोवीजन (lump provision) रक्खा गया था। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि चन्द महीनों के अन्दर ही इस स्कीम के सारे डिटेल्स (details) तय कर लिये गये और जिस वक्त कि देश गणतंत्र की आठवीं वर्षगांठ मना रहा था, पेंशनों का बंटना भी आरम्भ हो गया। बजट वर्ष में इस स्कीम को जारी रक्खा जायेगा और यह तवक्को है कि अब और अधिक लोगों को पेंशनें बांटी जायेंगी जिससे कि वह दुनियां में अपने आखिरी दिन शांति से बिता सकें।

४०--जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, गवर्नमेंट ने उनके संबंध में भी बहुत कुछ किया है। इन वर्करों को लेबर वेलफेयर सेंटरों द्वारा कुछ आसानियां दी जाती हैं। उन सेंटरों की संख्या इस राज्य के चालू साल के अन्दर ५४ हो गई है। उनके लिए कानपुर में एक टी० बी० क्लीनिक भी है। उनके लिये घरों की ओर भी ध्यान दिया गया है। सब्सिडाइज्ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम (Subsidized Industrial Housing Scheme) के मातहत उनके लिये १५,१५२ क्वार्टरों का इन्तजाम किया गया है। शूगर फैक्ट्रियों में भी अब तक वर्करों के लिये १,५०० मकानों के करीब बन चुके हैं। आगामी वर्ष में करीब एक करोड़ रुपया सब्सिडाइज्ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम (Subsidized Industrial Housing Scheme) के मातहत और क्वार्टरों के बनाने के लिए बजट में रक्खा गया है। लेबर विभाग आगामी वर्ष ७१.१३ लाख रुपया दस्तकारों की ट्रेनिंग और लेबर वेलफेयर की योजनाओं पर खर्च करने वाला है।

४१--आगामी साल में हरिजनों, पिछड़ी हुई जाति के आदमियों और उन पर जिनको पहले क्रिमिनल ट्राइब्स (Criminal Tribes) कहा जाता था और अधिक ध्यान दिया जाने वाला है। जो काम उनके लिये पहले से किए जा रहे हैं उन पर और ज्यादा जोर दिया जायगा। हरिजनों के लिये मकानों के संबंध में जो स्कीम है उसमें यह बात और बढ़ाई जायगी कि हरिजनों को जो इसके मुस्तहक़ हों मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी जाय। जो टीचर हरिजन सहायक विभाग से मदद पाने वाले स्कूलों में काम करते हैं उनकी तनख्वाहों और भत्ते का स्केल लोकल बाडीज (local bodies) के स्कूलों के टीचरों के बराबर किया जायगा। इन सब बातों के साथ-साथ छूत की प्रथा को भी दूर करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इस सिलसिले में यह एक फख्र की बात है कि इस साल राज्य के कुछ बड़े मंदिरों को हरिजनों के लिए खोल दिया गया है। आगे इस सिलसिले में इससे भी ज्यादा कामयाबी की उम्मीद है।

सरकारी कारबार (GOVERNMENT UNDERTAKINGS)

४२--सरकार ने कुछ तिजारती प्रकार के काम कर रक्खे हैं। इस समय में उनकी भी कुछ चर्चा किया चाहता हूं। उनमें से पहले रोडवेज को लीजिये जिसका कांग्रेस सरकार ने सन् १९४७ में राष्ट्रीयकरण किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सन् १९५६-५७ के अंत में सरकारी बसें ६,४१२ मील सड़कों पर चलने लगीं। रोडवेज आर्गेनाइज़ेशन को बराबर लाभ होता रहा है और सन् १९५६-५७ में सब खर्चा निकालने के बाद ६५ लाख ७६ हज़ार रुपये का लाभ (net profit) हुआ। सन् १९५६-५७ के अन्त तक ५ करोड़ ४६ लाख रुपये की पूंजी व्यय हुई थी।

४३--कानपुर एलेक्ट्रीसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरी चीज़ है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह एक बिजली का पावर स्टेशन है जिसको सरकार ने सन् १९४७ में खरीद लिया था। ३१ मार्च, १९५७ तक इसमें सरकार का ५ करोड़ ४० लाख रुपया बतौर पूंजी लग चुका है और उसके मुक़ाबले में ११ करोड़ ४१ लाख रुपये की आमदनी हो चुकी है। इसमें से ८ करोड़ ७३ लाख रुपया खर्च निकाल कर २ करोड़ ६८ लाख बाक़ी रहता है जिसमें से १ करोड़ ४६ लाख सूद में चले जाने के बाद १ करोड़ २२ लाख रुपये सरकार को बचे। जिस वक्त सरकार ने केसा (KESA) को खरीदा था, सिर्फ़ १४.७ करोड़ यूनिट बिजली सालाना बनती थी। उसके मुकाबिले में आज २३.७ करोड़ यूनिट बिजली सालाना बनती है।

४४--प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी सरकार ने सन् १९४९-५० में पानी के मीटर, खुर्दबीनें और दूसरे प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स बनाने के लिए स्थापित की थी। यह फैक्टरी आजकल २० हज़ार पानी के मीटर और १०० खुर्दबीनें साल भर में बना लेती है। बमुकाबले पहिले के अब इसकी माली हालत बराबर बेहतर होती जा रही है। इसमें अब तक ३६ लाख ६६ हजार

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

रुपये की पूंजी लग चुकी है। हालांकि इसमें सन् १९५३–५४ तक ४.३ लाख रुपये का घाटा हुआ, उसके बाद से अब तक इसमें बराबर लाभ हो रहा है और लाभ की रक़म हर साल बढ़ती जा रही है। सन् १९५४–५५ में ३१,८६६ रुपये का, १९५५–५६ में ५७,४०० रुपये का और १९५६–५७ में ९१,६०१ रुपये का लाभ हुआ। यह गौरव की बात है कि सारे भारत में यही एक फैक्टरी है जो वाटर मीटर बनाती है। आगामी वर्ष इस फैक्टरी में प्रेशर नापने के आले भी बनने शुरू होंगे और भारत में या दूसरी ऐसी फैक्टरी होगी जिसमें यह काम होगा। इसके अतिरिक्त अगले साल से इसमें इन्डस्ट्रियल जुएल्स (industrial jewels) भी बनने आरम्भ होने वाले हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस फैक्टरी में एक्सपेन्शन (expansion) होना तजवीज हुआ है। इस एक्सपेन्शन (expansion) के बाद इस फैक्टरी में ३६ हजार पानी के मीटर, ३०० खुर्दबीनें और १२,००० प्रेशर नापने के आले हर साल बनने लगेंगे।

४५—आखिर में, गवर्नमेन्ट सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क का चर्चा कर देना भी आवश्यक मालूम होता है। इस फैक्टरी में सन् १९५४–५५ से सीमेन्ट बनना शुरू हुआ। इस फैक्टरी में हर साल २ लाख ३१ हजार टन सीमेंट बन सकता है। इस फैक्टरी का उत्पादन हर साल बराबर बढ़ता रहा है और अब इसकी उत्पादन शक्ति ९८ फीसदी तक पहुंच गई है। अब से कुछ पहले तक इसके चलाने का काम एक विदेशी फर्म की सलाह से हो रहा था मगर अब उस फर्म का ठेका समाप्त हो गया है और इसका सब काम हमने अपने हाथों में ले लिया है। अब जिनके हाथों में काम है उनके लिए यह गौरव की बात है कि इसका माहवारी उत्पादन बराबर बढ़ता ही चला आ रहा है और इसमें पहले से अधिक लाभ होना आरम्भ हो गया है। सन् १९५५–५६ में इस फ़ैक्टरी से ८ लाख ५० हजार रुपये का और सन् १९५६–५७ में १३ लाख ६२ हजार रुपये का लाभ हुआ। सदन को विदित है कि इस राज्य में सीमेन्ट की जो कमी है उसको ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाने के लिए चुर्क फैक्टरी की शक्ति को दुगुना कर दिया जाय। यह काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल है। दुगुनी शक्ति हो जाने पर यह फैक्टरी और अधिक लाभदायक हो जायेगी।

पुनर्संघटन और बचत (REORGANIZATION AND ECONOMY)

४६—उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सीनियर अफसर की तकर्रुरी इसलिये की है कि वह शासन में पुनर्संघटन करने और खर्चे में बचत करने के सुझाव दें। इन साहब ने पुनर्संघटन के संबंध में जो सुझाव दिये उनके परिणाम में कितनी ही जगहों में पुनर्संघटन किया गया। १ जनवरी सन् १९५७ से जिलों की कलेक्टरियों में पुनर्संघटन किया गया। कलेक्टरी में काम करने के जो ढंग पहले से चले आ रहे थे उनमें सुधार हुए और पब्लिक के वास्ते कुछ सुविधायें दी गयीं जैसे कि बड़े जिलों में कलेक्टरियों में जनता के वास्ते इन्क्वायरी के दफ्तरों का स्थापित किया जाना, अदालतों और मुहाफ़िजखानों से नकलें लेने में जो देर होती थी उसको रफ़ा करना। यह बहुत पुरानी शिकायत थी जो दूर की गयी। लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर का अलाहदा दफ्तर मन्सूख होकर बोर्ड आफ़ रेवेन्यू में शामिल हो गया है और बोर्ड आफ रेवेन्यू की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का पुनर्संघटन किया गया है। टैक्सों का एक ही महकमे यानी बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के इन्तजाम में दिया जाना भी आरम्भ हो रहा है। महकमे के आला अफसरों के यहां से जो रेफ़रेन्स (references) सचिवालय में आते हैं उन पर सरकार के आदेशों में देर न होने की गरज से एक योजना चालू की गयी है जिसके अनुसार इस समय शिक्षा, सिंचाई और जंगलात के सचिवालय में तजुर्बे के तौर पर काम हो रहा है। इस इन्तजाम के मातहत महकमे के आला अफसर अपनी तजवीजें ही न भेज कर अपनी फाइलें भी सचिवालय को भेजेंगे और इस तरह आला अफसर के दफ्तर की टिप्पणियों का इस्तेमाल सचिवालय में किया जा सकेगा। इस तरह सचिवालय में और नोटिंग की जरूरत नहीं रह जायगी। इसके द्वारा यह आशा की जाती

है कि काम के रफ्तार में तेजी और खर्चे में बचत होगी। सरकार ने सरकारी खजानों के भी पुनर्संघटन की एक स्कीम मंजूर की है जिसको पहली अप्रैल, १९५८ से इस प्रदेश में चालू किया जाने वाला है। इस स्कीम में खजानों में रुपया जमा करने के जो कायदे थे उनमें लोगों के लिए आसानियां पैदा की गयी हैं और कुछ सुधार खजानों में हिसाब रखने के सम्बन्ध में भी किये जायंगे। एक पेंशन पाने वाले को यह अधिकार होगा कि चाहे वह अपनी पेंशन खजाने से ले ले या उस महकमे के दफ्तर से।

४७--सचिवालय में इण्डोलाजी, कल्चर और साइन्टिफिक रिसर्च (Indology, Culture and Scientific Research) का महकमा इस साल में खोला गया है। इस महकमे को १९ काम सुपुर्द किये गये हैं जो पहले सामान्य प्रशासन (General Administration), शिक्षा और उद्योग के महकमों में होते थे।

४८--जो इकानामी कमेटी (Economy Committee) इस राज्य में महकमों के खर्चों में कमी और पुनर्संघटन के सुझाव देने का काम कर रही थी उसका कार्य अब क़रीब-क़रीब समाप्त हो गया है। बहुत थोड़ा-सा काम, जिसको आखीरी नजर डालना कहा जा सकता है, रह गया है। इसने जो खर्च की कमी की सिफ़ारिशें सरकार को कीं उनकी कमी की संख्या क़रीब २ १/२ करोड़ रुपये के होती है। कमेटी की फ़ाइनल रिपोर्ट आने पर सरकार उसकी सिफ़ारिशों पर पूरी तरह से ग़ौर करेगी। इस दरमियान में गवर्नमेंट ने खुद कमी के चंद तरीक़े अख्तियार किये हैं। मसलन, गजटेड अफसरान को जो चपरासी दिये जाते थे उनमें कमी कर दी गयी है और सरकारी महकमों के आकस्मिक खर्चे (contingent expenditure) में भी कमी की गयी है। यह आशा की जाती है कि गवर्नमेंट ने बचत के जो तरीक़े अख्तियार किये हैं उनके द्वारा चालू वर्ष में ३० लाख रुपये से अधिक की बचत होगी और बजट वर्ष के बारहों महीनों में यह आशा की जाती है कि इस बचत की रकम ७० लाख रुपये की होगी।

सामान्य (GENERAL)

४९--अपनी स्पीच को खत्म करने से पहले मैं एक बात का खासतौर से जिक्र करना चाहता हूं। यह विषय ऐसा है जिसके ऊपर सरकार कुछ अरसे से अपना ध्यान दे रही है। मेरा मतलब उस फ़र्क से है जो कि केन्द्रीय सरकार और इस प्रदेश की सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाहों वगैरह में है। सरकार इस बात को समझती है कि यह फर्क बहुत कुछ हद तक ठीक नहीं है। सरकार यह भी जानती है कि इस अन्तर की वजह से हमारे कर्मचारियों में असन्तोष है। यह जानते हुये भी उत्तर प्रदेश की सरकार साधनों की कमी की वजह से इस मामले में अपने बल पर अब तक अधिक नहीं कर सकी है। जो कुछ मुमकिन हो सका वह किया गया है। अभी चंद महीनों पहले ही छोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी और लोकल बाडीज़ के कर्मचारियों को जो महंगाई मिलती थी उसको बढ़ाया गया। केवल इस खर्चे से ही इस प्रदेश की सरकार के ऊपर डेढ़ करोड़ रुपया सालाना का भार पड़ा है और जाहिर है कि इस समय इससे अधिक बोझ संभालना हमारी शक्ति के बाहर है। इसके बावजूद भी इस सरकार का ख्याल है कि इस तनख्वाहों के फर्क को दूर करने के लिये जो कुछ मुमकिन हो सके करना चाहिए। चुनांचे इस मामले पर जिन क्वार्टर्स से मदद मिल सकती है बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ यह तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को तुरन्त रिलीफ पहुंचाने के लिये यह किया जाय कि चार सौ रुपये तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को जो मौजूदा महंगाई मिलती है उसके आधे को १ अप्रैल, १९५८ से उनकी तनख्वाहों में शामिल कर दिया जावे जैसा कि दो सौ रुपया माहवार पाने वाले कर्मचारियों के लिये अब तक किया गया है।

५०--अब अंत में मुझको एक ऐसी बात निवेदन करना है जिसका संबंध केवल जो बजट आज पेश किया गया है उसी से नहीं बल्कि आज हर हिन्दुस्तानी की जिन्दगी या जीवन से है। जितने मनुष्य यहां रहते हैं ख्वाह वह कोई हों--कहीं रहते हों--किसी मजहब, धर्म या फिरके के हों--किसी पार्टी की जकड़बन्द में बंधे हुए हों--गवर्नमेंट में हों या विरोधी हों, सबका कर्त्तव्य है कि

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जो कोशिश इस देश के स्तर को ऊंचा उठाने की की जाये उसमें शरीक हों--भाग लें और सबके साथ मिलकर इस संबंध में जो कुछ भी कर सकते हों करें और हाथ बटावें। दुनियां में जो बातें ऐसी हैं कि कभी नहीं बदलतीं उनमें से एक यह है कि कभी किसी वक्त में ऐसी सरकार आने वाली नहीं है जो बे ऐब हो। जो भी गवर्नमेंट बनेगी उससे गलती भी होगी। उसमें खामियां भी होंगी। उसके मुताल्लिक दस नहीं बल्कि बीस बातें कही भी जा सकेंगी, परन्तु यह सही नहीं होगा कि उसको सहयोग न दिया जाये--सहयोग भी ऐसा सहयोग जिसके बगैर काम चलना कठिन हो। जिस समय से आज हमारा देश गुजर रहा है वह फिर लौट कर आने वाला नहीं। जो कुछ होना है इसी में हो जायेगा--या हम अपने आपको बना निकलेंगे या हमेशा के वास्ते पिछड़े हुये रह जायेंगे। पिछड़ा हुआ रह जाने का जो परिणाम है उसके बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है---वह खुद अपने-आपको समझाता है। मनुष्य उसको समझता है, इसलिये कि उससे दो-चार होता है और फिर सर पकड़ कर रोता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से चाहे वह सरकारी हों या विरोधी, प्रार्थना करता हूं कि विकास का जो कार्य इस राज्य में हो रहा है उसमें अपना पूरा सहयोग दें और उसके लिए जिन साधनों की आवश्यकता हो उनकी प्राप्ति में सरकार की मदद करें।

५१--अगर्चे मैंने अभी रुपये का चर्चा किया मगर उससे मेरी मुराद टैक्स नहीं है। इस बजट में कोई खास टैक्स लगाना तजवीज नहीं किया गया है मगर रुपये की जरूरत ऐसी है कि उससे बचा नहीं जा सकता। पंचवर्षीय योजनायें चलाकर अगर देश को बनाना है तो हमको किसी अन्य प्रकार रुपय का प्रबन्ध जरूर करना है और चूंकि वह रुपया इस राज्य के रहने वालों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में व्यय होगा तो हर एक को जो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसको इस निगाह से देखना होगा कि उसकी आवश्यकता ऐसी है कि जिसको आंख से ओझल नहीं किया जा सकता और उसका प्रबन्ध किये बगैर नहीं रहा जा सकता। पिछले वर्षों के बजटों में एक से अधिक बार यह बताया जा चुका है कि इस प्रदेश में छोटी बचत स्कीम (Small Savings Scheme) द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३५ करोड़ रुपया प्राप्त करना है। खर्च में कमी करके कुछ बचाना एक ऐसी चीज है जिसने कितने देशों की आर्थिक स्थिति में इन्कलाब कर दिया है। मुल्क पूंजीवादी हों या सोशलिस्ट, सभी के रहने वालों ने खर्च में बचत करके अपने-अपने देशों को बनाया है। हम भी इस रास्ते पर चलकर अपने देश के बनने में बड़ी मदद कर सकते हैं। आगामी वर्ष के बजट में ६ करोड़ रुपये की प्राप्ति बतौर स्माल सेविंग्ज (Small Savings) के हिस्से की रक्खी गयी है। इस हिस्से की प्राप्ति के लिए हमको कम से कम ९ करोड़ रुपया जमा करना होगा। मुझको यकीन है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो उसकी प्राप्ति के संबंध में हमको नाकामी होने वाली नहीं है। स्माल सेविंग्ज स्कीम (Small Savings Scheme) के सिलसिले में हमने सन् १९५५-५६ में भरपूर कोशिश की थी तो हमको १३ करोड़ ४६ लाख रुपया मिला था। इससे ज़ाहिर है कि स्माल सेविंग्ज स्कीम से ९ करोड़ रुपये इकट्ठा करने का तखमीना कोई ज्यादा नहीं है। इस प्रदेश का यह सौभाग्य है कि इसके रहने वाले केवल इतना ही नहीं कि कुर्बानी का नाम जानते हैं बल्कि देश के हित में सच्ची लगन के साथ कुर्बानी करते भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बजट वर्ष के लिए जितने रुपये का मैंने चर्चा किया वह हमको प्राप्त होगा, मगर शर्त यह है कि उसकी प्राप्ति में सभी से सहायता मिले। हमको पूरी आशा है कि अवश्य यह सहायता मिलेगी और सभी भाई उस कोशिश में भाग लेंगे जो इसके संबंध में की जावेगी।

५२--महोदय, इसके पेश्तर कि मैं अपनी स्पीच खत्म करूं, मैं श्री बी० बी० लाल, फाइनेंस कमिश्नर तथा सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपने कार्य को आला काबलियत और मेहनत से निभाया। मैं श्री बी० सी० डंडन, डिप्टी सेक्रेटरी का भी बहुत आभारी हूं जो कि अपने काम में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं श्री भरत नारायण और

श्री एन० सी० रे का भी आभारी हूं जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक बजट की तमाम तफ़सील को देखा। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अन्य और आफीसरों तथा कर्मचारियों का आभारी हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मदद की। गवर्नमेंट प्रेस के अफसरान और अन्य कर्मचारियों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने दिन और रात काम करके इस बजट और इससे संबंधित लिटरेचर के वक्त से छप जान में मदद की। इन सभी साहबान को मैं अपने निजी तौर पर शुक्रिया अदा करने के साथ-साथ सरकार की तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५८-५९ का बजट पेश करता हूं।

(इस समय १ बज कर २६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजट कर ३३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गयाबख्शसिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सरदारनगर, जिला गोरखपुर में गन्ना मूल्य से वृद्धि सम्बन्धित आन्दोलन के कारण गिरफ्तारियों के विषय पर विवाद

श्री अधिष्ठाता—अब सरैय्या शुगर मिल के संबंध में विवाद आरम्भ होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा जो प्रस्ताव है कि सरैय्या शुगर मिल, सरदार-नगर, गोरखपुर के मिल मालिकों की सहायता से पुलिस कर्मचारियों द्वारा सोशलिस्ट नेताओं पर बल प्रयोग तथा प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी की कार्यसमिति के सदस्य श्री चन्द्रबली सिंह तथा अन्य १० नेताओं की गिरफ्तारी से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद, उसके संबंध में मैं कुछ विशिष्ट घटनाओं पर इस सदन में प्रकाश डालना चाहता हूं।

श्रीमन्, इसके पहले मैं वहां की पृष्ठभूमि के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इससे माननीय सदस्य वहां की घटनाओं के बारे में कुछ अधिक अच्छी तरह से समझ सकेंगे। श्रीमन्, यह वह इलाका है जहां १८५७ में अमर शहीद बंधुसिंह शहीद हुए थे और हमारे यह सरदार ने जो गद्दारी की थी उसी के कारण उनको बहुत सी जायदाद उनको दे दी गई थी। यह वह इलाका है जहां सरदार मिल मालिक से मिल कर पुलिस ने अनेक जनतांत्रिक परम्पराओं की हत्या की है और जिनकी शुरुआत १८५७ में हुई थी। शहीद बंधुसिंह की कुर्बानी से वह जमीन लबालब भरी है। वहीं वह इलाका है जिसे चौरीचौरा का इलाका कहते हैं, जहां कि प्रथम बार जन आंदोलन आरम्भ किया गया था और अंग्रेजों के जमाने में वहां जो कुकर्म पुलिस ने किये थे उसका जनता ने बदला भी भरपूर ले लिया था। इतिहास इसका साक्षी है।

तीसरी घटना १९४९ की है। उस समय मैं बम्बई से आया था। १८ नवम्बर, १९४९ को वहां के मजदूरों की लड़ाई शुरू हुई थी। लड़ाई के पहले दिन ही वहां की पुलिस ने मिल मालिकों से मिल कर हमारी पार्टी के नेताओं, सूरजनाथ पांडेय आदि को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आठ वर्ष से लगातार वहां के किसानों और मजदूरों की यह लड़ाई जारी है।

यह जो घटना घटी उसकी तात्कालिक पृष्ठभूमि क्या थी इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। २८ जनवरी, १९५८ को सरदारनगर की मिल के सामने गन्ना उत्पादकों ने एक बड़ी सभा की। उसमें ६,००० उत्पादक सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपनी मांगों को मिल मालिक तथा सरकार आदि को अनेक जगहों को भेजा था। उनकी मांगें थीं कि १ रुपया १२ आना जो गन्ने का दाम मिले, ५, ६ मील के अन्दर कांटों से जो गन्ना लेते हैं उसमें वह ३ आने का कार्टेज काट लेते हैं, तो वह कम से कम काटें। ६ मील के रेडियस में जो किसान गन्ना नहीं दे पाते हैं उनके लिये कांटों की व्यवस्था की जाय और जो २ पैसा कट हो रहा है उसको कम्पलसरी न माना जाय वरन् वालंटियरी करार दिया जाय। जो देना चाहे दे, अन्यथा न दे। इसी

[श्री उग्रसेन]

किस्म की मांगे थीं। उनको भेजते हुए हमने लिखा था कि यदि ९ फरवरी तक हमको कोई उत्तर न मिला तो हम मिल के सामने सत्याग्रह करने के लिये मजबूर होंगे। श्रीमन्, ९ फरवरी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि सरकार के प्रशासकीय अधिकारी सिवाय सरदार साहब से बात करने के और कुछ नहीं करते रहे।

गन्ना उत्पादकों ने सोशलिस्ट पार्टी के तत्वावधान में ९ फरवरी को मिल के सामने मीटिंग की और अपनी मांगों को दोहराया। इसकी रिपोर्ट सरकार के सी० आई० डी० अधिकारियों ने जिला प्रशासन को दी। कोई सुनवाई नहीं हुई। १० फरवरी को ८,००० किसान मिल के सामने अपनी सभा शान्तिपूर्वक कर रहे थे। कुछ सत्याग्रही स्त्रियां शान्तिपूर्वक मिल के फाटक पर सत्याग्रह कर रही थीं। सभा में हमारी सोशलिस्ट पार्टी के नेता बोल रहे थे। दरोगा चौरीचौरा ५०० पुलिस लेकर, मय लाठी ढेले और कंकड़ के उस सभा पर बरस पड़े। वहां गुगवती और मुलकादेवी महिलायें बहुत शान्तिपूर्वक सत्याग्रह कर रही थीं और सरकार की पुलिस व गुन्डों ने सरदार के इशारे पर उनके बाल पकड़ कर खींचा और उनकी साड़ियां फाड़ डाली गयीं। मैं आदरणीय सदन की महिला सदस्याओं से निवेदन करूंगा कि भले ही वे उधर बैठी हुई हों, लेकिन इस पर ध्यान दें। जिस जगह अमर बन्धुशहीद को फांसी दी गई और जिसकी जमीन गद्दारी के लिए एक सरदार को दी गई, आज वहां १०० वर्ष के बाद १९५८ में हमारी द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा है। इन कामों के होते हुये यह सरकार कैसे रहेगी ?

हमारी सरकार की ओर से विधान की बड़ी दुहाई दी जाती है। हमारे बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान पास हुआ है। इसमें १९ वीं धारा में लिखा है कि सब नागरिकों को वाकस्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का, शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, सम्पत्ति अर्जित करने का और व्यापार करने का अधिकार होगा। ये सब अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिये हैं। मगर १० तारीख को जब ८,००० किसान शान्तिपूर्वक अपनी सभा कर रहे थे, जिनके पास कोई पिस्तौल लाठियां या ढेले नहीं थे, चौरी-चौरा की पुलिस ने प्रदेश की सरकार और सरदार के इशारे पर, सरदार का हलुआ खाकर, उन पर प्रहार किया। वहां श्री मधुकर दिघे, सोशलिस्ट पार्टी के ज्वाइंट, सेक्रेटरी बोल रहे थे। उन पर मार पड़ी। श्री श्यामनारायण, गोरखपुर की सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री का पुलिस के डंडों से हाथ टूट गया। परसों उनका एक्स-रे हुआ और आज अखबार में भी निकला है कि उनको गहरी चोटें आई हैं। जब मैं बम्बई गया था तो अस्ती चिमूर की घटनाओं का जिक्र मराठों से सुना था, वैसा ही यहां भी हुआ। एस० पी० को और सरकार को नोटिस दी जाती है। १० तारीख को सत्याग्रह चल रहा है। पुलिस लाठी मारती है मगर कोई कार्यवाही नहीं होती है। ११ को फिर, ८,००० आदमियों से कम नहीं होंगे, शान्तिपूर्वक सभा हो रही थी। उस समय एस० पी०, एस० डी० एम० और जिलाधीश मौजूद थे। उस समय फिर ९ दरोगा, ६२ सिपाहियों और सरदार के आदमियों द्वारा हमला होता है। गोरखपुर के पुलिस कप्तान को किस धारा के अनुसार अधिकार था कि स्टेज पर चढ़ जाते और जब सोशलिस्ट पार्टी के नेता बोल रहे थे तो लाउड स्पीकर खींच लेते और बोलने वालों को ढकेल देते ? ५० आदमी गिरफ्तार होते हैं। यह किस धारा में हैं ? १५१, १४७, ३२३, ३३२, ३४२, ३५३, आई० पी० सी० में ये गिरफ्तारियां हुईं। ६२ बरस की बुढ़िया सा० राज्योदेवी, राजेन्द्र १५ साल का लड़का, त्रिभुवन १५ साल का, रामसरन १० साल का, विश्वनाथ, किशोरी और नन्हे ८, ८ वर्ष के लड़के गिरफ्तार हैं। मैं कल जेल में उन १२ औरतों और १२ बच्चों से जाकर मिला। किशोरी कल मुझसे पूछने लगा कि हम कितने दिन जेल में बन्द रहेंगे। उन लोगों पर ६,६ दफायें लगाई गई हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार उस सरदार को खुश रखना चाहती है जो सन् १८५७ का गद्दार है। मैं जानता हूं कि उनके

भाई मंत्रिमंडल में बैठे हुये हैं और आज भी वे हमारे प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के दरवाजे खटखटाते हैं। कौशल्या और दूसरी औरतें जो सोशलिस्ट पार्टी में काम करती हैं, भगवन्ता, रामकली तथा फुलेरना देवी जो लखनऊ में डाक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ बन्द थी, इन सबको पकड़ा गया। फुलेरनादेवी को कल ही जेल में बन्द किया गया है। पुलिस अपनी कारों में सरदार के लोगों को लेकर जाती है। मैंने और माननीय मदन पांडेय ने देखा है कि दरोगा जी खड़े होकर खेतों से गन्ना कटवा कर गाड़ियों पर लदवा रहे हैं। सर्वे हो रहा है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं। हमने स्वयं देखा और हमसे गांववालों ने कहा। गांव-गांव में जीपें सरदार के इशारे पर दौड़ रही हैं।

मैं दो सवाल पेश करता हूं। पहला यह है कि जब दफा १४४ वहां नहीं लगी थी तो हमारी शान्तिपूर्ण सभा क्यों भंग की गई? दूसरा यह कि कौन सा आर्डर अनलाफुल असेम्बली का प्रोमुलगेट किया गया था? आज ७६ आदमी जेलों में बन्द हैं और लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी है। सोशलिस्ट पार्टी सत्याग्रह की लड़ाई तब तक लड़ती रहेगी जब तक यह मामला किसी निश्चित बात पर न पहुंच जाय।

मंत्री जी शायद कहें कि पुलिस के सिपाही से जगतनारायण लड़के से कुछ बात हो गई थी। उसकी साइकिल छीन ली गई और उससे कहा सुनी हुई। पुलिस इसे शान्तिपूर्वक सत्याग्रह से जोड़ना चाहती है। मैं चाहूंगा कि इसकी कोई कमेटी, सदन की, या जुडिशल इन्क्वायरी हो। सरदार की ओर से जो जुल्म किया जा रहा है उसे देखना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब किस कानून के मातहत हुआ है? जो पुलिस चोरी, डकैती को बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और देवरिया में रोकने में असमर्थ है उसने आज इस प्रकार से माताओं और बहनों का चीर हरण किया है और माताओं तथा बच्चों को ६-६ दफाओं में बांध लिया है। मैंने माननीय पुलिस मंत्री से उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि वे घटनास्थल पर चलें, उस स्थान पर चलें जहां मिल के गुन्डों और पुलिस ने लोगों को खींच-खींच कर मारा है और अगर उनको एक भी घटना सच्ची मालूम पड़े तो वे जिस प्रकार से माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था उसी प्रकार वे भी इस्तीफा दे दें तब उनकी सच्चाई और ईमानदारी साबित होगी। यही पूजनीय महात्मा गांधी के मूलभूत सिद्धान्त थे, जिन पर वे देश को ले जा रहे थे।

डी० आई० एस० के दरोगा का काम भाषणों की रिपोर्ट करना होता है लेकिन उसने, जब कि रामपत, विश्वनाथ और रामनरेश गाड़ीवालों से बातें कर रहे थे, सरदार साहब के गुन्डों को लेकर मारा और जेल में बन्द कर दिया। अगर मंत्री महोदय उनको अब भी जेल में देखें तो उनके कपड़े फटे हुए हैं। मैं माननीय जेल मंत्री को दावत देता हूं कि वे अब भी उनको चल कर देख लें कि रामपत, रामनरेश, और विश्वनाथ की क्या हालत है। देख लें कि उनके डी० आई० एस० के दरोगा की क्या करतूत है। सरदार साहब की मिल से जब भी रोटी की मांग होती है तो इसी प्रकार से नृशंसतापूर्वक लोगों पर दमन किया जाता है। जब माननीय चन्द्रबली सिंह ने इसकी ओर इशारा किया तो कहा गया कि लाठीचार्ज की परिभाषा क्या होती है। मैं और माननीय मदन पांडेय वहां गये थे। चन्द्रबली सिंह हमसे एक घंटे पहले पहुंच चुके थे, वे गाड़ीवालों से बातें कर रहे थे कि उन्हें दफा १५७, १०७ और ११७ में गिरफ्तार कर लिया गया। दस आदमी और गिरफ्तार हुए। ९ दरोगा और ६२ सिपाहियों ने मिल कर लोगों को गेहूं के खेतों में घसीट कर मारा। कुछ आदमियों को बहुत ज्यादा चोटें आईं। मैं सरकार को चैलेंज तो नहीं करता हूं, लेकिन जिनको चोटें लगी हैं उनकी सरकार जांच कराये। मैंने और श्री मदन पांडेय ने स्वयं उनकी गवाहियां ली हैं। एक सूची मेरे पास है, उस सूची को आप

[श्री उग्रसेन]

देख सकते हैं। जिन लोगों की पुलिस ने बहुत मम्मत की है उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है:—

१—राजदेव वल्द सरयू फुलवरिया, गौरा,
२—कल्थ वल्द खेदू, बेलवा बुजुर्ग,
३—रामचन्दर वल्द रामबान, जोनर,
४—महराज वल्द सदरी, बेलवा,
५—बेचन वल्द अनूप ।

इस तरह से एक लम्बी सूची है। इन लोगों को सरदार के गुन्डों ने बुरी तरह से मारा है।

अधिष्ठाता महोदय, यहां अखबार को कोट करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि घटनास्थल पर गोली चली। लोगों को गोली लगी है, डाक्टरी भी उनकी हुई है। श्री राधेश्याम एस० पी० ने अपनी पिस्टल चलाई है। फायरिंग हुयी और लाइट पिस्टल से भी फायरिंग हुयी। बताया गया है कि लाइट पिस्टल फायरिंग हुई और टियर गैस बम छोड़े गये। श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं कि टियरगैस बाम्ब्स भी छोड़े गये, लेकिन उसके साथ-साथ पिस्तौल फायरिंग भी हुई। वहां पर दरोगा और पुलिस पिस्तौल और दूसरे हथियार लेकर तैनात थी जो फायरिंग कर रही थी। कहा गया है कि ४ राउंड फायरिंग हुई। श्रीमन्, यह कहना बिलकुल गलत है। मेहरबानी करके माननीय मंत्री जी बतलावें तो कि कितनी पिस्तौल फायरिंग हुई, कितनी लाइट पिस्तौल फायरिंग हुई और कितने टियरगैस छोड़े गये? जिलाधीश महोदय गोरखपुर की ओर से एक विज्ञप्ति १३ फरवरी के 'आज' में निकली है जो मैं आपकी जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूं। "गन्ना हड़तालियों को हटाने के लिये पुलिस को कल सरदार नगर में बल प्रयोग करना पड़ा। अधिकारियों का यह कहना है कि यह बल प्रयोग भीड़ पर केवल अश्रुगैस के गोले छोड़ने तक सीमित रहा।" श्रीमन्, जिलाधीश ने खुद माना है कि गन्ना हड़तालियों को हटाने के लिये पुलिस को सरदार नगर में कल बल प्रयोग करना पड़ा और यह बल प्रयोग अश्रुगैस तक ही सीमित था। श्रीमन्, मैं तो कहता हूं कि इसके लिये एक जुडिशियल एनक्वायरी कमेटी बैठायी जाय जिसका चेयरमैन हाईकोर्ट के जज के स्तर का हो, क्योंकि हम लोगों को तो इस प्रदेश की जुडिशियरी में यकीन है नहीं, यहां की जुडिशियरी तो हम लोगों को मारे जा रही है।

६ दरोगा ६२ पुलिस को लेकर सरदार नगर में जाते हैं और वहां पूड़ी उड़ाते हैं। एक पर्चा लिखकर भेज दिया बस, उनके लिये सारा सामान मौजूद है। श्रीमन्, पुलिस वाले गांव-गांव में जाते हैं और खेतों में खड़े होकर गन्ना कटवाते हैं, वाह री पुलिस की ड्यूटी। मैं तो कहता हूं कि गन्ना के किसानों की मांग है कि सरदार नगर के ६ मील के रेडियस से जितने गन्ने आते हैं उनका कार्टेज ३ आने के बजाय २ आने ही काट जायं। आखिर जब और मिल वाले १०,१२ और १६ मील से भी जो गन्ने आते हैं उनके कार्टेज २ आने लेते हैं तो सरदार नगर गन्ना फैक्टरी ६ मील वालों से भी ३ आने क्यों कार्टेज चार्ज करती है? गन्ने वालों को उनके गन्ने का दाम १ रु० ४ आ० मन के बजाय १ रु० ५ आ० क्यों नहीं दिया जाता है? श्रीमन्, आपके द्वारा मैं आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि सरदार नगर की यह पुरानी परम्परा है। यहां का इतिहास १०० साल पुराना है। सन् २१ में वहां पुलिस ने ज्यादती की थी और सन् ४९ में भी वहां पर ६०० पी० ए० सी० की बटालियन बैठा दी गयी थी जो लगातार वहां ३ महीने तक रही और वहां पर हमार ३०० आदमी जेलों के अन्दर बन्द कर दिये गये। सरदार नगर के अन्दर पुलिस जनतंत्र की हत्या कर रही है और लगातार हत्या करती आ रही है। किसानों के ऊपर टियरगैस और पिस्तौल का प्रयोग किया जाता है।

श्रीमन्, पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमने देखा कि मुश्किल से गन्ने की गाड़ियां वहां १०, २० ही आयी थीं। ये अपनी ताकत देख लें। पुलिस पिटाई करती है,

और तमाम तरह की गड़बड़ी करती है, फिर क्यों नहीं सरकार गन्ना उत्पादकों की मांग को मान लेती ? मैं समझता हूं कि माननीय पुलिस मंत्री इस बात का जवाब देंगे कि आठ-आठ, दस-दस वर्ष के बच्चों को जेल में क्यों बन्द किया गया है, उन्होंने कौन ऐसा जुर्म किया है ? कम से कम माननीय पुलिस मंत्री जी यहां घोषणा करें कि गन्ना उत्पादकों की मांगें मानी जायंगी और जितने सोशलिस्ट नेता और किसान सत्याग्रही हैं वे रिहा किये जायंगे ।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक वाक्य कहता हूं कि इसके लिये एक जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई जाय जिसका चेयरमैन हाईकोर्ट के जज के स्तर से नीचे का न हो और वह कमेटी बैठकर सरदार नगर में हुई दुर्घटना की पूरी जांच करे । श्रीमन्, माननीय पुलिस मंत्री इसका भी जवाब देंगे कि शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों और शान्तिपूर्ण लोगों पर पुलिस द्वारा ज्यादतियां क्यों की गयीं । इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो शुगर मिल पर घटना हुई ऐसी कई घटनायें प्रांत में गन्ना मिलों पर हुईं जिसकी सूचना समय-समय पर इस माननीय सदन के सम्मुख आई । रामकोला शुगर मिल की घटना, सरैया शुगर मिल की घटना, शवरही शुगर मिल और खड्डा आदि शुगर मिल का प्रश्न है । इस संबंध में दो सवाल हैं । पहली बात तो यह है कि इस तरह की घटनायें जिनसे कि गन्ना उत्पादकों का असंतोष इतना उग्र रूप ले रहा है उसका कारण क्या है । अगर ऊपर से ही इन चीजों की लीपापोती की गई तो वास्तविक रोग का निदान होकर जो औषधि होनी चाहिये वह नहीं हो पायेगी । जहांतक मैं समझता हूं कि गन्ना उत्पादकों के इस असंतोष का कारण उनके प्रांत सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति है । उनकी जो वास्तविक कठिनाइयां होती हैं उनकी ओर सरकार दुर्लक्ष्य करती है और इसी कारण से उन में असंतोष होता है । मैंने अपनी आंख से देखा है कि चार-चार पांच-पांच दिन तक गन्ना उत्पादकों को गाड़ियां लेकर मिल के फाटक पर खड़ा रहना पड़ता है । मैं अभी २९ जनवरी को गोरखपुर गया था, वहां पानी बरस रहा है, लेकिन उन के रुकने के लिये छाया का कोई प्रबन्ध नहीं है । मैंने बस्ती के रास्ते में मुंडरेवा शुगर मिल में बढ़कर देखा । पानी बरस रहा है सर्दी में अन्धड़ चल रहा है लेकिन कोई छाया का प्रबन्ध नहीं है और उस हालत में चार-चार पांच-पांच दिन से वह खड़े हैं । मैंने उनसे पूछा कि भाई चार पांच दिन पहले से क्यों आ जाते हो, तो मालूम हुआ कि कामदार ने पर्चीं बांटी होंगी, होता यह है कि अगर मिल की आफ-टेक कैपेसिटी १०० मन रोज की है तो २,००० मन की गाड़ियां मिल गेट पर आ जाती हैं । नतीजा यह होता है कि चार पांच दिन के अन्दर काफी गन्ना सूख जाता है और उसका भार कम होने से गन्ना का पैसा भी उन्हें कम मिलता है लेकिन मिल मालिकों को उससे लाभ हो जाता है । मैं पूछता हूं कि गन्ना क्यों नहीं ठीक समय से कायदे में पर्चियां देकर मंगाया जाता ताकि वह समय से गन्ना बेचकर अपने घर जा सकें ?

दूसरा प्रश्न गन्ने के पैसे का है । आजतक बराबर सरकार की नीति गन्ने के दाम घटाने की रही है, लेकिन चीनी के दाम गन्ना सस्ता होने के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं । अगर गन्ना सस्ता है तो चीनी के दाम भी तो घटने चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य विषय का ध्यान रखें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं श्रीमन्, केवल बता रहा हूं कि यह असंतोष क्यों आता है । जो असंतोष है गन्ना उत्पादकों में उसका वर्णन तो माननीय सदस्य ने अभी कर दिया, लेकिन अगर मैं उसके कारणों पर ध्यान नहीं दिलाऊंगा तो लाभ न होगा । इसलिये मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा कि सरकार गन्ना उत्पादकों को गन्ने की एकनामिक प्राइस दिलवाये । उसको उसकी

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मेहनत के अनुरूप पैसा दीजिये। जब उसको असंतोष होता है तो यह उसका प्रकटीकरण करता है और उस समय शांति और सुरक्षा के नाम पर पुलिस बल का प्रयोग करती है जिसका एक भीषण उदाहरण अभी आप के सामने रखा गया।

पुलिस ऐसा क्यों करती है? मैं जानता हूं कि जो स्टेटमेंट या अधिकारियों की रिपोर्ट आई होगी उसका आधार भी यही होगा कि कोई घटना नहीं घटी और केवल सामान्य बल-प्रयोग या साधारण बात हुई और पुलिस ने कुछ नहीं किया। बार-बार इस तरह के बल प्रयोग होते हैं और उसका कारण सुरक्षा और शांति की स्थापना बताया जाता है। यह शांति स्थापना और सुरक्षा की बड़ी वृहद् परिभाषा है। इसमें बोलना भी बन्द हो सकता है, डंडे भी बरसाये जा सकते हैं और गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। परन्तु श्रीमन्, ऐसा होता क्यों है? मेरी समझ में इसका एक कारण है और वह यह है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों में 'अशांति' शब्द का भीषण भय रहता है और उससे भयभीत होकर वह अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। उसीका परिणाम यह सब भीषण अत्याचार होते हैं। छोटे-छोटे बालक भी बरी नहीं होते। आप ने अभी सुना कि ६२ साल की बुढ़िया पर भी इल्जाम लगा। वह क्या शांति भंग करेगी, क्या बवंडर खड़ा कर देगी कि सारा हिन्दुस्तान हिल जायेगा? जैसे उबल उठेगा? यह छः वर्ष या आठ वर्ष के बच्चों का जैसा वर्णन माननीय उग्रसेन जी ने किया, उनसे कौन सी शांति के भंग होने की संभावना थी, परन्तु आपने उन पर भी लाठी का प्रयोग किया। यह इसी बात का द्योतक है कि पुलिस का जो मेंटल मेकअप अंग्रेजों के समय में था कि लोगों को डराकर, धमकाकर, सिर के ऊपर डंडे बरसाकर, उनके अन्दर आतंक पैदा करो, वह मेंटल मेकअप उनका आज भी मौजूद है और आपने उस मेंटल मेक अप को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। उस मेंटल मेकअप के परिणाम स्वरूप उनका दृष्टिकोण केवल यही रह गया है कि बल का प्रयोग करो। मैंने स्वयं एक बार देखा। रामलीला का अवसर था। बच्चे अक्सर पटाखे खरीदकर उन्हें छोड़ते हैं। एक पटाखा छूटा और पुलिस के डी० एस० पी० जो वहां थे उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई बम फूटा हो। वह फौरन अपने सिपाहियों को लेकर दौड़ पड़े और जाकर उस स्थान को घेर लिया जहां बच्चे खेल रहे थे। वहां जाकर उनको मालूम हुआ कि आतिशबाजी का पटाखा फूटा है। अब श्रीमन्, जब पटाखे की आवाज पर बम की कल्पना होती है तो ऐसे अफसरों के द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग हो जाना कोई आश्चर्य की घटना नहीं है। मैं तो श्रीमन्, यही कहूंगा कि पुलिस के मेंटल मेक अप को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको भी बार-बार इस सदन में आकर उनको डिफेंड करना पड़ता है, बार-बार आपको उनके कृत्यों पर परदा भी डालना पड़ता है।

यह सारी स्थिति खड़ी न हो इसके लिये आवश्यक है कि उसकी जड़ को ठीक किया जाय। पुलिस के व्यवहार और उनके दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। पुलिस शांति और सुरक्षा के लिये है यह सत्य है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह डंडे बरसाये। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि फायरिंग की जाय। हो सकता है कि किसी समय क्रांति की स्थिति हो तो उस समय फायरिंग हो सकती है। परन्तु जब साधारण लोग अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हों और वह भी तब जब कि उनके सामने कोई दूसरा मार्ग न रह गया हो, उस स्थिति में आप इस प्रकार का बल प्रयोग करें यह अनुचित है। इसलिये श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि सरकार को चाहिये इन दोनों दृष्टियों से इन बातों को विचारे। उन किसानों के असंतोष को पहले दूर करने का प्रयास करें। पहले तो उनके गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ आने मन उनको मिलना चाहिये और, दूसरे मिल के ऊपर जो उनके साथ व्यवहार होता है उसको ठीक करने का उपयुक्त मार्ग निकालें। इसके साथ-साथ पुलिस की जो आज मनःस्थिति है जिसका स्वरूप उनके पाशविक बल-प्रयोग के रूप में प्रकट होता है वह समाप्त हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसके ऊपर विचार करके उचित कदम उठायें।

श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)---अधिष्ठाता महोदय, जो वाद-विवाद आज श्री उग्रसेन जी ने इस सदन में उपस्थित किया है उसके संबंध में मुझे अव्वलन् तो यह कहना है कि इस तरह के जो अवसर वादविवाद के लिये तलाश किये जाते हैं, वह तरीका ही गलत है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, यह चेयर के ऊपर सीधे-सीधे सम्मानित सदस्य आक्षेप कर रहे हैं। हमने इस तरह के वाद-विवाद की मांग नहीं की थी। हमने काम रोको प्रस्ताव रक्खा था। यह चेयर ने इसकी व्यवस्था की और कहा कि नियम १७२ के मुताबिक इस पर हम एक दिन वादविवाद के लिये रखेंगे और उग्रसेन जी ने इस बात को मान लिया। तो अब चेयर की व्यवस्था पर आक्षेप करना कि इस तरह का मौका ढूंढा जाता है यह उचित नहीं है। इस तरह का मौका कौन ढूंढता है? मैं चाहता हूं कि इस तरह के आपत्तिजनक भाषणों को रोकने की कृपा करें क्योंकि एक तो यों ही वातावरण उत्तेजित है और इस तरह के भाषण होंगे तो और उत्तेजित होगा।

श्री उदयशंकर दुबे---अधिष्ठाता महोदय, मैंने कोई चेयर पर आक्षेप नहीं किया। जिस माननीय सदस्य ने पेश किया उनके ढंग के ऊपर मैं कह रहा था कि जिस तरह से अवसर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। वह तरीका ही गलत था। चेयर पर मेरा कोई आक्षेप नहीं था।

श्री अधिष्ठाता---वह स्वीकार कर रहे हैं कि उनका चेयर पर कोई आक्षेप नहीं था।

श्री उदयशंकर दुबे---कहा जाता है कि पुलिस ने इतने आदमियों के ऊपर मुकदमे चला दिये हैं। ३४१, ४५२ और बहुत सी दफाओं का जिक्र किया गया कि उनके अन्दर उनको जेल भेजा है। अब जिन वाकयात पर वे भेजे गये ह, जिनके द्वारा उन पर मुकदमा चलना है और अदालत से फैसला होना है उस संबंध में इस सदन के भीतर चर्चा करना कहां तक उचित होगा?

श्री अधिष्ठाता---एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी यह मसला अदालत में आया नहीं।

श्री उदयशंकर दुबे---जिस समय ला की मशीनरी, पुलिस किसी मामले को ले लेती है उसके बाद तफतीश की कार्यवाही शुरू हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता---वह चीज नहीं उठती। हर मसला पुलिस के सामने आ सकता है और उस पर वाद-विवाद हो सकता है।

श्री उदयशंकर दुबे---मैं यह अर्ज कर रहा था कि अव्वलन तो इस मसले पर यहां वाद-विवाद उठाना उचित नहीं था।

श्री अधिष्ठाता---उसके अनुचित या उचित पर विचार न कीजिये, घटना के संबंध में भाषण जारी रखिये।

श्री उदयशंकर दुबे---जितने आदमियों के लिये कहा जाता है कि पुलिस की लाठी चली, गोली चली, लोगों को परेशान किया गया, मारा गया, उनके मुताल्लिक मुझे जहां तक इत्तला है पुलिस ने न तो लाठी चलाई, न गोली चलाई।

एक सदस्य---चोट अपने से लग गई ?

श्री उदयशंकर दुबे---१/४ और १/६ इंच की चोटें लगीं। ये हैं लाठी और गोली की चोटें! मामूली खराश को मैं नहीं समझता कि लाठी और गोली की चोट कहा जा सकता है। एक साहब को पेश किया गया कि इनको गोली की चोट लगी है। डाक्टरी मुआयना हुआ और मालूम हुआ कि मामूली फोड़ा निकला था और वह फोड़ा हो गया गोली की चोट।

[श्री उदयशंकर दुबे]

असल में हुआ क्या ? हुआ यह कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग उस रकबे के भीतर एक आन्दोलन चलाना चाहते थे । उन्होंने उसमें पहले एक नोटिस निकाली थी और जब उन्होंने देखा कि उनके नोटिस पर उनकी कामयाबी नहीं हो रही है तब मिल के गेट पर जो लाइन थी, जहां से गाड़ियां जानी थीं, जहां से मोटर, ट्रक्स जाने थे, जिनमें ऊख लदी होती थी, वहां उन्होंने रोक लगाई । तो जाब्ते के मुताबिक वाच ऐंड वार्ड की ड्यूटी होती है कि वह उन किसानों की गाड़ियों को जो दूर-दूर से गन्ना ले आते हैं मिल के भीतर जाने दें । किसी शख्स को यह अख्तियार नहीं है कि वह लोगों को रोके रास्ता चलने से । संविधान के आर्टिकिल १९ का जिक्र किया गया । उसके मुताबिक जहां आपको यह अख्तियार है कि आप अपने ढंग से मीटिंग करें, वहां दूसरे को यह भी अख्तियार है, किसी गन्ने के किसान को है, किसी रास्ते चलते हुये आदमी को है कि जो सही रास्ता है, जो राह बनी हुई है उस रास्ते पर वह चले और आपको कोई अख्तियार नहीं है कि वहां बैठ कर पिकेटिंग करें । आपको कोई अख्तियार नहीं है कि गाड़ियों को जाने न दें । जिन्होंने वह रास्ता बनाया है उनको पूरा-पूरा अख्तियार है कि आपको रास्ते से हटा दें उन्हें अख्तियार है कि बाडिली उठाकर अलग कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—आप "आप" शब्द का प्रयोग कम करें, बल्कि बिलकुल न करें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री उदयशंकर दुबे—"आप" से मतलब अध्यक्ष द्वारा यह बात कहने का है । तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह से मौका तलाश करके लोग जब काबू में न आवें तब उनको उत्तेजित करें और उनमें एक झगड़े की भावना पैदा करें । इस प्रकार से जब दो स्वार्थ टकराते हैं कि एक तरफ तो जो आन्दोलन के चलाने वाले लोग हों जो जनता को उत्तेजित करें और झगड़ा फैलाने की कोशिश करें और दूसरी तरफ वह लोग हों जिनकी इच्छा यह हो कि उनका रोजगार चले, तो इसका परिणाम वही होता है जो हुआ । ऐसी अवस्था में पुलिस की ड्यूटी और उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है, शासन का कर्त्तव्य हो जाता है, कि वह वहां पहुंचे और उस स्थिति को सम्भाले । उसके सम्भालने में पुलिस ने केवल टीयर-गैस से काम लिया है और उसके द्वारा लोगों को तितर बितर किया है । आज के साइंटिफिक युग में टीयर-गैस का इस्तेमाल करना लाठी चार्ज या गोली चलाने या और उपायों में सबसे उत्तम तरीका है जिसको प्रायः सभी सभ्य देशों में इस्तेमाल किया जाता है । मैं कहूंगा कि वहां के जो सरकारी अधिकारी थे, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट यह उस स्थिति को वाच कर रहे थे पूरी तरह से देख रहे थे, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं रोकी । आप ३ रोज तक मीटिंग करते रहे, आप पर्चे बांटते रहे—आपसे मेरा मतलब है सोशलिस्ट पार्टी के वह लोग जो इस आन्दोलन को चलाना चाहते थे, जो यह चाहते थे कि किसी तरह पर क्लैश हो जाय । वह किस आधार पर ? इसलिये कि गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आने मन कर दो । यह बात मिल वालों के अख्तियार में तो थी नहीं कि बैठकर १ रुपया १२ आने मन गन्ने का दाम कर देते, न वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० डी० एम० या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के हाथ में थी । वह तो एक ऊंची जगह पर जाकर कहने की चीज थी कि दाम किस तरह से रखे जायं । कहां पर असर डालना चाहिये और किस जगह पर पहुंचा जाय, यह सम्मानित सदन के सभी सदस्यों को मालूम है । उस मौके पर मिल पर सत्याग्रह करने और मिल के बाहर गाड़ियों के आगे लेट जाने से वह चीज तय नहीं हो सकती थी ।

मैं अर्ज करूं कि मैं उसके औचित्य पर कुछ नहीं कहता कि रेट कितना होना चाहिये । १ रुपया १२ आने मन गन्ने की कीमत हो, यह बहुत सारे लोगों की राय है । छान-बीन करने और सरकार द्वारा गौर करने की बात है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—आप सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं ।

श्री उदयशंकर दुबे—मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता कि सरकार किन उसूलों के ऊपर गन्ने के दाम मुकर्रर करती है। यह तो हमारे भाई गेंदासिंह बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि किस आधार पर कीमत मुकर्रर होती है और आज तो गन्ने का प्रश्न नहीं है, गन्ने के दाम का सवाल नहीं है और वह सवाल ऐसे हल नहीं हो सकता। उस जगह पर, सरैया मिल के फाटक पर गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा, यदि बढ़ेगा तो एक ऊंचे स्तर पर बढ़ेगा, जिसका वहां से कोई ताल्लुक नहीं है ।

अब वहां के जो सरकारी अधिकारी थे, एस० डी० एम० या एस० पी०, इन लोगों ने साफ तौर से उन लोगों से कहा कि ये समस्यायें यहां हल होने वाली नहीं हैं, दूसरी जगह हल होने वाली हैं। आप उन जगहों पर वह बातें कीजिये, लेकिन, मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह की बातों को न सुन कर जिन्हें खाली एक वातावरण पैदा करना था कि उसको लेकर वे संसार में प्रचार करें कि यह जुल्म हो रहा है, वह जुल्म हो रहा है और उसको सामने रख कर और उससे अपने एग्जिस्टेंस को जस्टीफाई करने की बात सामने ले आना था उनको यह मौका मिला। यह तरीका उचित नहीं है और न यह एक स्वस्थ प्रणाली है। जनतंत्र के भीतर जितनी जिम्मेदारी शासन चलाने वाले पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी अपोजीशन के लोगों की भी है। उनको भी इस चीज को उतनी ही जिम्मेदारी की नजर से देखना चाहिये। आखिर उनको भी, अभी न सही, किसी समय इन्हीं बेंचेज पर आकर बैठना है, इसलिये वह ऐसी प्रणाली पैदा न करें जिनका नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो आज वाद-विवाद चल रहा है यह प्रस्ताव के रूप में माना जायगा या क्या होगा ? क्योंकि १७२ नियम में अध्यक्ष को अख्तियार है कि जब वह स्वीकार कर ले तब वाद-विवाद होगा तो इस रूप में १५ मिनट से ज्यादा भाषण होंगे या कम होंगे। इस तरह से तो जो माननीय सदस्य अभी बोल चुके हैं हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लोग बहुत से बाकी रह जायेंगे और प्रमुख लोग नहीं बोल पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव के रूप में तो है नहीं। समय का यदि बंधन न हो तो अच्छा है। वैसे जैसा सदन चाहे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारा प्रस्ताव है कि १५ मिनट से ज्यादा कोई सदस्य न बोलें और जो कोई नई बात कहें उनको ज्यादा समय दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं ऐसा चाहूंगा कि वक्ता महोदय ध्यान रखें कि रेपीटीशन न हो और कम से कम समय में अपने विचारों को रखने की कोशिश करें।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि बोलने वालों के लिये कोई समय निर्धारित हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता—नहीं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नियम १७२ प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा—जहां तक संविधान अथवा इन नियमों के अन्तर्गत अन्यथा व्यवस्था हो उसको छोड़कर किसी सार्वजनिक हित के विषय पर किसी संकल्प के अतिरिक्त, जो इन नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाय चर्चा नहीं हो सकेगी, अतिरिक्त इसके कि कोई प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जाय जो यदि

[श्री राजनारायण]

प्रस्ताव को ग्राह्य मान ले तो सदन के नेता से परामर्श करके उसकी चर्चा के लिये एक या अधिक दिनों का बंटन करेगा।" तो सदन दिन भर बैठकर विचार कर सकता है इसलिये दो घंटे की बात नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—इसके लिये पहले से समय निर्धारित है ।

श्री राजनारायण—इसीलिये मैं कह रहा हूं कि हम कमलापति त्रिपाठी जी के विचार सुनना चाहेंगे इसलिये समय बढ़ाने की कृपा की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—जिन्होंने मोशन रखा है उस पक्ष को ज्यादा समय दिया जाय, ऐसा आपस में समझ लिया जाय ।

श्री राजनारायण—हमारा कहना यह है कि कमलापति त्रिपाठी जी पुलिस मंत्री हैं उनको पूरा समय दिया जाय और विरोधी दल भी किसी नीति को लेकर बैठा है कि आज नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि स्पीकर महोदय इसके लिये दो घंटे का समय निर्धारित कर चुके हैं। उसी के अंदर चर्चा होगी और प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है। अगर कोई समय निर्धारित करना है तो वह अधिष्ठाता महोदय प्रस्ताव आने पर सदन की राय लेकर कर सकते हैं वर्ना सभी लोग बोल रहे हैं और सभी लोग बोलेंगे। किसी को बोलने से आप कैसे रोक सकते हैं? दो घंटे इस पर चर्चा होगी और सभी लोग बोलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी से मैं जरा सा यह पूछना चाहूंगा कि कितना समय आप लेना चाहेंगे? उसको निकाल कर मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य बकिया समय में अपने भाषणों को खत्म कर सकें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा। मैं समझता हूं कि साढ़े ४ बजे यह समाप्त होने वाला है। ४ बजे से आध घंटे का समय मेरे लिये काफी होगा ।

श्री अधिष्ठाता—बहुत अच्छा, धन्यवाद ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, आपकी आज्ञा से आज सदन के समक्ष जिस विषय के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है उसके लिये मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि आज सदन पुलिस द्वारा जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर जो आक्रमण हुआ है उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिये अपना कीमती समय निकाले हुये है। मैं पुलिस की कार्यवाहियों की पुरानी कहानी यहां नहीं दोहराना चाहता हूं हालांकि जब मैं यहां बोलने के लिये आया तो मुझे याद आ गया कि आज से कुछ दिनों पूर्व कानपुर में साथी वीरेन्द्र सिंह की मूंछ पुलिस अधिकारियों द्वारा कैसे उखाड़ी गयी। उसके बाद आजमगढ़ की पुलिस ने सोशलिस्ट सत्याग्रही, कमलाराय की हत्या कैसे की, उसकी भी याद आयी। कमलाराय की हत्या और सरदार नगर में जो लोग आज गिरफ्तार किये गये हैं उनके उद्देश्यों की तरफ जब मैं देखता हूं तो मेरे सामने सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि हम सदन के समक्ष उन तथ्यों को रखें जिनसे प्रेरित हो करके आज सरदार नगर में जनता की तरफ से एक जबरदस्त आन्दोलन चल रहा है। वे सत्याग्रह करने गये थे, आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं, ठीक है। गिरफ्तारी से वे घबराने वाले नहीं हैं क्योंकि जनता की एक ऐसी बड़ी मांग को ले करके वे वहां गये हुये हैं जिससे आज पूर्वी जिलों में रहने वाली ढाई करोड़ जनता की जिन्दगी का ताल्लुक है ।

इस विवाद के पूर्व सदन के समक्ष बजट पेश किया गया । बजट के ऊपर वित्त मंत्री जी जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 'उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की दर्द भरी कहानी इस बात की मोहताज नहीं है कि उसकी याद दिलायी जाय । वह तो जब तब याद आ ही जाती है' तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में भूख से तड़पती हुई जनता को राहत देने के लिये एक पुनीत उद्देश्य से श्री चन्द्रबली सिंह और उनके साथी सरदार नगर मिल के फाटक पर इक्ट्ठे हुये थे । अभी एक वक्ता महोदय ने कहा कि उनको वहां के अधिकारियों ने समझाया कि गन्ने का दाम सरदारनगर मिल के गेट के ऊपर तय नहीं होगा, वह कहीं और ऊपर जाकर तय होगा, सरदार नगर का और ऊपर का कोई ताल्लुक नहीं है । लेकिन जहां तक मुझे सूचना है, मैं जानता हूं कि गन्ने के दाम का ताल्लुक ऊपर और नीचे हर जगह है और खासकर सरदार नगर में तो है ही । पिछले चुनाव के जमाने में इन्हीं चीनी मिल मालिकों ने ९० लाख रुपया इस राज्य की सरकार जो आज है और उसकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिये दिया था । तो क्या आप समझते हैं कि उन मिल मालिकों की रक्षा के लिये यह सरकार कोई कोर कसर उठा रखेगी ? आपको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिये ।

(श्री रामलक्षण तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—(श्री रामायणराय से) आप जरा बैठें, वे (श्री रामलक्षण तिवारी) कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर । वह कैसे खड़े हो गये ?

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं ।

श्री राजनारायण—जब हमने पहले प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया तो हमको पहले मौका मिलना चाहिये ।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, मैं अभी ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको सोचना होगा । आज आप समाज रचना की बात करते हैं .....

श्री राजनारायण—हमने भी प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था तो हमारे लिये आपका क्या हुकुम है ?

श्री अधिष्ठाता—मैं पहले उनको (श्री रामलक्षण तिवारी) बुला चुका हूं ।

श्री रामलक्षण तिवारी—मैं सबसे पहले अपना प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने के लिये खड़ा हुआ था । माननीय सदस्य महोदय ने जिस नियम के अनुसार यह प्रस्ताव पेश किया है उसमें यही है कि इसी विषय पर बात यहां पर कही जायगी किन्तु रामायणराय जी जब भाषण करने खड़े हुये तो उन्होंने उस विषय को छोड़कर अन्य विषयों के ऊपर चर्चा करनी शुरू कर दी ।

श्री अधिष्ठाता—यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । आप बैठ जाइये ।

श्री रामायणराय—मैं यह निवेदन कर रहा था कि पूर्वी जिलों की यह दुख दर्द भरी कहानी है ।

आज गन्ने की समस्या ऐसी समस्या है जिसके बारे में इस सदन में रामकोला और खड्डा की चर्चा हुई । आखिर गन्ने के ऊपर आज पूर्वी अंचल का जो जनमत है वह क्यों इकट्ठा हुआ है ? माननीय सदस्यों का इधर ध्यान जाना चाहिये । इसका सब से बड़ा कारण यह है कि आज जनता के पास गन्ने को छोड़कर जीवन के लिये कोई सहारा नहीं रह गया है । केवल गन्ने की फसल से ही थोड़ी सी उम्मीद है कि वहां के लोग राहत पा सकेंगे । बार-बार इस सदन में गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की बात कही गयी, लेकिन उधर इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया ।

[श्री रामायणराय]

केन्द्रीय सरकार को सलाह दी कि गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, हमारे साथियों को या किसी को इस सरकार के जुल्मों की जानकारी करनी हो तो यह पुस्तिका जो आज हमारे सामने रखी गयी है उसके पन्नों को उलट कर आप देखें। उस में यह है कि आज इस राज्य में फांसी के कैदियों के लिए कोठरी की कमी हो गयी है। फांसी का दण्ड पाने वाले कैदियों के लिए अतिरिक्त कोठरी बनाना जरूरी है। समाजवाद का दावा करने वाली और अपने को जनता का हितैषी कहने वाली सरकार, उसकी पुलिस और उसके अधिकारी किस तरह से जनतन्त्र की आज हत्या कर रहे हैं उसके ऊपर सदन को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

मैं तो इस सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अब उसके अधिकारियों के काले कारनामों पर परदा डाला नहीं जा सकता। आज सरकार उनको किसी तरीके से छिपा नहीं सकती है। जनता आगे बढ़ेगी और एक दिन आयेगा कि इस सरकार को अपने कर्मों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किन्तु आज जो गोरखपुर के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं मैं उनके कारनामों से सन् १९५५ से परिचित हूं। सन् १९५५ के पहले १९५३ में बनारस में ३ दिन तक पब्लिक का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। यह उन्हीं अधिकारियों के कारनामों के कारण हुआ था। वहां नौजवानों को ऊब कर पुलिस की मोटर को फूंकने के लिए विवश होना पड़ा था। आज यह सरकार उन पुलिस वालों को शाबाशी देती है। मैं जानता हूं कि यह उनके लाड़ले लोगों में से हैं। लोगों को इन्वैस्टिगेशन के दौरान में जान से मार दिया जाता है और जो अफसर ऐसा करते हैं उन को अच्छा अफसर समझा जाता है, उनको कोतवाल से एस० पी० बनाया जाता है। आज कुछ हैं और कल कुछ और हो जाते हैं। हमारे दोस्तों को इससे घबराना नहीं चाहिए। आजकल देवरिया और गोरखपुर में इसी प्रकार से अफसर भेजे जाते हैं और चुन-चुन कर भेजे जाते हैं।

(इस अवसर पर ३ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अभी जिन सरदार साहब की चर्चा हो रही थी, जिन्होंने गोली चलवायी, लाठी चलवायी। उनकी ४-५ साल पहले की एक बात मुझे आज तक याद है। मैं एक बार उधर गया तो क्या देखता हूं कि हरिजनों की एक बस्ती उजाड़ी जा रही है, कुछ गुन्डे उनकी झोपड़ियों में आग लगा रहे हैं। पूछने पर बताया गया कि सरदार साहब की तरफ से वहां एक कारखाना खुलने जा रहा है। हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने वाला, १८५७ में अंग्रेजों की सहायता करने वाला, मूक जनता पर गोलियां चलवाने वाला जो यह सरदार है, उस पर केन्द्रीय सरकार का बहुत सा रुपया बाकी है। केन सेस का रुपया जिस पर बकाया है आज उसी सरदार की यह सरकार, पुलिस और उस के कर्मचारी हिमायत करते हैं। (शेम, शेम) आज इस पर जरा ठंढे दिल से सोचिये। मैं भी उसी शहर से आता हूं जहां से अधिकारी और मन्त्री जी आते हैं। इत्तफाक से मैं देवरिया में पैदा हुआ, लेकिन जमाने के मोड़ से मैं इस शहर में आ गया। आज इस सरकार के जुल्म से आजिज होकर, उसके जुल्मों को देखकर जब तबियत आजिज हो गयी तो इस मौके पर मुंह खोलना ही पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता हूं और इस अन्याय और अत्याचार को सहता हूं तो शायद अपने चुनने वालों के प्रति भी मैं अपना फर्ज अदा न करूं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

चन्द्रबली सिंह और उनके साथी, जो लोग वहां गये थे, उनके सामने गन्ने का मूल्य बढ़ाने का प्रश्न था। वह गन्ना जो देवरिया, गोरखपुर तथा पूर्वी अंचल के लोगों का एकमात्र सहारा है, उस के लिए एक तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज का मूल्य उस समय का मूल्य है जब चीनी सस्ती थी। मैं कुछ आंकड़े सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं यह दाम उस समय का था जब कि यह तय किया गया था कि चीनी २७ रुपये मन से ज्यादा दामों

पर न बिकेगी, यह समझौता हुआ था और उस समय गन्ने का भाव १ रुपया ७ आने मन तय हुआ था, लेकिन आज बाजार में जो भाव है वह ३५ रुपया और ३८ रुपया फी मन है। उपभोक्ता इतने महंगे दाम पर चीनी पा रहा है तथा पूर्वी अंचल के वे किसान, हाफिज साहब को जिन के दुख दर्द की कहानी जब तब याद दिलायी जाती है, उन्हीं के एकमात्र सहारे को आप छीन रहे हैं। फिर उनके साथ आप की हमदर्दी कैसे है? आप उनको रास्ता क्यों नहीं बताते?

इस जनतंत्र की व्यवस्था के अन्दर सत्याग्रह ही केवल वह मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा गलती को ठीक किया जा सकता है। लेकिन सत्याग्रहियों के ऊपर लाठियां चलायी जांय, गोलियां बरसायी जायं और फिर झूठा वक्तव्य निकाला जाय, जिन लोगों ने अपनी आंखों से वहां के हाल को देखा है, उनको गलत बताया जाय। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको किसी जोश में आकर आपको सुनायें लेकिन ये बातें ऐसी हैं जिनका जन-जीवन से सम्बन्ध है। अतः मैं आप से पुनः आग्रह करता हूं कि आप इन बातों पर गहराई से सोचें। आज मैं न्याय के नाम पर अपील करता हूं और सदन से आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि उनके इन कुकृत्यों की जांच के लिए जुडीशियल इन्क्वायरी डिप्यूट की जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहां जा रहे हैं, इस को सदन स्वयं सोच लेगा। मैंने एक दिन और इस बात को कहा था कि ये छोटी-छोटी घटनाएं हमको एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले जा रही हैं जिसमें जनतंत्र का दम घुटेगा और समाजवाद हमेशा के लिए सपना हो जायगा। इन शब्दों के साथ श्रीमन्, जो जुल्म सरदार-नगर में वहां की जनता के ऊपर हुआ है, उस के प्रति मैं अपना असन्तोष व्यक्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री अक्षयबर सिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर सरैया मिल के सम्बन्ध में जो चर्चा उठी है कि वहां पुलिस वालों ने ज्यादती की है, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सरदारनगर मिल कोई आज की नहीं है। वह तो हिन्दुस्तान की इनी गिनी मिलों में से है। उसका नम्बर शायद तीसरा होगा। वह सब से बड़ी मिल है और सरदार साहब भी आज के नहीं हैं। हमारे मित्र ने सन् १९४९ के बारे में कहा कि सोशलिस्टों ने सरदार नगर में हड़ताल करायी थी। श्रीमन्, मैं सन् १९४९ का किस्सा जानता हूं। सरदारनगर मिल में इन लोगों का चंगुल नहीं घुस सका और ये तब से हमेशा यह कोशिश कर रहे हैं कि वहां किसी तरह से घुस जायं। ये वहां के जवार के किसानों को भड़काते हैं, मिल मजदूरों को भड़काते हैं, लेकिन उनकी वहां चलती नहीं है। किसी न किसी उपाय से ये लोग वहां घुसना चाहते हैं। सन् १९४९ में बिहार तक के सोशलिस्ट आये थे, देवरिया के सोशलिस्ट आये थे, मैं भी उस समय वहां मौजूद था, इन लोगों ने क्या-क्या करामात नहीं की, लेकिन सफल नहीं हुए। असफल हुए और अन्त में असफल होने पर हार कर चले गये।

फिर उसके बाद मैं जानता हूं कि यह भी कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की कीमत कम मिलती है और १ रुपया १२ आने मन के हिसाब से मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं भी जानता हूं कि गन्ने की कीमत चीनी के बजाय कम है और उस की कीमत बढ़नी चाहिए। लेकिन सदन के सदस्यगण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ाना सरदार साहब के हाथ में है या वहां के डी० एम० के हाथ में है या और किस के हाथ में है। उसके लिए तो कमेटी है, उसके लिए सरकार है, हिम्मत हो तो प्रान्तीय सरकार से लड़ें, हिम्मत हो तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लड़ें और खाली सरदार नगर के लिए ही न लड़ें, बल्कि गोरखपुर और देवरिया में २२ मिलें हैं, वहां के लिए भी एक आवाज से, एक स्वर से, एक कायदे और एक कानून से लड़ें, यह नहीं कि अलग-अलग से एक-एक मिल को लेकर लड़ें। मैं जानता हूं कि आज जो यह कहा जाता है कि हम किसानों के हमदर्द हैं, वे अपने कारनामे से इस बात को साबित करें।

जहां तक सरदार साहब की बात है, उन का व्यवहार किसानों के साथ और मिल मजदूरों के साथ अच्छा है। यह इस बात का सबूत है कि इन लोगों को इतनी हरकत करने के बाद

[श्री अक्षयवर्रसिंह]

भी उनकी मिल बन्द नहीं हो सकी है, वह उसी तरह से बराबर चालू है। १६ मिलें देवरिया में हैं और ५ मिलें गोरखपुर में हैं, लेकिन हड़ताल के कारण कोई मिल बन्द नहीं हुई। तो सरदार साहब का व्यवहार किसानों के साथ भी, मिल मजदूरों के साथ भी अच्छा है न कि बुरा, जैसा कि कहा जाता है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष---आप लोग सदन में शांति रखें ।

श्री अक्षयवर्रसिंह---मैं यह कहूंगा कि १० तारीख को यह किस्सा शुरू हुआ और ये सोशलिस्ट लोग गेट पर जाकर किसानों को भड़काने लगे कि गन्ना मत दो। इस पर सरदार के आदमी उन को गेट तथा गाड़ी के सामने से उठा कर अलग कर दिया करते थे। पहले न तो वहां पुलिस पहुंची, न एस० पी० पहुंचे । बाद में उन लोगों ने मीटिंग करके किसानों को भड़काना और शुरू किया। पुलिस को मालूम हो गया। डी० एम० का फर्ज हो जाता है, एस० पी० का फर्ज हो जाता है कि जब जिले के अन्दर कहीं अशांति होने का भय हो अथवा कहीं पर कोई गड़बड़ी होने का डर हो, वहां पुलिस को लेकर पहुंचे और मौके पर जाकर शान्ति स्थापित करें। वह लोग खुद वहां गये और किसानों को बरगलाया और उन की तरफ से ढेले बरसाये गये। पुलिस लाठी लेकर वहां पहुंच गयी जिसके लिए कहा जाता है कि वहां गोली चलायी गयी और अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। ठीक है गोली चली लेकिन अगर गोली चली तो किस के गोली लगी ? किसी के तो लगती ? लाठी हो सकता है कि चलायी गयी हो लेकिन किसी के चोट नहीं आयी। यह चीज गलत है। वाकया यह है कि ढेले चलाये गये। वहां के जिलाधीश या एस० पी० कोई नये आदमी नहीं हैं कि वह वहां पहुंच कर ऐसा करते। वह समझदार अफ़सर हैं और उन्होंने शान्ति स्थापित करने के लिए जो कार्यवाही कायदे कानून के अन्दर होनी चाहिए थी वह की। हो सकता है कि उचित करने में कहीं अनुचित हो गया हो। उसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने वहां की परिस्थिति को सुधारने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए जो कुछ उचित समझा, अच्छा समझा, वह कायदे कानून के अन्दर किया। मैं सरदार साहब के इलाके को शुरू से आखिर तक जानता हूं कि उन तमाम २२ मिलों को चैलेंज है, आप सरदार साहब के इलाके को भी देख लीजिये, और दूसरी मिलों को भी देख लीजिये कि कितना जुल्म कहां होता है। मैं इतना जानता हूं कि जहां तक उनका बस रहता है वह करते हैं। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि कभी सोशलिस्ट पार्टी, कभी किसान मजदूर प्रजा पार्टी कोई न कोई आन्दोलन मचाये रहती हैं और किसानों को बरगलाती रहती हैं और एक न एक तमाशा बनाये रहते हैं और उसी का परिणाम है कि मिलों में यह गड़बड़ी चला करती है।

यह मैं भी मानता हूं कि गन्ने की कीमत कम है और उन को इस कीमत से अधिक मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए वह हम सब मिल कर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लिखा-पढ़ी करें, प्रादेशिक सरकार से बात चीत करें लेकिन किसानों को न भड़कायें।

श्री उपाध्यक्ष---आप बराबर दोहरा रहे हैं, अब खत्म करें ।

श्री अक्षयवर्रसिंह---मैं अभी २ मिनट में खत्म कर दूंगा । तो आज जो दोहाई दी जाती है कि पूर्वी जिलों में अकाल है, ठीक है, लेकिन जहां अकाल की बात कही जाती है और जहां अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहां के किसान जब गन्ना लेकर मिल गेट पर जाते हैं, तो उनको रोका जाता है भड़काया जाता है, इससे क्या उनका लाभ होगा ? मैं कहता हूं कि आप जब तक सीजन चले उस वक्त तक कुछ न बोलिये उसके बाद जो कुछ आन्दोलन या हड़ताल आप को करनी है उसे कीजिये। होता यह है कि जब हड़ताल या पिकेटिंग होती है तो गन्ना जो गेट पर आ जाता है वह पड़ा रह जाता है और उससे उन गरीब किसानों का भारी नुक्सान होता है जिनकी वह हिमायत करते हैं। किसान का लाभ इसी में है कि हम उत्पादन में किसी प्रकार

की रुकावट न डालें और कीमत अगर कम है तो उसको बढ़ाने की हम सभी को कोशिश करनी चाहिये। हमें किसानों का लाभ सोच कर ही काम करना उचित है, बस यही मेरी राय है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर यहां विचार करने बैठे हैं उसके दो हिस्से हैं। पहला यह कि यह वादविवाद क्यों उत्पन्न हुआ। और दूसरा सरकार जहां इसमें कदम रखती है वहां पर किसी तरह से सरकारी कर्त्तव्य को निभाया गया। विवाद उत्पन्न होने के बाद वहां जाने पर और जांच करने पर यह मालूम हुआ कि गत २८ जनवरी को किसानों की एक बहुत बड़ी सभा सरैया शुगर मिल के फाटक पर हुई और उसमें किसानों ने तीन चार मांगें मैनेजमेंट के सामने रखीं। उसकी सूचना वहां फैक्टी के मैनेजमेंट को दी गई, सरकार को दी गई और जो सम्बन्धित